मुंबई पत्तन प्राधिकरण
MUMBAI PORT AUTHORITY

वार्षिक लेखा
2021-2022

ANNUAL ACCOUNTS
2021-2022

उसपर लेखा परीक्षा रिपोर्ट
THE AUDIT REPORT THEREON

वर्ष 2021-2022 की रिपोर्ट में अंतर्निहित लेखा परिक्षा संबंधी आपत्तियों/अवलोकनों आदि पर की गयी कार्रवाई के विवरण सहित.

WITH ACTION TAKEN NOTES ON AUDIT OBJECTIONS/OBSERVATIONS CONTAINED IN THE REPORT FOR THE YEAR 2021-2022

विषय सूची
CONTENTS

31 मार्च 2022 का तुलनपत्र Balance Sheet As At 31st March 2022		1-8
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानी लेखा Profit And Loss Account For The Year Ended 31st March 2022....		9-14
	31 मार्च 2022 के तुलनपत्र की अनुसूचियॉ Schedules To Balance Sheet As At 31st March 2022	
अनुसुचि I Schedule I	आरक्षित और निधि Reserves and Funds	15-18
अनुसुचि II Schedule II	पूंजी परिसंपत्तियॉ Capital Assets	19-20
अनुसुचि III Schedule III	निवेश सूची List of Investments	21-22
अनुसुचि IV Schedule IV	फूटकर देनदारी Sundry Debtors	23
अनुसुचि V Schedule V	बैकों में शेष और हस्ते नकद Balances at Banks and Cash in Hand	24
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानी की अनुसुचियां Schedule to Profit & Loss Account For The Year Ended 31st March 2022	
अनुसुचि VI Schedule VI	जहाजी माल की सम्हलाई और भंडारण प्रभार Cargo Handling and Storage Charges	25
अनुसुचि VII Schedule VII	नौवहन के लिए पत्तन और गोदी की सुविधांए Port and Dock Facilities for Shipping	26
अनुसुचि VIII Schedule VIII	रेल संचालन Railway workings	27
अनुसुचि IX Schedule IX	किराये योग्य भूमि और इमारते Rentable Lands and Buildings	28
अनुसुचि X Schedule X	प्रवंध और सामान्य प्रशासन Management and General Administration	29
अनुसुचि XI Schedule XI	31 मार्च 2022 को समाप्त हुए लेखा का प्रकार से प्रचालन व्यय Operating Expenditure by Types for the year ended 31st March 2022	30-31
अनुसुचि XII Schedule XII	वित्त और विविध व्यय Finance and Miscellaneous Expenditure	32
31.03.2022 को समाप्त हुए लेखा पर टिप्पणीयां		34-42
Notes on accounts for the year ended 31st March 2022		44-51
दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के लेखा पर कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन		52-59
Audit Report on the Accounts of the Mumbai Port Trust for the year ended 31.3.2022		60-71
दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के लेखा पर कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर कि कार्यवाही नोट		72-82
Action Taken Note on the Audit Report on the Accounts of Mumbai Port Trust for the year ended 31.3.2022		83-97
परित्याग -Disclaimer		98

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Balance Sheet As At 31st March 2022
31.03.2022 का तुलन पत्र

As at 31st March 2021			Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2022		
			I. SOURCES OF FUNDS / निधियों के स्रोत			
NOT APPLICABLE / लागू नही			**1. SHAREHOLDERS FUND/ भागधारकों के निधी**	NOT APPLICABLE / लागू नही		
			(Applicable for corporatised ports only) (केवल निगमीकृत पोर्ट्स को ही लागू है)			
			2. RESERVES & SURPLUS (Schedule I) आरक्षित और अधिशेष (अनुसूची -I)			
	1683.68		**a. Capital Reserve /** पूंजी आरक्षित		1592.68	
			b. Revenue Reserves / राजस्व आरक्षित			
41.81			i. General Reserve / सामान्य आरक्षित	41.81		
140.15			ii. Fire and Motor Insurance Fund / अग्नि और मोटर बीमा निधि	140.15		
0.02			iii. War Memorial Fund / युद्ध संस्मरण निधि	0.02		
0.01			iv. Employees' Welfare Fund / कर्मचारी कल्याण निधि	0.01		
6.00			v. Centenary Commemoration Fund / शताब्दि स्मारक निधि	6.00		
	187.99				187.99	
			c. Statutory Reserves / वैधानिक आरक्षित			
786.60			i. Fund for replacement, rehabilitation and modernisation of capital assets / पूंजी परिसंपत्तियों के बदलाव पुनर्स्थापन और आधुनिकिकरण के लिए निधि	888.81		
11.39			ii. Fund for development, repayment of loans and contingencies / विकास ऋणो की अदायगी और अनुषंगिक खर्चों के लिए निधि	12.09		
0.00			iii. Fund for Corporate Social Responsibility / कंपनी(पोर्ट) का सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए निधि	0.00		
	797.99				900.90	
			3. GRANT-IN-AID/ सहायता अनुदान			
			i) Upgradation/modernisation of International Cruise Terminal at Indira Docks अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल इंदिरा डॉक्स का उन्नयन/ आधुनिकीकरण			
25.00			a) Grant Received from Ministry of Shipping (Sagarmala)/ जहाज मंत्रालय से प्राप्त अनुदान (सागरमाला)	125.23		
12.50			b) Grant Received from Ministry of Tourism/ पर्यटन मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	31.25		
3.46			ii) Grant received from Ministry Of Shipping for "Development of Tourism Infra alongside K.A.L.H/ कान्होजी आंग्रे लाइट हाउस के पर्यटन सुविधाके विकास के लिए जहाज मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	3.84		
			iii) Grant recd from Ministry of Fisheries for Development of Mallet Bunder Fishing Hourbour, Mazgaon under PMMSY-Scheme Code No.3890/ मैलेट बंदर मत्स्योद्योग के विकास के लिए,PMMSY के तहत, मझगांव-योजना कोड संख्या 3890, मत्स्योदयोग मंत्रालय से प्राप्त अनदान	24.00		
			iv) Grant Recd for Construction of Third Chemical Berth/ तीसरे रासायनिक घाट के निर्माण के लिए प्राप्त अनुदान	40.25		
	40.96				224.57	
		2710.61	C/F अग्रनीत			**2906.14**

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Balance Sheet As At 31st March 2022
31.03.2022 का तुलन पत्र

As at 31st March 2021			Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2022		
		2710.61	B/F आगे लायेगये			2906.14
			4. Loan Funds / ऋण निधि			
			a. Secured Loans / तारणसहित ऋण			
			Debentures / ऋणपत्र			
			Loans and advances from/ निम्न से ऋण तथा पेशगीया			
			Banks / बैंक			
			Ports (indicate portwise details of balances) पत्तन (शेष राशियों के खाते में पत्तनवार सुचित करे)			
			Financial institutions / वित्तीय संस्था			
			Others / अन्य			
			b. Government Loans / सरकार से ऋण			
			c. Loan from International Aid Agencies / अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों से ऋण			
			d. Unsecured Loans / तारणरहित ऋण			
			Fixed Deposits / नियत जमा			
			5. Advances from / निम्न से पेशगीयाँ			
	0.00		i) Advances received from Oil PSUs towards cost sharing of construction of JD-5 project/ तेल पीएसयू से अग्रिम जेडी -5 परियोजना के निर्माण की लागत साझा करना *(Please see notes to Accounts at Sr.No.__..(B)*		0.00	
	66.18		ii) Upfront fees amortised(CoastGuard)/ परिशोधित अग्रिम फीस (तटरक्षक बल)		63.53	
	22.61		iii) Advance received from MMRDA for Reconstruction of STP sheds/ एसटीपी शेडों के पुनर्निर्माण के लिए एमएमआरडीए से मिला अग्रिम		22.61	
	64.00		iv) Advance Amount Received From MMRDA for reconstruction of Berth/ घाट के पुनर्निर्माण के लिए एमएमआरडीए से मिली अग्रिम राशि		64.00	
			v) Upfront fees received from Sri Modern Weigh System T. No.MEED 08/ 2021, To Be Amortised for 10 years/ श्री.मॉडर्न वेट सिस्टम टेंडर नंबर MEED.08/2021 से प्राप्त अग्रिम शुल्क 10 वर्षों के लिए परिशोधित किया जाएगा		0.18	
			vi) Amortised Upfront fees received from Concessionaire in r/o KALH Island/ रियायतग्राही से कान्होजी आंग्रे लाइट हाउसके संबंधमें प्राप्त परिशोधन अग्रिम शुल्क		0.97	
			6. Loans and advances from:/ से ऋण और अग्रिम			
			Banks / बैंक			
			Ports (indicate portwise details of balances) पत्तन (शेष राशियों के खाते में पत्तनवार सुचित करे)			
			Financial institutions / वित्तीय संस्था			
			Others / अन्य			
			7. Short term loans and advances from:			
			निम्न से अल्पावधी ऋण तथा पेशगीयां			
			Banks / बैंक			
			Ports (indicate portwise details of balances) पत्तन (शेष राशियों के खाते में पत्तनवार सुचित करे)			
			Financial institutions / वित्तीय संस्था			
			Others / अन्य			
			8. Other Loans and advances from:			
			निम्न से अन्य ऋण तथा पेशगीयां			
			Banks / बैंक			
			Ports (indicate portwise details of balances) पत्तन (शेष राशियों के खाते में पत्तनवार सुचित करे)			
			Financial institutions / वित्तीय संस्था			
			Others / अन्य			
		152.79	**Deferred Tax Liability / आस्थगित आयकर देयताएँ**			151.29
		2863.40	TOTAL / कुल योग			**3057.43**

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Balance Sheet As At 31st March 2022
31.03.2022 का तुलन पत्र

As at 31st March 2021			Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2022		
			II. APPLICATION OF FUNDS			
			निधियों का विनियोग			
			1. FIXED/CAPITAL ASSETS (Schedule-II)			
			नियत / पूंजि परिसंपत्तियां (अनुसूची)			
7.43			(a) Free hold land / पूर्ण स्वामित्व भूमी	7.43		
			(b) Lease hold land / पट्टेपर की गयी भूमी			
227.18			(c) Capital Dredging / पूंजी निकर्षण	227.18		
135.71			(d) Building Sheds and other structures/ ईमारते, शेड, अन्य संरचनाएं	137.74		
203.07			(e) Wharves, Roads, Boundaries / घाट, सडके, चहारदिवारियाँ	206.40		
108.36			(f) Floatilla and Floating Craft/ फ्लोटिला तथा प्लावी यान	106.72		
47.40			(g) Railway and Rolling Stock/ रेल्वे तथा रेल्वे इंजन, गाडिया, रेल्वे यान आदि	47.40		
948.52			(h) Docks,Sea-Walls,Piers and Navigational Aids/ गोदियाँ , समुद्री दीवारें , स्तंभ , एवं दिक्चालन साधन	922.70		
64.40			(i) Cranes and Vehicles / क्रेन और वाहन	45.64		
66.06			(j) Plant & Machinery / संयंत्र और मशीनें	66.47		
136.48			(k) Installations for Water , Electricity , Telecommunication and Fire Fighting / जल, बिजली, दूरसंचार और अग्निशमन के लिये संस्थापनाएं	137.85		
499.30			(l) Oil Pipelines Installations / तेल पाईप लाईन संस्थापनाएं	505.58		
	2443.91		**जोड (a) से (l) / Total (a) TO (l)**		2411.11	
	698.49		Capital Work in Progress / चालू पूंजी कार्य		871.33	
	1331.13	1811.27	Less : Depreciation / घटाएं : मूल्य ह्रास		1378.58	1903.86
			2. INVESTMENTS(Schedule III) /			
			निवेश (अनुसूची - III)			
			Government or Trust securities/ सरकारी अथवा न्यास की प्रतिभुतियाँ			
10.21			Shares, Debentures or bonds/ समभाग, ऋणपत्र अथवा बंधपत्र	10.27		
			Investment properties / निवेश संपत्ति			
1198.49	1208.70		Others / अन्य	1396.81	1407.08	
	1208.70		C/F अग्रसीत		**1407.08**	

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Balance Sheet As At 31st March 2022
31.03.2022 का तुलन पत्र

As at 31st March 2021			Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2022		
	1208.70		B/F आगे लायेगये		**1407.08**	
			Quoted Investments as at 31st March 2022			
			दिनांक 31 मार्च 2022 को उद्धृत निवेश			
			Face Value / अंकित मुल्य			
			Market Value / बाजार मुल्य			
			Include securities maturing within one year of the date of the Balancesheet			
		1208.70	तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष मे जिनकी अवधि पूरि होनेवाली हो ऐसा प्रतिभूतियों का समावेश करे			1407.08
			As at the end of next year 31.03.2022			
			3. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES			
			वर्तमान परिसंपत्तियाँ ऋण तथा पेशगियाँ			
			a. Current Assets / वर्तमान परिसंपत्तिया			
			(i) Interest accrued on investments / निवेश पर पोदभूत ब्याज			
	2.93		(a) Other Funds / अन्य निधि		3.76	
	44.50		(b) PF investments / भ.नि.निवेश		17.22	
	4.22		(ii) Inventories/ सपंत्तिसूची		4.38	
			(iii) Sundry Debtors (**)(Schedule IV) फुटकर देनदारी (अनुसूची - IV)			
1013.96			(a) Government dues / सरकारी देयताएँ	946.84		
			(b) Interport dues/ आंतरपत्तन देयताएँ			
2463.34			(c) Non government dues / गैर सरकारी देयताएँ	2384.89		
20.26	3457.04		Less : Provision for Doutful debts.	20.26	3311.47	
			गैरसरकारी देयताएँ			
			** Particulars to be given separately of :			
			debts considered good and fully secured			
			debts considered good but not secured and			
			debts considered doubtful or bad			
			निम्न विवरण अलग अलग किया जाए			
			तारणसहित और पाप्य माने गए ऋण			
			पाप्य माने गए लेकिन तारणविरहित ऋण			
			संदिग्ध या अपाप्य माने गए ऋण			
			(iv) Cash & Bank Balances (Schedule V)			
			रोकड तथा बैंक शेष (अनुसूची - V)			
	2.62		Cash balance on hand / हाथ में उपलब्ध रोकड		2.12	
			Bank balances / बैंकों में शेष राशि			
	532.61		With scheduled banks / अनुसूचीत बैंकों में		370.60	
			With others / अन्य बैंकों में			
	4043.92		C/F अग्रनीत		**3709.55**	

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Balance Sheet As At 31st March 2022
31.03.2022 का तुलन पत्र

As at 31st March 2021			Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2022		
	4043.92		B/F आगे लायेगये		3709.55	
			b. Loans & Advances / ऋण तथा पेशगियाँ			
			(i) Advances and loans to subsidiaries/ports कं. अथवा उसकी सहायक कं. भागिदार हो ऐसी भागिदारी फर्म को दि गइ पेशगियाँ तथा ऋण			
			(ii) Bills of Exchange हुंडी विनिमय पत्र			
553.38			(iii) Advances recoverable in cash or in kind or the value to be received रोकड अथवा वस्तूरूपमें वसूली योग्य पेशगी अथवा प्राप्य मूल्य	558.67		
553.38				558.67		
			Less: Advances considered Doubtful Of the above. Loans and Advances घटाए: उपरोक्तमे से संदेहात्मक समझी गयी ऋण तथा पेशगियाँ			
			a. Fully Secured / तारणसहित			
			b. Unsecured, Considered Good / असुरक्षित , अच्छी मानी गयी			
			c. Considered Doubtful / संदेहात्मक मानी गयी			
	553.38				558.67	
	4597.31		C/F अग्रनीत		**4268.22**	

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Balance Sheet As At 31st March 2022
31.03.2022 का तुलन पत्र

As at 31st March 2021			Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2022		
	4597.31		B/F आगे लायेगये		4268.22	
			Less: Current Liabilities & Provisions			
			घटाए: वर्तमान देयताएँ तथा प्रावधान			
			a. CURRENT LIABILITIES / वर्तमान देयताएँ			
190.16			(i) Pension Fund / निवृत्ति वेतन निधि	225.54		
1175.17			(ii) Provident Fund / भविष्य निधि	1043.76		
-4.15			(iii) Gratuity Fund/ उपदान निधि	0.00		
0.52			(iv) National Pension Scheme/ राष्ट्रीय पेंशन योजना	1.67		
			(v) Sundry Creditors / विविध लेनदार			
334.13			Salaries & Wages Payable / देय वेतन और मजदूरी	305.41		
0.76			Stores / भंडार	0.76		
159.44			Accrued Expenses / प्रोद्भूत व्यय	203.19		
			Unadjusted Sale proceeds of / अवसमायोजित बिक्री प्राप्तियाँ:			
45.94			Unclaimed goods / अदावी माल	55.22		
2.90			Surplus Material / अतिरिक्त सामग्री	4.27		
			Miscellaneous creditors and credit balances Other than interest on port specific investments पत्तन के विशिष्ट निवेशोपर का ब्याज छोड़कर प्रकिर्ण लेनदार और जमा शेष			
7.00			Demurrage payable to Railways / रेल को देय विलंब शुल्क	7.09		
-5.53			Statutory Payments / वैधानिक भुगतान	-5.50		
52.66			Liability towards Capital Expenses / पुंजीगत व्यय के लिए दायित्व	135.20		
76.39			Others / अन्य	67.33		
148.62			Miscellaneous creditors and credit balances Other than interest on port specific investments प्रकिर्ण लेनदार और जमा शेष पत्तन के विशिष्ट निवेशोपर का ब्याज	135.30		
7.74			Centenary Commemoration Fund / शताब्दी संस्मरण निधी	8.20		
1700.00			Advances from Merchants, Contractors & others/व्यापारियों ठेकेदारों तथा अन्यो से अग्रिमप्राप्ती	1544.84		
			Cash / नोकद			
			Securities / बयाणा जमा			
-1.78			Less: Securities at Face Value Held against deposits from Merchants, contractors & others घटाईएँ : व्यापारियों ठेकेदारों तथा अन्यो से प्राप्त जमा के तहत धारण किए प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य	-1.68		
			(vi) Amounts due to other ports for services			
			सेवा के लिए अन्य पत्तनोंको देय राशि			
			(vii) Other liabilities / अन्य देयताएं			
			(Revenue A/c temporarily overdrawn)			
			राजस्व खाते से कुछ समय के लिए निकाली गयी ज्यादा राशि			
	3889.97		C/F अग्रसीत		3730.60	

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Balance Sheet As At 31st March 2022
31.03.2022 का तुलन पत्र

As at 31st March 2021			Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2022		
	3889.97		B/F आगे लायेगये		3730.60	
			b. PROVISIONS / प्रावधान			
			(i) For Contingencies / आकस्मिकता के लिए			
	144.26		(ii) For taxation (net of taxes paid)		103.26	
			करों के लिए (भुगतान किया वास्तविक कर)			
			(iii) Other provisions / अन्य प्रावधान			
	1478.19		Provisions for unrecovered Estate Rentals		1478.19	
			वसूल न किए संपदा किराया के लिए प्रावधान			
	5512.42				5312.05	
		-915.11	**NET CURRENT ASSETS/ कुल वर्तमान परिसंपत्तियां**			**-1043.83**
		432.52	Deferred Tax Asset			432.52
			आस्थगित कर संपत्ती			
			वास्तविक वर्तमान परिसंपत्तियां			
			Miscellaneous Expenditure (To the extent not written off)			
			फुटकर खर्च (बट्टे खाते में न डाला हुआ)			
			a) Preliminary expenses / प्रारंभिक खर्च			
			b) Expenses including commission or brokerage on underwriting or subscription of shares or debentures शेअर अथवा ऋणपत्र अंशदान पर दिए कमिशन अथवा ब्रोकरेज पर हुआ खर्च मिलाकर			
			c) Discount allowed on the issue of shares or debentures			
			शेअर अथवा ऋणपत्र जारी करते समय दी गयी छूट			
			d) Interest paid out of capital during construction (also stating the rate of interest) निर्माण के दौरान पूंजी से किया गया ब्याज का भुगतान (ब्याज का दर बताते हुए)			
		-482.59	C/F अग्रनीत			**-611.31**

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Balance Sheet As At 31st March 2022
31.03.2022 का तुलन पत्र

As at 31st March 2021			Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2022		
		-482.59	B/F आगे लायेगये			**-611.31**
			e) Development expenditure not adjusted अनसमायोजित विकास खर्च			
	3.81		f) Other items (Port Property Insurance Premium)/ अन्य मद (पत्तन संपत्ती बीमा किश्त)		6.88	
		3.81				6.88
		322.23	**Balance Of Profit And Loss Account** लाभ और हानि की बाकी			350.92
		2863.40	**Total कुल**			**3057.43**

तुलनपत्र और इसकी अनुसूचियों पर हस्ताक्षरकर्ता / Signatories to Balance Sheet and Schedules thereto

कॉ. भवतोष चंद
उप संरक्षक
Capt. Bhabatosh Chand
Dy. Conservator
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी
के वैधानिक अधिकार के साथ
(having statutory power of F.A. & C.A.O.)

राजीव जलोटा
अध्यक्ष
Rajiv Jalota
Chairman

MUMBAI PORT AUTHORITY

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Profit And Loss Account For The Year Ended 31st March 2022

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानी लेखा

(₹ करोड़ में) / ₹ in crores

2020-21		Particulars / ब्यौरा	2021-22	
		OPERATING INCOME परिचालन आय		
		1. Cargo handling and storage charges **पोतभार सम्हलाई तथा भंडारण प्रभार**		
170.59		Handling and storage charges (excluding container) सम्हलाई तथा संग्रहण प्रभार (कंटेनर छोड़कर)	246.79	
213.52		P.O.L. Handling Charges पी ओ ल सम्हलाई प्रभार	262.30	
		Storage fees भंडारण प्रभार		
14.38		Charges for container handling (including containerised cargo) कंटेनर सम्हलाई के लिए प्रभार (कंटेनर पोतभार सहित)	11.66	
39.86		Stevedoring Charges / जहाजी कुली प्रभार	65.34	
42.83		Demurrage / विलंब शुल्क	68.54	
22.32		Miscellaneous income / फुटकर आय	23.14	
	503.50			677.77
	503.50	C/F आगमीत		677.77

MUMBAI PORT AUTHORITY

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Profit And Loss Account For The Year Ended 31st March 2022

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानी लेखा

(₹ करोड़ में) / ₹ in crores

2020-21		Particulars / ब्यौरा	2021-22	
	503.50	B/F आगे लायेगये		677.77
		2. Port and dock charges **पत्तन तथा गोदी प्रभार**		
233.44		Fees for pilotage, towage etc. पायलटेज, टोवेज के लिए प्रभार	264.06	
342.89		Berth hire charges, Pier Dues, Anchorage Fees etc. घाट किराया शुल्क	404.14	
146.33		Port dues पत्तन देय	161.86	
15.31		Dry docking charges निर्जल गोदी प्रभार	15.98	
65.20		Miscellaneous income / फुटकर आय	73.08	
	803.17			**919.12**
		3. Railway earnings **रेल आमदनी**		
1.86		Freight and haulage भाड़ा और कर्षण प्रभार	3.95	
0.22		Siding charges साइडिंग प्रभार	0.52	
1.62		Terminal charges टर्मिनल प्रभार	3.48	
1.52		Miscellaneous income / फुटकर आय	1.08	
	5.22			9.03
	1311.89	C/F अग्रनीत		1605.92

MUMBAI PORT AUTHORITY

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Profit And Loss Account For The Year Ended 31st March 2022

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानी लेखा

(₹ करोड मे) / ₹ in crores

2020-21		Particulars / ब्यौरा	2021-22	
	1311.89	B/F आगे लायेगये		1605.92
		4. Estate Rentals		
		संपदा किराया		
308.06		Rent from land भूमि से किराया	244.72	
49.5		Rent from building, sheds, and Godowns इमारतें शेड तथा गोदामों से किराया	17.10	
21.03		Recoverable property taxes etc. वसूली योग्य सम्पत्ति कर आदि	11.16	
15.48		Miscellaneous income / फुटकर आय	18.06	
	394.07			291.04
	1705.96	TOTAL OPERATING INCOME (a) / कुल परिचालन आय (अ)		**1896.96**
		OPERATING EXPENDITURE / प्रचालन व्यय		
	378.09	**1. Cargo handling and storage charges (Schedule VI)** पोतभार सम्हलाई और भंडारण प्रभार (अनुसूची - VI)		340.11
	234.42	**2. Port and dock facilities for shipping(Schedule VII)** नौवहन के लिए पत्तन तथा गोदी सुविधाएँ (अनुसूची - VII)		264.29
	16.75	**3. Railway workings (Schedule VIII)** रेल संचालन (अनुसूची - VIII)		15.45
	109.79	**4. Rentable land and building (Schedule IX)** किराये योग्य भूमि और इमारते (अनुसूची - IX)		92.84
	383.04	**5. Management and General Administrative Expenses (Schedule X)** प्रबंध तथा सामान्य प्रशासनिक खर्च (अनुसूची - X)		397.88
	1122.09	**Total Operating Expenditure (b) (Schedule XI)** कुल परिचालन व्यय (ब)(अनुसूची - XI)		**1110.57**
	583.87	**Operating Profit (a) - (b) c/f अग्रनीत** **परिचालन अधिशेष (अ)-(ब)**		**786.39**

MUMBAI PORT AUTHORITY

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Profit And Loss Account For The Year Ended 31st March 2022

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानी लेखा

(₹ करोड मे) / ₹ in crores

2020-21		Particulars / ब्यौरा	2021-22	
	583.87	B/F आगे लायेगये		**786.39**
		Add : Finance and Miscellaneous income		
		जोडे : वित्त तथा फुटकर आय		
4.81		Interest on short term deposit /surplus investment / Cash balanaces/ अल्पावधि जमा / अधिशेष निवेश / नकद शेष पर ब्याज	3.00	
1.50		Interest on investments of Reserves/ भंडार के निवेश पर ब्याज	3.99	
5.70		Interest on delayed payments and other items/ विलंबित भुगतान और अन्य मदों पर ब्याज	13.46	
0.09		Interest chargeable to Leases/ Tenants for delayed payment of GST by them/ पट्टों/किरायेदारों द्वारा जीएसटी के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज प्रभार्य	0.32	
0.32		Interest on staff advances कर्मचारियों को दी गयी पेशगी पर ब्याज़	0.28	
0.48		Profit on sale/disposal of capital assets पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्रीनिपटान से लाभ	7.93	
0.00		Profit on sale/Redemption of investment	0.00	
7.90		Prior period income पिछली अवधि की आय	43.60	
3.44		Sundry receipts / फुटकर प्राप्तियाँ	9.83	
	24.24			82.41
	511.08	Less: Finance and Miscellaneous Expenditure (Schedule XII) घटाइएँ: वित्त तथा फुटकर खर्च (अनुसूची – XII)		926.57
	97.03	**Surplus / अधिशेष**		-57.77
	97.03	**PROFIT BEFORE TAX(c/f) / करपूर्व लाभ (अग्रनीत)**		-57.77

MUMBAI PORT AUTHORITY

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Profit And Loss Account For The Year Ended 31st March 2022

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानी लेखा

(₹ करोड़ में) / ₹ in crores

2020-21		Particulars / ब्यौरा	2021-22	
		B/F आगे लाये गये		
	97.03	**PROFIT BEFORE TAX(b/f)/करपूर्व लाभ (आगे लाया गया)**		-57.77
		Add : Provision of Tax for the year 2008-09 written back	41.00	
		Less: Provision for taxation	0.00	
		घटाइएँ: कराधान हेतू प्रावधान		
		(i) Current Tax / चालू कर		
		(ii) Deferred Tax / आस्थगित कर		
		(iii) Fringe benefit Tax / नौकरी सुविधा लाभ कर		
	0.00			41.00
	97.03	**PROFIT AFTER TAX / कर पश्चात लाभ**		-16.77
	55.10	**Add : Withdrawal from Employees Welfare Fund**		66.44
		जोडे : कर्मचारी कल्याण निधिसे निकासी		
	152.13	**Total Deficit / Surplus कुल घाटा / अधिशेष**		49.67
		Less : Appropriations		
		घटाइएँ: विनियोग		
	0.48	Profit on Disposal of Capital Asset Trfd. Capital Reserve पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री / निपटान से लाभ	7.93	
	55.10	Employees Welfare Fund कर्मचारी कल्याण निधि	66.44	
	0.48	Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets पूंजीगत परिसंपत्तियो के बदलाव पुनःस्थापन और आधुनिकिकरण के लिए निधि	3.29	
	0.32	General Reserve / सामान्य आरक्षित	0.00	
	0.70	Fund for Development, Repayment of Loan & Contingencies विकास ऋण प्रतिदान तथा आनुषंगिक खर्चो के लिए निधि	0.70	
		Other funds (port specific) / अन्य निधि (विशिष्ट पोर्ट) Fire & Motor Insurance Fund अग्नि तथा मोटार बिमा निधि		78.36
	95.05	**Net Surplus / Deficit Transferred to Balance Sheet** कुल अधिशेष / घाटा तुलन पत्र मे स्थानांतरित किया		-28.69

लाभ और हानी लेखा और इसकी अनुसूचियों पर हस्ताक्षरकर्ता / Signatories to Profit & Loss A/c. and Schedules thereto

कॅ. भवतोष चंद
उप संरक्षक
Capt. Bhabatosh Chand
Dy. Conservator
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के वैधानिक अधिकार के साथ
(having statutory power of F.A. & C.A.O.)

राजीव जलोटा
अध्यक्ष
Chairman

MUMBAI PORT AUTHORITY

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Profit And Loss Account For The Year Ended 31st March 2022

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानी लेखा

(₹ करोड़ में) / ₹ in crores

Typewise details of Operating Expenditure

	2021-22	2020-21
(a) Payment to and provision for employees		
कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान		
i) Salaries, wages, bonus etc.	645.15	687.48
वेतन मजदूरी बोनस आदि		
ii) Companies contribution to provident and other funds		
भविष्य निर्वाह निधि तथा अन्य निधियों में कंपनी का अंशदान		
iii) Gratuity / उपदान		
iv) Workmen and staff welfare expenses		
कामगार तथा कर्मचारी कल्याण खर्च	66.44	55.10
(b) Operating expenses / प्रचालन खर्च		
i) Repairs to plant and machinery (showing separately amounts incurred towards vessels/crafts, cranes and general plant and machinery)	1.10	2.93
प्लान्ट और मशीनरी की मरम्मत (जहाज/काफ्ट्स, केन्स तथा सामान्य प्लान्ट और मशीनरी पर किया खर्च अलग दर्शाया जाए)		
ii) Repairs to building (including sheds) /	16.74	13.45
इमारतों की मरम्मत (गोदामों सहित)		
iii) Other repairs / अन्य मरम्मत	35.97	36.64
iv) Stores / प्रयोग में लायी गयी सामग्री	50.96	47.05
v) New minor works / नए छोटे कार्य	2.51	0.64
(c) General Expenses / सामान्य खर्च		
i) Rent, rates and taxes / किराया दर और कर	4.18	4.37
ii) Audit Fees / लेखा परीक्षा शुल्क	0.55	0.46
iii) Water and electricity charges / जल तथा विद्युत प्रभार	35.45	46.43
iv) Communication expenses (including telephone, telex,fax etc.	0.52	0.58
संचार व्यवस्था पर खर्च (दूरभाष, टेलेक्स, फॅक्स सहित)		
vi) Other expenses / अन्य खर्च *	251.00	226.97
	1110.57	**1122.09**

*** for details please see Schedule XI**

तुलन पत्र
और
लाभ और हानी लेखा
की अनुसूचियाँ

***

Schedules to the Balance Sheet And Profit & Loss Accounts

आरक्षित और निधि	पूँजी आरक्षित	सामान्य आरक्षित निधि
RESERVES AND FUNDS	Capital Reserve	General Reserve Fund
शेष 31 मार्च 2021 को		
Balance - 31st March 2021	1683.68	41.81
जोडियेः राजस्व लेखे से अंशदान --		
Add: Contribution from Revenue Account --		
राजस्व लेखे से अंतरण		
Transfers from Revenue Accounts.....	7.92	
अन्य आरक्षित और निधियों से अंतरण		
Transfers from Other Reserves & Funds		
पूंजी आरक्षित		
(i) Capital Reserve.....		------
सामान्य आरक्षित निधि		
(ii) General Reserve Fund.....	------	------
पूंजी परिसंपत्तियों के बदलाव पुनःस्थापन और आधुनिकीकरण के लिये निधि		
(iii) Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets.....		------
विकास ऋणों की अदायगी और अनुषंगिकता के लिये निधि		
(iv) Fund for Development, Repayment of Loans & contingencies	------	------
(v) शोधन निधी / Sinking Fund...	------	------
अन्य अंतरण'		
Other Transfers ---		
कर्मचारी / भूतपूर्व कर्मचारियों से प्राप्त आय		
Repceipts from Employees/Ex-employees.....	------	------
भूतपूर्व कर्मचारियों से बाह्य चिकित्सा सुविधा के लिये प्राप्त आय		
Receipts from ex-employees towards Medical treatment	------	------
अन्य Misc./Other	0.00	
उपभोक्ता सहकारी भंडारो को ऋण		
Loans granted to Consumers' Co-operative Stores		
अर्धवार्षिक किस्तों और बकाया शेषपर ब्याजकी वसूली		
Recovery of half-yearly instalments together with interest on the outstanding balances.....	------	------
निवेशों पर ब्याज		
Interest on Investments.....	------	------
अग्रेनीत Carried forward	1691.60	41.81

ANNUAL ACCOUNTS 2021-22

SCHEDULES TO BALANCE SHEET AS AT 31ST March 2022

SCHEDULE - I

(₹ करोड मे) / ₹ in crores

अग्नी और मोटर बीमा निधि और युद्ध स्मारक निधि	कर्मचारी कल्याण निधि	पूंजी परिसंपत्तियों के बदलाव पुनःस्थापन और आधुनीकीकरण के लिये निधि	विकास ऋणो की अदायगी और अनुषंगिकता के लिये निधि	शताब्दि स्मारक निधि	कपंनी ह्यपोर्टह का सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए निह्रिा
Fire & Motor Insurance Fund and War Memorial Fund	Employees' Welfare Fund	Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets	Fund for Development, Repayment of Loans and Contingencies	Centenary Commemoration Fund	Fund for Corporate Social Responsibility /
140.17	0.01	786.60	11.39	6.00	0.00
	66.44			------	------
------	------	------	------	------	------
	------	------	------	------	------
------	------	98.92	------	------	------
------	------	------	------	------	------
------	------	------	------	------	------

------		------	------	------	------
------	------	------	------	------	------
------	------	------		------	------

------	------	------	------	------	------
------	------	3.29	0.70	------	------
140.17	66,45	888.81	12.09	6.00	0.00

आरक्षित और निधि	पूँजी आरक्षित	सामान्य आरक्षित निधि
RESERVES AND FUNDS	Capital Reserve	General Reserve Fund
Brought forward	1691.60	41.81
घटाईये ः (i) को अंतरण -- Less: Transfers to -- (अ) राजस्व लेखा (a) Revenue Account.....	-----	-----
(ब) घाटा (b) Deficit	-----	-----
(क) अन्य आरक्षित और निधि (c) Other Reserves & Funds (Capital Reservers).....	98.92	-----
(ii) भुगतान Payments.....	-----	-----
(iii) अन्य अंतरण Other Transfers.....		-----
	98.92	0.00
Balance - 31st March 2022 / शेष - 31 मार्च 2022	1592.68	41.81

ANNUAL ACCOUNTS 2021-22

SCHEDULES TO BALANCE SHEET AS AT 31ST March 2022

SCHEDULE - I

(₹ करोड मे) / ₹ in crores

अग्नी और मोटर वीमा निधि और युद्ध स्मारक निधि	कर्मचारी कल्याण निधि	पूंजी परिसंपत्तियों के बदलाव पुनःस्थापन और आधुनीकीकरण के लिये निधि	विकास ऋणो की अदायगी और अनुषंगिकता के लिये निधि	शताब्दि स्मारक निधि	कपंनी ह्यपोर्टह का सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए निह्या
Fire & Motor Insurance Fund and War Memorial Fund	Employees' Welfare Fund	Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets	Fund for Development, Repayment of Loans and Contingencies	Centenary Commemoration Fund	Fund for Corporate Social Responsibility /
140.17	66.45	888.81	12.09	6.00	0.00

------	66.44	------	------	------	------
------	------			------	------
------			------	------	------
------	0.00	------	------	------	------
------	------	------	------	------	------
0.00	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00
140.17	0.01	888.81	12.09	6.00	0.00

Dy. Conservator
(With Statutory Powers of FA & CAO)

	पूँजी परीसंपत्तियाँ CAPITAL ASSETS परीसंपत्तियो का विवरण Particulars of Assets	कुल ब्लॉक GROSS BLOCK				
		१ अप्रैल २०२१ को As at 1st April 2021	वर्ष में परिवर्तन Additions during the year	वर्ष में विलोपन Deletions during the year	वर्ष में की गयी समायोजन Adjustment during the year	३१ मार्च २०२२ को As at 31st March 2022
I.	भूमी LAND.....	7.43	0.00	0.00	0.00	7.43
II.	पूँजी निकर्षण CAPITAL DREDGING.....	227.18	0.00	0.00	0.00	227.18
III.	ईमारते, शेड, अन्य संरचनाएं BUILDINGS, SHEDS, OTHER STRUCTURE	135.71	3.85	1.82	0.00	137.74
IV.	घाट, सडके, चहारदिवारियॉ WHARVES, ROADS, BOUNDARIES..	203.07	3.34	0.01	0.00	206.40
V.	प्लावी यान FLOATING CRAFTS.....	108.36	0.00	1.64	0.00	106.72
VI.	रेल्वे और चल स्टाक RAILWAY & ROLLING STOCK.....	47.40	0.00	0.00	0.00	47.40
VII.	गोदियां, समुद्री दीवारें, स्तंभ, दिक्चालन साधन DOCKS, SEA-WALLS, PIERS AND NAVIGATIONAL AIDS.....	948.52	18.18	44.00	0.00	922.70
VIII.	केन और वाहन CRANES AND VEHICLES.....	64.40	0.00	18.76	0.00	45.64
IX.	संयंत्रा और मशीने PLANT AND MACHINERY.....	66.06	2.82	2.41	0.00	66.47
X.	जल, विजली, दूरसंचार और अग्निशमन के लिये संस्थाएं INSTALLATIONS FOR WATER, ELECTRICITY, TELECOMMUNICATION AND FIRE-FIGHTING.....	136.48	4.29	2.92	0.00	137.85
XI.	तेल पाईप लाईन संस्थापनाएं OIL PIPE LINE INSTALLATIONS.....	499.30	6.29	0.00	0.00	505.58
	जोड I से XI / Total I TO XI	**2443.91**	**38.77**	**71.56**	**0.00**	**2411.11**
XII.	**चालू पूँजी कार्य CAPITAL WORKS IN PROGRESS**					
	PLAN WORKS	693.62	199.46	30.86		862.22
	NON-PLAN WORKS	4.87	12.15	7.91		9.11
		698.49	**211.61**	**38.77**	**0.00**	**871.33**
	कुल जोड Grand Total	**3142.40**	**250.38**	**110.33**	**0.00**	**3282.44**

ANNUAL ACCOUNTS 2021-22

SCHEDULES TO BALANCE SHEET AS AT 31st March 2022

SCHEDULE II

(₹ करोड मे) / ₹ in crores

मूल्य -ह्रास DEPRECIATION				शुद्ध ब्लॉक NET BLOCK	
१ अप्रैल २०२१ संचय Accumulation as at 1st April 2021	वर्ष में की गयी प्रावधान Provision made during the year	वर्ष में विलोपन आदि से समायोजन Adjustment on deletions, etc., during the year	३१ मार्च २०२२ को कुल Total as at 31st March 2022	३१ मार्च २०२२ को As at 31st March 2022	३१ मार्च २०२१ को As at 31st March 2021
0.00	0.00	0.00	0.00	7.43	7.43
48.50	4.43	0.00	52.93	174.25	178.68
100.04	3.58	1.68	101.94	35.80	35.67
144.00	13.74	0.01	157.73	48.67	59.07
88.59	3.14	1.64	90.09	16.63	19.77
15.97	0.77	0.00	16.74	30.66	31.43
377.82	33.63	3.44	408.01	514.69	570.70
50.80	1.74	18.76	33.78	11.86	13.60
44.71	2.50	2.33	44.88	21.59	21.35
108.54	3.35	2.92	108.97	28.88	27.94
352.16	11.33	0.00	363.49	142.09	147.14
1331.13	**78.21**	**30.78**	**1378.58**	**1032.55**	**1112.78**
				862.22	693.62
				9.11	4.87
				871.33	**698.49**
1331.13	**78.21**	**30.78**	**1378.58**	**1903.86**	**1811.27**

चालू वर्ष क लिए For Current year	78.21
पिछल वर्ष के लिए For Previous year	0.00
Total	**78.21**

Dy. Conservator
(With Statutory Powers of FA & CAO)

31.03.2021 तक कि कुल निवेश Total investment as on 31.03.2021		वित्तिय संस्थाएं Financial Institutions	सामान्य आरक्षित General Reserve Fund		अग्नी और मोटर बीमा निधि और युद्ध स्मारक निधि Fire & Motor Insurance Fund and War Memorial Fund		पूंजी परिसंपत्तियों के बदलाव पुनःस्थापन और आधुनीकीकरण के लिये निधि Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets	
प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value		प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value
4.50	4.50	आय पी आर सी एल मे शमभाग Share Capital in IPRCL	4.50	4.50				
4.50	**4.50**	**(अ) / (a)**	**4.50**	**4.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	एम पी ई वी बंधापत्र Bonds of MPEB						
0.00	0.00	यू पी सी एस एम एफ बंधापत्र Bonds of UPCSMF						
0.00	0.00	एम एस आर डी सी बंधापत्र Bonds of MSRDC						
10.00	10.00	एनौर पत्तन बंधापत्र Bond of Ennore Port						
0.00	0.00	के वी जे एन एल बंधपत्र Bond of KBJNL						
0.21	0.21	एस वी आय लाईफ SBI Life						
0.00	0.00	पी एस यू के बंधापत्र Bonds of PSUs						
10.21	**10.21**	**(ब) / (b)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1193.98	1193.98	**DEPOSITS - जमा राशि** बैंकों में with Banks					369.00	369.00
1193.98	**1193.98**	**(क) / (c)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**369.00**	**369.00**
1208.70	**1208.70**	जोड (अ) से (क) Total (a) to (c)	**4.50**	**4.50**	**0.00**	**0.00**	**369.00**	**369.00**
---	---	टिप्पणी / Note : उद्धत निवेश **Quoted Investments** अन-उद्धत निवेश	---	---	---	---	---	---
1208.70	**1208.70**	**Unquoted Investments**	**4.50**	**4.50**	**0.00**	**0.00**	**369.00**	**369.00**

कर्मचारी कल्याण निधि के लिए कोई निवेश नही हैं।
Employees' Welfare Fund has no investments.

ANNUAL ACCOUNTS 2021-22

SCHEDULES TO BALANCE SHEET AS AT 31st March 2022

SCHEDULE III

(₹ करोड मे) / ₹ in crores

विकास ऋणो की अदायगी और अनुषंगिकता के लिये निधि Fund for Development, Repayment of Loans and Contingencies		शताब्दि स्मारक निधि Centenary Commemoration Fund		भविष्य निर्वाह निधि Provident Fund		अवकाश नकदिकरण निधी Leave Encashment Fund		31.03.2022 तक कि कुल निवेश Total investment as on 31.03.2022	
प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value
								4.50	4.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50
								0.00	0.00
								0.00	0.00
								0.00	0.00
10.00	10.00							10.00	10.00
								0.00	0.00
						0.27	0.27	0.27	0.27
								0.00	0.00
10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	10.27	10.27
		9.00	9.00	1014.31	1014.31			1392.31	1392.31
0.00	0.00	9.00	9.00	1014.31	1014.31	0.00	0.00	1392.31	1392.31
10.00	10.00	9.00	9.00	1014.31	1014.31	0.27	0.27	1407.08	1407.08
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10.00	10.00	9.00	9.00	1014.31	1014.31	0.27	0.27	1407.08	1407.08

शताब्दि स्मारक निधि की निवेश रू.6.00 करोड निधि संचय के लिए और रू.3.00 करोड बैंक शेष के लिए हुई हैं।

Investment of CCF includes ₹.6.00 crore on account of Corpus Fund and ₹.3.00 crore on account of Cash Balance.

Out of the total Investments, ₹.526.10 crore have been held in Short Term Investment

Dy. Conservator
(With Statutory Powers of FA & CAO)

वार्षिक लेखा २०२१-२२

ANNUAL ACCOUNTS 2021-22

३१ मार्च २०२२ के तुलन पत्र की अनुसूचियां

Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2022

अनुसूची IV

SCHEDULE IV

दी गई सेवाओं के कारण विविध देनदारी की दि. ३१ मार्च २०२२ की स्थिती

Sundry Debtors As On 31st March 2022 For Different Services Rendered

(₹. करोड़ मे) / ₹. in crores

विवरण / Particulars	2021-22	2020-21
सजल गोदी प्रभार Wet Docks Charges	277.82	231.09
निर्जल गोदी प्रभार Dry Docks Charges	2.28	2.28
कंटेनर प्रचलन Container Operation	10.96	10.85
पोत से संबंधित प्रभार Vessel Related Charges	162.55	170.32
संपदा किराये Estate Rentals *	2474.21	2652.04
बंदर संपदा किराये Bunder Estate Rentals	28.64	28.64
प्रोद्भूत टर्मिनल प्रभार Accrued Terminal Charges	5.08	5.08
विविध सेवाएँ Miscellaneous Services	196.32	198.81
विविध सेवाएँ (GST देनदार) Miscellaneous Services (GST Debtors)	173.88	180.44
निक्षेप द्वारा निर्माण कार्य Deposit Works *	0.00	-2.25
	3331.73	**3477.30**

* अन्य शेष राशि के संबध मे ₹.1099.39 करोड रूपयों की पट्टेदारों, किराएदारों से वसूल कि गयी राशि संपदा विभाग के फुटकर जमाखाते में पडी है। (31.03.2021 को ₹.1050.19 करोड). ₹.49.20 करोड की राशी को देनदार के खिलाफ समायोजित किया गया है।

* As against the remaining outstandings, ₹.1099.39 Crore have been recovered from lessees / tenants and are lying in Estate Deptt.'s Misc. Advance A/c. (₹.1050.19 Crore – as on 31.03.2021). An amount of ₹.49.20 crore has been adjusted against the Debtors

* GLC-0836 और 0837 के प्रति क्रेडिट शेष (M.T. A/c) को वर्तमान देयता (GLC-MT686) में स्थानांतरित कर दिया गया है

* Credit Balances of GLC-0836 & 0837 (M.T. A/c) have been transferred to the Current Liability (GLC-MT686)

Dy. Conservator
(With Statutory Powers of FA & CAO)

वार्षिक लेखा 2020-21

ANNUAL ACCOUNTS 2020-21

३१ मार्च २०२२ के तुलन पत्र की अनुसूचियां

Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2022

SCHEDULE V / **अनुसूची** V

बैंकों में शेष और हस्ते नकद

BALANCE AT BANKS AND CASH IN HAND

(₹. करोड़ में) / ₹. in crores

विवरण / Particulars		2021-22		2020-21	
बैंकों में जमा राशी					
Deposits with Banks.....	0871		245.05		208.94
बैंकों में जमा राशी (व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य की ओरसे)					
Deposits with Banks (on behalf of Merchants,	(0873 to 0880)		34.15		35.19
Contractors and Others)					
बैंकों में शेष (अन्य विभाग)					
Balances with Banks (Other Departments)	(0886 to 0897)		5.87		227.27
चालू खाता / Current Accounts					
पत्तन समुदाय प्रणाली / Port Community System					
स्टेट बैंक आफ इंडिया					
State Bank Of India					
राजस्व खाता / Revenue Account	881+E881	20.97		9.45	
कंपनी (पोर्ट) के उत्तरदायित्व के लिए खाता					
CorporateSocial Responsibility Account	885	0.01		0.10	
भविष्य निधि खाता					
Provident Fund Account	B881+D881	9.81		9.41	
निवृत्ति वेतन निधि					
Pension Fund Trust	C881	0.00			
यूनियन बैंक आफ इंडिया / Union Bank of India	C884	50.81		31.16	
इंडियन बैंक खाता / Indian Bank Account	B884	0.01	81.61	-0.28	49.84
स्टेट बैंक आफ इंडिया / STATE BANK OF INDIA					
JD-5 Project Escrow Account	F881	3.60		11.09	
विभिन्न बैंक - पीसीएस खाते / Various Banks-PCS accounts	882	0.00		0.00	
इंडियन ओव्हरसिज बैंक / INDIAN OVERSEAS BANK					
वेतन खाता / Salary Account.....	A885	0.32	3.92	0.27	11.36
			370.60		**532.61**
हस्ते नकद					
Cash In Hand					
वित्त विभाग के पास					
With Finance Department.....*	999		0.00		0.22
अन्य विभागों के पास					
With Other Departments	894+895		2.12		2.41
			2.12		**2.63**

* वित्त विभाग के साथ नकद राशि ₹.47,772.31 है

* Cash in hand with Finance Department is ₹.47,772.31

Dy. Conservator

(With Statutory Powers of FA & CAO)

31 मार्च 2022 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियाँ

SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2022

अनुसूची 6

SCHEDULE VI

जहाजी माल की सम्हलाई और भंडारण

CARGO HANDLING AND STORAGE

(₹. करोड़ में) / ₹. In crores

	2021-22	2020-21
शेडों और घाटों में सामान्य जहाजी मालकी सम्हलाई और भंडारण Handling & Storage of General Cargo at Sheds and Wharves...	201.25	225.97
माल को गोदाम में रखना Warehousing.....	1.46	3.19
कंटेनर निपटानेवाली केने और अन्य केनों का परिचालन और अनुरक्षण Operation and maintenance of Container Handling Cranes and other cranes...	15.05	15.47
पेट्रोलियम तेल स्नेहक सम्हलाई Handling of Petroleum, Oil and Lubricants.....	24.98	23.00
गोदियों और बंदरगाहों में सामान्य सुविधाओं पर व्यय Expenditure on general facilities at Docks & Bunders.....	14.54	24.14
प्रशासन और सामान्य व्यय Administration and General Expenses.....	34.82	38.53
नये छोटे निर्माणकार्य New Minor Works.....	0.02	0.10
मूल्य ह्रास Depreciation.....	48.00	47.68
कुल / Total	**340.11**	**378.09**

Dy. Conservator
(With Statutory Powers of
FA & CAO)

31 मार्च 2022 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियाँ

SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2022

अनुसूची 7

SCHEDULE VII

नौवहन के लिये पत्तन और गोदी की सुविधाएं

PORT AND DOCK FACILITIES FOR SHIPPING

(₹. करोड़ में) / ₹. in crores

	2021-22	2020-21
नौकर्षण घाट व लंगर Towing berthing and Mooring.....	121.07	98.69
प्रदुषण नियंत्रण Pollution Control.....	1.55	1.48
पायलट कार्य Pilotage.....	13.22	12.94
शुष्क गोदी व्यय Dry Docking Expenses.....	0.78	0.78
नौवहन के लिए पानी की आपूर्ती Water Supply to Shipping.....	0.95	1.40
अग्निशमन Fire Fighting.....	17.88	17.27
निकर्षण और समुद्री सर्वेक्षण Dredging and Marine Survey.....	58.43	45.73
बंदरगाह गश्त Harbour Patrol.....	2.53	2.30
दिक्चालन साधनों का परिचालन और अनुरक्षण Operation and maintainance of navigational aids.....	0.78	0.89
ठषार कार्य और जलगत मरम्मत Salvage and underwater repairs.....	1.40	1.68
गोदियो और बंदरगाहों की दिवारों समुद्र संरचनाओं आदि का अनुरक्षण Maintanace of dock and harbour walls & marine structure, etc.	1.89	6.15
प्रशासन और सामान्य व्यय Administration and General Expenses.....	21.23	17.50
नये छोटे निर्माणकार्य New Minor Works.....		
मूल्य ह्रास Depreciation.....	22.58	27.58
कुल / Total	**264.29**	**234.42**

Dy. Conservator
(With Statutory Powers of
FA & CAO)

वार्षिक लेखा 2021-22

ANNUAL ACCOUNTS 2021-22

31 मार्च 2022 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियाँ

SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2022

अनुसूची 8

SCHEDULE VIII

रेल्वे संचालन

RAILWAY WORKING

(₹. करोड़ में) / ₹. in crores

	2021-22	2020-21
रेल्वे माल डिब्बों आदि का परिचालन और अनुरक्षण Operation and maintenance of locomotives,wagons,etc.....	3.82	2.68
रेल्वेपथ सिग्नल और अन्तःपाशन का अनुरक्षण Maintainance of permanent way and signal and interlocking....	1.37	0.95
स्टेशन यार्डो और शार्डिंग परिचालन अनुरक्षण और प्रशासनिक व्यय Operation,maintainance and administration expenses of stations yards and sidings....	6.52	8.62
प्रशासन और सामान्य व्यय Administration & General Expenses.....	2.89	3.64
नये छोटे निर्माणकार्य New Minor Works.....		
मूल्य ह्रास Depreciation.....	0.85	0.86
कुल / Total	**15.45**	**16.75**

Dy. Conservator
(With Statutory Powers of
FA & CAO)

वार्षिक लेखा 2021-22

ANNUAL ACCOUNTS 2021-22

31 मार्च 2022 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियाँ

SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2022

अनुसूची 9

SCHEDULE IX

किराये योग्य भुमि एवं इमारते

RENTABLE LANDS AND BUILDINGS

(₹. करोड़ मे) / ₹. in crores

	2021-22	2020-21
आस्ति अनुरक्षण **Estate Maintenance**		
कर्मचारी निवास Staff Quarters.....	54.10	44.81
सामान्य सुविधाएं इमारते शेड और गोदाम General Facilities including maintenance of roads and other Buildings,Sheds and Godowns....	20.54	47.55
प्रशासन और सामान्य व्यय Administration and General Expenses.....	16.55	15.58
नये छोटे निर्माणकार्य New Minor Works.....	0.00	0.01
मूल्य ह्रास Depreciation.....	1.66	1.85
कुल / Total	**92.84**	**109.79**

Dy. Conservator
(With Statutory Powers of
FA & CAO)

31 मार्च 2022 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियाँ

SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2022

अनुसूची 10

SCHEDULE X

प्रबंधा और सामान्य प्रशासन

MANAGEMENT AND GENERAL ADMINISTRATION

(₹. करोड़ में) / ₹. in crores

	2021-22	2020-21
प्रबंधकीय और सचिविक व्यय Management and Secretarial expenses.....	93.00	86.31
लेखा विधि और लेखा परीक्षा Accounting and Auditing.....	34.61	32.48
कानूनी व्यय Legal expenses.....	6.50	5.15
श्रम और कल्याण व्यय Labour and Welfare expenses.....	95.78	85.18
चिकित्सा व्यय Medical expenses.....	56.68	55.74
भंडार रक्षण Store-keeping.....	14.26	14.66
प्रधान कार्यालय की इमारत पर व्यय Expenditure on Head Office building.....	1.82	1.55
टेलिफोन Telephone.....	0.50	0.56
इंजिनियरी और कारखाना प्रशासन और ऊपरी खर्च Engineering and Workshop administration and overheads	89.27	96.41
नये छोटे निर्माण-कार्य New Minor Works.....	0.32	0.31
मूल्य ह्रास Depreciation.....	5.14	4.68
कुल / Total	**397.88**	**383.04**

Dy. Conservator
(With Statutory Powers of
FA & CAO)

31 मार्च 2022 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियां

SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2022

अनुसूची 11

SCHEDULE XI

प्रचालन व्यय प्रकार

OPERATING EXPENDITURE BY TYPE

(₹. करोड़ मे) / ₹. in crores

	2021-22	2020-21
वेतन और मजदूरी / Salaries and Wages		
सामान्य / General	510.35	532.70
Salaries & Wages (Operational)	42.45	48.82
Salaries & Wages (R & M))	54.16	61.45
ओवरटाईम / Overtime	29.99	33.07
Piece Rate	0.45	0.42
पी.एल.आर / Productivity Linked Reward	7.00	10.00
छुट्टी की यात्र रिआयत / Leave Travel Concessions	0.29	0.60
मानदेय / Honorarium	0.12	0.10
स्कॉलरशिप / Scholarships	0.34	0.30
	645.15	**687.46**
भंडार / Stores		
सामान्य / General	0.74	1.20
गणवेश / Uniform	0.28	0.40
संयंत्र परिचालन, आदि / Operation of Plant, etc.(fuel expenditure)	32.79	21.99
मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs & Maintenance	1.17	1.52
	34.97	**25.11**
कार्यालय तथा प्रशासनिक व्यय / Office and Administrative Expenses		
स्टोर्स स्टेशनरी / Stores Stationery	0.83	0.67
पोस्टेज,तार फैक्स और कुरिअर / Postage, Telegraphs, Fax & Courier etc	0.18	0.04
यात्र व्यय / Travelling Expenses	0.21	0.13
लाइसेन्स शुल्क और रॉयल्टी / License fees & Royalty	0.04	0.01
फर्निचर और कार्यालयीन सामग्री / Furniture & Office Equipment	0.24	0.23
अन्य व्यय / Misc.Expenses	0.83	1.10
छोटे निमाण कार्य / Minor works	2.51	0.63
विश्वस्त को शुल्क / Trustee fees	0.01	0.01
मनोरंजन / Entertainment	0.00	0.01
किताबें तथा नियतकालिक / Books & Periodicals	0.01	0.01
कानुनी तथा व्यवसायिक प्रभार / Legal & Professional Charges	5.01	3.17
मुद्रण और प्रकाशन / Printing & publishing	0.01	0.07
कार्यालयीन मशीन किराया शुल्क / Office machine hire charges	0.20	0.18
प्रचार और विज्ञापन / Advertisement & publicity	0.32	0.27
लेखा परिक्षा और लेखा विद्या शुल्क / Audit fees & Accountancy	0.55	0.46
किराया दर और कर / Rent, Rates & Taxes	4.18	4.37
टेलिफोन / Telephone Charges	0.52	0.58
प्रशिक्षण और सेमिनार शुल्क / Training and seminars subscriptions	0.16	0.09
स्पोर्टस् क्लब वगैरा को अनुदान / Grants to Sports clubs etc.	0.40	3.20
खाद्य पदार्था की खरीदी / Purchase of Food stuff	1.01	1.65
गॅस / Gas	0.33	0.37
Arbitration Fees	0.41	0.99
INELIGIBLE ITC	3.83	
	21.79	**18.23**
Carried forward	**701.91**	**730.82**

31 मार्च 2022 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियाँ

SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2022

अनुसूची 11 (समाप्त)
SCHEDULE XI (Concld.)

(₹. करोड़ में) / ₹. in crores

	2021-22	2020-21
आगे लाया गयो / Brought forward	701.91	730.87
प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय / Operation and Maintenance Expenses		
मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs and Maintenance- Normal repairs	35.98	32.18
विशेष मरम्मत और अनुरक्षण आर एण्ड आर / Special Repairs and Maintenance - R & R works	17.69	17.91
गाड़ीयों का किराया शुल्क / Hire charges of vehicle	9.10	6.74
पाणी प्रभार / Water charges	17.01	46.43
विद्युत शक्ती / Electricity Power	18.44	18.07
वोट और लॉचेस का किराया / Hire of Boats, Tugs and Launches	44.40	29.38
ठेके के व्दारा निकर्षण / Maintenance dredging through contract	57.34	43.74
बिमा / Insurance	0.02	0.03
कामगार क्षतिपुर्ती अधिनियम के अनुसार अदायगी / Payments under Workmen's Compensation Act	2.29	0.20
जहाज मालिकों और मजदूरों के ठेकेदारों को भुगतान /Payments to Shippers & Contractors for labour	11.74	12.52
उपकर अधिनियम के तहत उपकर का भुगतान /Payment of cess under cess Act,1977		
परिचालन की सहमति के लिए / fees for consent to operate	0.00	0.00
आई एस ओ प्रमाणन के लिए खर्च / Expenditure incurred on ISO certification	0.13	0.01
Land Management		
चल स्टाक को हानी देय / Payments for damage to rolling stock & trunk		
संयंत्र और गिअर किराया / Hire of plant & gear	2.60	2.16
Survey Fees-Stevedoring		
Dry Docking Charges BPT Vessel	0.33	0.00
	217.07	**209.37**
सुरक्षा व्यय / Security Expenses		
केंद्रिय औदयोगिक सुरक्षा बल का खर्च / Expenditure of CISF	40.22	39.28
अन्य सुरक्षा संस्था / Other security agencies	5.71	4.88
	45.93	**44.16**
वैदयकिय व्यय / Medical Expenses		
स्टाइपेंड / Stipend	0.87	1.36
वैदयकिय भंडार / Stores- Medical	15.16	21.28
नविनीकरण शुल्क / Renewal charges for accrediation	0.00	0.03
वैदयकिय खर्चे की देयपूर्ती / Reimbursement of medical expenditure	2.68	1.55
बाहरी अस्पतालों को शुल्क देय / Charges paid to outside Hospitals	7.07	5.79
अन्य व्यय- चिकित्सा भत्ता / Other expenses- medical allowance to pensioners residing outside port city limit	2.74	2.94
निवृत्त कर्मचारीयों को वैदयकिय सेवा / Medical treatment given to retired employees	38.92	22.14
	67.44	**55.09**
मूल्य ह्रास / Depreciation		
मूल्य ह्रास / Depreciation	78.22	82.66
कुल / Total	**1110.57**	**1122.09**

Dy. Conservator
(With Statutory Powers of
FA & CAO)

31 मार्च 2022 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियाँ

SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2022

अनुसूची 12

SCHEDULE XII

वित्त और विविधा व्यय

FINANCE AND MISCELLANEOUS EXPENDITURE

(₹. करोड़ में) / ₹ in crores

	2021-22	2020-21
सेवा निवृत्ति उपदान सानुग्रह भुगतान और अन्य लाभ Retirement gratuities, ex-gratia payments and other benefits		
अनुमानित प्रोद्भूत दायिता के आधार पर पेंशन निधि में अंशदान -- Contribution to Pension Fund --	598.00	419.35
पेंशन और मृत्यू एवं सेवा निवृत्ति उपदान Contribution to Group Gratuity Fund	117.25	10.15
पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री / निपटान से लाभ Profit on disposal of capital asset trfd. To Capital Reserve		
कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के लिए निधि मे योगदान Contribution to fund for Corporate Social Responsibility (CSR)	2.86	3.80
ऐच्छिक सेवानिवृत्ती के अंतर्गत प्रतिपूर्ती Compensation payment under Special Voluntary Retirement Scheme		
बैंक कमिशन और प्रभार Bank Commission & Charges.....	0.05	0.16
अन्य Others (Port Property Insurance Premium).....	10.57	5.28
पूंजीपरिसंपतियो के निपटान से हुआ नुकसान Loss on Disposal of Capital Assets/Sale redemtion of Investment	0.07	3.95
पिछले वर्ष से संबंधित मद Items relating to previous years -		
मूल्य ह्रास Depreciation.....	0.00	3.34
राजस्व में से वापसी Refund out of Revenue	0.30	0.36
वेतन और मजदूरी Salaries and Wages (includes Arrears on account of Wage Revision)	4.88	2.45
अन्य Others.....	192.59	62.26
कुल / Total	**926.57**	**511.08**

Dy. Conservator
(With Statutory Powers of
FA & CAO)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां

I.	केंद्र सरकार ने महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के विधि मान्यता द्वारा महा पत्तनों को अधिकतर स्वायत्तता, लचीलापन प्रदान करने तथा उनके सुशासन को व्यवसायिक बनाने हेतु महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 को प्रतिस्थापित किया है.तद्नुसार मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने अपने नाम में दिनांक 31.01.2022 से 'मुंबई पत्तन प्राधिकरण' इस प्रकार परिवर्तन किया है. संख्या जीएडी/जी/एमपीए/1204 दिनांकित 25.03.2022 (न्यासी संकल्प संख्या-2 दिनांक 15.02.2022) द्वारा एक राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है.	
II.	**महत्वपूर्ण लेखा नीतियां :**	
	1.	पत्तन के प्रमुख कामों के अनुसार वित्तीय लेखों की प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से लेखा पद्धति तैयार की गयी.
	2.	प्रोद्भूत लेखा पद्धति के आधार पर ऐतिहासिक लागत प्रथानुसार वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं.
	3.	भूमि को छोड़कर परिसंपत्ति की हर श्रेणी के लिए सकल वहन राशि को निश्चित करने हेतु मुंपप्रा ऐतिहासिक लागत मॉडल का अनुसरण कर रहा है. बड़ी परियोजनाओं के विभिन्न घटकों को केवल संपूर्ण परियोजना को सम्पूरण करने के बाद ही उपयोग में लाया हुआ समझा जाता है तथा उपयोग में लाने की तिथि परियोजना के सभी घटकों के लिए एकसमान होगी. लागत से संचित मूल्यह्रास राशि घटाकर निकाली गई राशि पूंजी परिसंपत्ति है. लागत में किराया, शुल्क, कर तथा अधिग्रहण /निर्माण के समय हुए प्रासंगिक व्यय समाविष्ट है.
	4.	वस्तु सूची में कोई मूल्यह्रास अथवा कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता. संपत्ति-सूची को बुकों में दी लागत पर रखा जाता है.
	5.	आईपीआरसीएल शेयरों को छोड़कर मुंपप्रा के निवेश एफडीआरों तथा बांडो के रूप में है जिनपर नियत दर से ब्याज मिलता है. पोर्ट इन एफडीआरों या बांडो की खरीद बिक्री में लिप्त नहीं है, अतः निवेशों का मूल्य लागत पर लिया गया है.
	6.	स्ट्रेट लाइन पद्धति से मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है. परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल समय-समय पर जारी सरकारी मार्गदर्शी तत्वों के अनुसार नियत किया गया.
	7.	राजस्व निर्धारण: (ए) राजस्व का हिसाब लेखा- विधि के प्रोद्भूत आधार का अनुपालन कर किया जाता है. पोतभार गतिविधियों से प्राप्त होने वाली आय का हिसाब दी गई सेवा के पूर्ण होने के आधार पर किया जाता है. (बी) चल तथा अचल संपत्ति की बिक्री के मामले में, आय का हिसाब विक्रय कीमत की प्राप्ति पर किया जाता है. (सी) केवल बड़ी वस्तुएं जिनकी कीमत रु.5 करोड़ से अधिक है उनका हिसाब बिक्री संबंधी कार्यवाही के बाद वसूली सुनिश्चित होने के बाद आय के रूप में लिया जाता है जब कि अदावी माल की बिक्री होने पर माल के निकासी के बाद बिक्री से हुए राजस्व को हिसाब में लाया जाता है. (डी) विलंबित भुगतान तथा विवादास्पद दावों पर मूल राशि ब्याज की अंतिम वसूली में लगने वाली अनिश्चितता को देखते हुए उनको मूल राशि की प्राप्ति आधार पर इस खाते में लिया जाता है.

		(ई) भूखंडों को पट्टे पर देते समय प्राप्त हुए अग्रिम भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जा रहा है. भूमि को पट्टे पर दिए जाते वक्त प्राप्त एक ही बार प्रीमियम यदि कोई हो तो उसे राजस्व लेखा में लिया जाएगा.
	8.	डॉलर में आंका गया सभी भाड़ा जो भारतीय रुपयों में परिवर्तित कर भुगतान की तिथि को भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अथवा उनके सहयोगी अथवा कोई अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अनुसार बाजार क्रय दर पर निर्धारित डॉलर की भारतीय रुपयों में समराशि की अधिसूचना अनुसार महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (टैम्प) द्वारा विधिवत अनुमोदित दर- मानों (स्केल ऑफ रेट्स) के प्रावधानों के अनुसार वसूला जाता है.
	9.	सीएफएफआर में दिए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर, पोर्ट ने वित्तीय विवरणों में सरकारी अनुदानों के प्रस्तुतीकरण की निम्नलिखित पद्धति अपनाई है- "विशिष्ट नियत परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों को उस परिसंपत्ति के बही मूल्य को आँकने पर संबंधित परिसंपत्ति के सकल मूल्य से कटौती करके दर्शाया जाए". वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त अनुदानों का विस्तृत विवरण लेखों पर टिप्पणियों में क्र. सं.-12 पर दर्शाया गया है.
III.		**<u>लेखों पर टिप्पणियां</u>**
	1.	न्या.सं.सं. 18/06.04.2021 के पैरा (iii) के अनुसार यह निर्णय किया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु तथा भविष्य में वर्षों के लिए, कर बीजकों को केवल राजस्व निर्धारण की व्याप्ति तक उठाया जाए तथा तद्नुसार जीएसटी का भुगतान किया जाए तथा कर के अनंतिम मूल्यांकन के लिए संबंधित प्राधिकरणों को आवेदन करके निम्नतर किराया राशि से अनंतिम कर का भुगतान किया जाए तथा कानूनी सलाह के अनुसार उद्धृत इनवायसिंग की शर्तों का अनुपालन किया जाए.
	2.	जब तक ओसिटी परियोजना के पुनर्गठन पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता दिनांक 28. 09.2016 के न्यासी संकल्प संख्या 59 के अनुसार अपतट कंटेनर टर्मिनल (ओसीटी) को कार संवाहक की सम्हलाई के विकल्पी उपयोग को जारी रखने के लिए (दि. 30.03.2015 के न्या.सं. 26 द्वारा अनुमति थी) अनुमति प्रदान की गई है. उस समय तक बोर्ड द्वारा दिनांक 28.10.2015 की न्या.सं. 104 में अनुमोदित राजस्व हिस्से अर्थात मुंबई पत्तन प्राधिकरण को 72% तथा लायसेंसी को 28 % हिस्सा मिलने की वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी, यदि ईंदिरा कंटेनर टर्मिनल प्रा. लि. (आईसीटीपीएल) मुंबई पत्तन प्राधिकरण दर- मानों (एसओआर) के दर से भाड़ा उगाही करता है, तथा यदि आईसीटीपीएल मुंबई पतन प्राधिकरण की भाड़ा के 130% के दर पर भाड़ा ऊगाही करता है, तो राजस्व हिस्सा 55:45 होगा, अर्थात मुंबई पत्तन प्राधिकरण को 55% तथा आईसीटीपीएल को 45% होगा. हालांकि आईसीटीपीएल मुंबई पत्तन प्राधिकरण के दरमानों के 130% की दर से घाट किराया प्रभार तथा मुंबई पत्तन प्राधिकरण दरमानों के 100% के दर से घाट शुल्क की वसूली कर रहा है, दोनों परिस्थितियों में उनके द्वारा अदा किया जा रहा राजस्व हिस्सा 55% है. राजस्व हिस्से के रूप में 65.70 करोड की राशि वसूली गई तथा उसे वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पोतभार संबंधित आय इस खाते में लिया गया है.
	3.	पोर्ट ने दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ अपनी पोर्ट संपत्तियों की बीमा पॉलिसी को वर्ष के दौरान रु.15.27 करोड़ का बीमा प्रीमियम अदा करके दि. 11.10.2021 से दि. 11.10.2022 तक नवीकृत किया है. 01.04.2022 से 11.10.2022 तक की अवधि के लिए रु.6.88 करोड़ समानुपाती के

		बीमा प्रीमियम को भुगतान को पूर्वदत्त व्ययों हेतु प्रभारित किया गया है. उक्त के अलावा, अप्रैल 2021 में पोर्ट ने जेडी-5 परियोजना के लिए रु.68,82,037.00 के बीमा प्रीमियम का भुगतान किया है.
	4.	मुंबई पत्तन प्राधिकरण की संपत्तियों की दर निर्धार्य मूल्य का नियतन भारत सरकार द्वारा वर्ष 1964-1969 से लंबित है. अंतिम निर्णय होने तक, अनुरक्षण लागत पर बृहन्मुंबई महानगर पालिका (एमसीजीएम) का रु.34.26 करोड़ का दावा तथा मुंबई पत्तन प्राधिकरण का रु. 39.93 करोड़ का दावा बही खाते में नहीं लिया गया है. वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु एमसीजीएम को संपत्ति कर के बदले में सेवा प्रभार रु. 3.91 करोड़ प्रोदभूत है.
	5.	पोर्ट नें वर्ष 2020-21 के लिए निवल लाभ के 2% को वर्ष 2021-22 के दौरान 2.86 करोड रु. का अंशदान सीएसआर निधि में किया है तथा उसे प्राप्यों के रूप में दर्शाया गया है. सीएसआर निधि के कॉरपोरेट तरल मियादी जमा पर (सीएलटीडी) 0.30 करोड रु. का ब्याज अर्जित किया है. अर्जित किए गए ब्याज को प्राप्य राशि लेखा में समायोजित किया गया है.
	6.	लेखा मानक पद्धति 10 के अनुसार वर्ष के प्रारंभ में तथा वर्ष 2021-22 के अंत में परिवर्धन, विलोपन, निपटान, समायोजन आदि दर्शाते हुए अचल परिसंपत्तियों के कुल तथा निवल ब्लॉक दि. 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची-II में दिखाए गए हैं. वर्ष के दौरान किसी भी परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ है.
	7.	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्रगतिशील पुंजी कार्य में दिखाई गई 38.77 करोड़ की राशि को परिसंपत्तियों में अंतरित किया गया है.
	8.	वर्ष 2019-20 से निवल लाभ/कमी को वर्ष 2019-20 से पहले जैसा किया था वैसे राजस्व आरक्षित में प्रभारित करने के बजाय तुलन पत्र के परिसंपत्तियों की बाजू में दिखाया गया है.
	9.	निवेश संबंधी जानकारी जैसे कि उद्धृत तथा अन्- उद्धृत निवेश की कुल राशि दिनांक 31.03.2022 के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची-III में बताई गई है.
	10.	पूंजीगत परिसंपत्ति के निपटान पर लाभ के बराबर राशि को पूंजीगत रिजर्व विनियोग के जरिए अंतरित किया गया है.
	11.	विशिष्ट निधियों में किए गए निवेशों के संबंध में जैसा कि लेखा परीक्षा में दर्शाया गया है, यह बताया जाता है कि निवेश योग्य अधिशेष की उपलब्धता होने पर उसे विशिष्ट निधियों में अंतरित किया जाएगा. निधि और निवेशों में कमी है, जो निम्न विवरणित है.

(रु. करोड़ में)

विशेष विवरण	चिन्हित निधियों का शेष	तत्संबंधी किया गया निवेश	कमी
सामान्य रिजर्व निधि	41.81	4.50	37.31
अग्नि तथा मोटर बीमा निधि	140.15	0.00	140.15
युद्ध स्मारक निधि	0.02	0.00	0.02
पूंजीगत परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास तथा आधुनिकीकरण हेतु निधि	888.81	369.00	519.81
विकास, ऋणों की अदायगी तथा आकस्मिकताओं हेतु निधि	12.09	10.00	2.09
शताब्दी संस्मरण निधि (सीसीएफ)	14.20	9.00	5.20
अवकाश नकदीकरण निधि	0.00	0.27	-0.27
कर्मचारी कल्याण निधि	0.01	0.00	0.01
कूल	**1097.09**	**392.77**	**704.32**

12. परियोजना वित्तीयन:

ए) विभिन्न परियोजनाओं के लिए वर्ष 2021-22 में प्राप्त पूंजीगत अनुदान निम्नानुसार सारणीबद्ध है:

परियोजना	जिससे प्राप्त अनुदान	प्राप्त अनुदान (रु. करोड़ में)
मुंबई अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का आधुनिकीकरण	सागरमाला (पोत परिवहन मंत्रालय)	100.23
	पर्यटन मंत्रालय	18.75
मॅलेट बंदर मत्स्य बंदरगाह	मात्स्यिकी मंत्रालय	24.00
तृतीय रसायन पोतघाट	सागरमाला (पोत परिवहन मंत्रालय)	40.25
कान्होजी आंग्रे दीपघर के आसपास पर्यटन अवसंरचना का विकास	पर्यटन मंत्रालय	0.38
	कुल	**183.61**

नए दिशा निर्देशों के अनुसार अनुदान के रूप में प्राप्त हुई राशियों को एक अलग बैंक खाता में जमा किया जाना चाहिए. पोर्ट इस प्रक्रिया पर अमल कर रहा है.

(बी) जेडी-5 परियोजना के लिए साझा लागत के प्रति एचपीसीएल तथा बीपीसीएल से प्राप्त 44.00 करोड रु. की राशि की परियोजना की लागत से कटौती की गई है.

13. सभी नगण्य अग्रदाय की एसबीआई ई-झेड कार्डों के जरिए व्यवस्था की गई है. दिनांक 31.03.2022 को यथास्थिति एसबीआई ई-झेड के 88 कार्ड संबंधित विभाग के कर्मचारियों को उनके दैनंदिन व्यवहार के लिए जारी किए गए हैं. उक्त के अलावा सामग्री प्रबंधक तथा मुख्य यांत्रिक अभियंता द्वारा प्रबंध किए जानेवाले इंधन तथा खपत के अन्य मदों की तत्काल खरीद हेतु भारतीय स्टेट बैंक, मझगांव शाखा के साथ तीन अग्रिम खाते हैं.

14. भूमि मुद्रीकरण के बाद पर्याप्त निधि की वसूली की प्राप्ति के बाद, पेंशन निधि न्यास तथा ग्रुप-उपदान निधि न्यास की देयताओं को पूर्णत: उन्मोचित किया जाएगा.

15. आकस्मिक देयताएं :

(ए) विभिन्न न्यायालयों में मुंबई पत्तन प्राधिकरण के पक्ष में और उसके विरुद्ध विभिन्न विषयों पर रु.50.79 करोड़ तक राशी के विविध मुकदमें लंबित है.

(बी) यद्यपि पोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को देय भुगतान के प्रति रु.65.83 करोड़ की उपचित दायित्व हेतु प्रावधान किया है, महाराष्ट्र पुलिस ने रु. 129.58 करोड़ का दावा प्रस्तुत किया है. तथापि सटीक देयता अभी तक तय नहीं की गई है. मामले पर पत्राचार जारी है.

(सी) सेवा कर -

1. चुंगी के रूप में अक्टूबर 2007 से जनवरी 2013 तक उगाही पर कमीशन की बृहन्मुंबई महानगरपालिका से वसूली पर रुपए 21.19 करोड़ सेवा कर की तथा उस पर दंड की सहा. आयुक्त सेवा कर-1, मुंबई द्वारा उठाई गई मांग लंबित थी. दिनांक 19.06.2015 को मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा सेवा कर मांग के विरुद्ध एक अपील दायर की गई थी.

मामले की अभी सुनवाई शुरू हुई है. आगे "सबका विश्वास (वसीयत विवाद समाधान योजना)" योजना के तहत एमसीजीएम की धारण की गई जमा राशि से सेवा कर प्राधिकारीयों को रु.7,33,29,267.00 का भुगतान करके इसे प्रस्तुत किया गया है. "सबका विश्वास" मामले के समाधान के बाद अपिलीय न्यायाधिकरण ने मुंबई पत्तन प्राधिकरण/ एमसीजीएम के पक्ष में 23.07.2020 को आदेश पारित किया है.

		प्रदत्त सेवा कर की वापसी हेतु दावे/ इस मामले में आपत्ति सूचना (कॅविएट) दायर करने के लिए आगे कार्यवाही जारी है. सुधारात्मक उपाय के रूप में उच्च न्यायालयमें तथा उच्चतम न्यायालय में कॅविएट दायर किया गया है. 2. संपदा किराए पर रू. 31.88 लाख रुपए सेवा कर तथा रुपए 31.88 रु. दण्ड की अपर आयुक्त सेवा कर-1, मुंबई से प्राप्त मांग लंबित है अपील दायर की गई है और उसकी सुनवाई हुई है. अपील को एक आर्डर-इन-अपील द्वारा अस्वीकृत किया गया. इस आर्डर-इन-अपील के विरुद्ध सीइएसटीएटी के समक्ष अपील दायर किया गया है. मामला अभी तक सुनवाई के लिए नहीं आया है. 3. टर्मिनल प्रभारों पर आयुक्त अपील-1 से रु. 41.08 लाख तथा रु.1.05 लाख सेवा कर की मांग प्राप्त हुई है जो अभी लंबित है. 4. रु.1.23 करोड़ के समुद्री विभाग के सेवा कर आवेदन को अस्वीकृत किया गया है. इस मामले में वस्तु एवं सेवा कर अपील दायर किया जाएगा. (डी) अफकॉन्स मामले: जिसके द्वारा न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए पंचाट को रद्द किया गया, उस विवाचन याचिका संख्या 868 वर्ष 2012 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिनांक 23.12.2016 के आदेश के विरुद्ध एक वाणिज्यिक अपील दायर की गई है. उक्त पंचाट के तहत विद्वान विवाचक ने 12% प्रति वर्ष के दर से ब्याज के साथ दावेदार के पक्ष में रु.64,91,31,635/- की राशि प्रदान की. वर्तमान स्थिति:- अपील 13.04.2018 को दाखिल हुआ, अपीलकर्ता ने मुख्य अपील की अंतिम सुनवाई जल्द होने के लिए एक अंतरिम आवेदन संख्या 80 वर्ष 2021 फाइल किया है. अंतिम आवेदन पिछली बार 19.04.2022 को सूचीबद्ध हुआ था. जहां तक मुख्य अपील का संबंध है, वह अंतिम सुनवाई के चरण में है, तथा आज की तिथि को उसे कोई भी अगली तारीख नहीं दी गई है. (ई)एमजीटी मामले- एमजीटी को हासिल न किए जाने के कारण वसूली योग्य प्रभारों के मामले पर विवाद. वर्तमान स्थिति:- मंत्रालय के दिनांक 09.12.2020 के अनुमोदन को देखते हुए एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, केमिकल टर्मिनल ट्रॉम्बे लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड तथा हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के विरुद्ध विवाचन कार्यवाहीयों को वापस लेने का अनुरोध सॉलीसीटरों से किया गया. केंद्र सरकार द्वारा स्थापित सीपीएसई के विवादों को सुलझाने (एएमआरसीडी) हेतु प्रशासनिक यंत्रणा के समक्ष बीपीसीएल के विरुद्ध विवादों का निवारण. (एफ) आईसीटीपीएल तथा मुंबई पत्तन प्राधिकरण के बीच विवाचन:- परियोजना हेतु आईसीटीपीएल तथा मुंबई पत्तन प्राधिकरण के बीच निष्पादित 03.12.2007 के लाइसेंस करार के भंग के कारण उत्पन्न हुए क्षतियों/ हानियों के लिए दावे. विवाद में सम्मिलित राशी रु.2967.00 करोड़ रुपए है. वर्तमान स्थिति -

		दोनों पक्षों की ओर से जांच प्रमुख के बदले में शपथपत्र दायर करने के चरण में मामला है. तथापि सुलह वार्ता के चलते दोनों पार्टियों ने मामले के स्थगन के लिए संयुक्त अनुरोध किया है. माननीय न्यायाधिकरण को इस मामले पर स्थगन प्रदान करने में प्रसन्नता हुई, तथा तद्नुसार उसनें 23.04.2022 तक जांच प्रमुख के बदले में उनके शपथ पत्र दायर करने के निर्देश पार्टियों को दिए हैं. मौखिक साक्ष्य के लिए तारीखें तय करने के लिए अगली सुनवाई 25.04.2022 को तय हुई थी. उसे 25.05.2022 तक आगे बढ़ाया गया है. (जी) आरकेइसी तथा मुंबई पत्तन प्राधिकरण के बीच विवाचन :- यह दावा ओआईएसडी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अग्निशमन प्रणाली में सुधार के कारण अधिक अवधि के लिए ठहरने की वजह से, एमटी सोंगा टोपाज जहाज द्वारा क्षतियों के कारण अतिरिक्त मदों आदि के दरों में वृद्धि से संबंधित है. इसमें रु.83.19 करोड की राशि सम्मिलित है. वर्तमान स्थिति:- इस मामले में दलीलें और साक्ष्य पूर्ण हुई है. तर्क दिए जा चुके हैं, तथा पंचाट 24.02.2022 को सुरक्षित रखा गया है. (एच) मुंबई पत्तन प्राधिकरण तथा सोंगा टोपाज के बीच विवाचन:- मुंबई स्थित नये पिरपाव पोतघाट में निर्माणाधीन द्वितीय रसायन पोतघाट को दि. 28.09.2013 को हुई क्षति - कारोबार में हानि का मामला. इसमें रु.12.85 करोड़ की राशि सम्मिलित है. वर्तमान स्थिति:- मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने दावा बयान दायर किया है. मामला तय किया गया है. दिनांक 29.06.2022 से 02.07.2022 तक दावेदार के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग हेतु मामला रखा गया है. दिनांक 03.08.2022 से 06.08.2022 तक प्रतिवादी के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग हेतु मामला रखा गया है. दि. 14.09.2022 से 17.09.2022 तथा 20.09.2022 को अंतिम तर्क दिए जाने के लिए मामला रखा गया है. (आई) उच्च न्यायालय मामला- धारा 34-यूनाइटेड शिपर्स विरुद्ध मुंबई पत्तन प्राधिकरण- कॉम. आर्बी-याचिका संख्या 946 वर्ष 2019- निष्पादन प्रतिभूति जमा (पीएसडी) के प्रति जमा किए गए रु.1,49,00,000/- (एक करोड़ उन्चास लाख मात्र) की वापसी के लिए दावा. दावे को दिनांक 25.04.2019 के आदेश द्वारा खारिज किया गया है. वर्तमान स्थिति:- याचिका दाखिल होने के लिए लंबित है.
	16.	**<u>कराधान:-</u>** (ए) वस्तु तथा सेवा कर- (i) मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने अपने सभी वैधानिक देंयों तथा शुल्कों को नियत तिथि के अंदर धन प्रेषित किया है. (ii) मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना (एमटीएचएल परियोजना) के लिए एमएमआरडीए तथा मुंबई पत्तन प्राधिकरण के बीच प्रविष्ट पट्टेदारी के व्यवहार पर जीएसटी की प्रयोज्जता देखने के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने सीजीएसटी अधिनियम के तहत अग्रिम निर्णय प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दर्ज किया है. प्राधिकारी ने मुंबई पत्तन प्राधिकरण के पक्ष में एक आदेश पारित किया है कि मुंबई पत्तन प्राधिकरण जीएसटी के भुगतान में छूट पाने का हकदार है.

		(iii)वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए न्या.सं. 127 के अनुसार जिन्हें बिल दिया गया है ऐसे पट्टेदारो/किरायेदारों हेतु संपदा किराए पर जीएसटी वापसी के लिए दायर किया गया है तथा बिलिंग के अनुसार भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है. (iv)संपदा किरायों के संबंध में रु.87.92 करोड़ राशि के साख पत्रों को सितंबर 2021 महीने में दाखिल किया गया है.
		(बी) आयकर:- पिछले अवधि के लिए पोर्ट को प्रचंड घटा हुआ है, इस वर्ष आयकर हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है. (i) आयकर देयता के प्रति रु.41 करोड़ का प्रावधान वर्ष 2008-09 में किया गया था. च्यूंकि वर्ष 2008-09 के लिए आयकर देयता को शून्य निर्धारित किया गया है, इसलिए उसे वापस लिया गया है. (ii) "आस्थगित कर के लिए प्रावधान" हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 से लेखा नीति में बदलाव आया है. लेखा आपत्ति के प्रतिसाद में, मुंबई पत्तन प्राधिकरण को लगातार हो रहे घाटे के मद्देनजर आस्थगित कर के लेखा को जारी नहीं रखा गया है.वर्तमान वर्ष के दौरान च्यूंकि लाभ को संचित हानी के साथ प्रतिसंतुलित (सेट ऑफ) किया जाएगा, वही नीति जारी है. (iii) आयकर अधिनियम के अधीन निर्धारण की स्थिति- (iv) वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 10(20) में संशोधन से पत्तनों को स्थानीय प्राधिकरण के रूप में दी गई आयकर की छूट वापस ली गई, तथा वित्तीय वर्ष 2002-03 से आयकर अधिनियम,1961 के दायरे के अंतर्गत आ गये. इस तरह आयकर अधिनियम के प्रावधान जैसे अग्रिम कर अदा करना, कर की लेखा परीक्षा करवाकर आयकर विवरणी दायर करना, स्त्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) इत्यादि मुंबई पत्तन प्राधिकरण को लागू हो गए तथा समय-समय पर विधिवत अनुपालन किया जाता है. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 AA(1) बी(i) के अंतर्गत जारी दिनांक 08.09.2009 के पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर, मुंबई पत्तन प्राधिकरण को दिनांक 01.04.2002 से 'धर्मार्थ संस्था' के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई. तथापि आयकर निदेशक (छूट) ने उसके दि. 22.12.2011 के आदेश द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2009-10 के प्रभाव से उक्त पंजीकरण को वापस लिया है. इस आदेश के विरुद्ध आईटीएटी के समक्ष दायर किए गए अपील के प्रतिसाद में आईटीएटी ने 08.09.2009 को मंजूर किए गए पंजीकरण को बहाल करने का आदेश दिया है. आयकर अधिनियम की धारा 12 एबी के संशोधित प्रावधानों के आलोक में दिनांक 13.09.2021 को मुंबई पत्तन प्राधिकरण को एक धर्मादाय संस्था के रूप में पुर्नपंजीकरण करने हेतु एक आवेदन आयकर विभाग के समक्ष किया गया है. मुंबई पत्तन प्राधिकरण को दिनांक 01.10.2021 को कर निर्धारण वर्ष 2022-23 से कर निर्धारण वर्ष 2026-27 तक की अवधि के लिए एक "धर्मादाय संस्था" के रूप में धारा 12A(1)(एसी)(i) आयकर अधिनियम,1961 के तहत अनंतिम पंजीकरण प्राप्त हुआ है. वित्तीय वर्ष 2021-22 तक कर निर्धारण वर्ष 2017-18 (वित्तीय वर्ष 2016-17) तक का निर्धारण पूरा हुआ है. तथापि कर निर्धारण वर्ष 2017-18 तक के सभी मामले (कर निर्धारण वर्ष 2008-09 को छोड़कर) विभिन्न अपीलीय फोरमों मैं समक्ष है. उसी प्रकार कर निर्धारण वर्ष 2020-21 (वित्तीय वर्ष 2019-20)का निर्धारण एनएफएसी के समक्ष लंबित है.

(v) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मुंबई पत्तन प्राधिकरण को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 197 के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें पोर्ट उपभोक्ताओं पट्टेदारों एवं किरायेदारों तथा बैंकों/ वित्तीय संस्थानों को 15 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक प्रभावी 0.35% कि दर से कर की कटौती के लिए अधिकृत किया गया है.

17. सेवानिवृत्ति लाभ:-

(ए)पेंशन निधि, उपदान निधि तथा अवकाश नकदीकरण निधि के बिमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दि. 31.03.2022 के अनुसार प्रोद्भूत देयता निम्नलिखित है.

(रु. करोड़ में)

	बिमांकिक मूल्यांकन 31.03.2022 को	निधि (31.03.2022 को)	शेष (कम-निधियन)
पेंशन निधि	13323.66	8955.34	4368.32
उपदान निधि	557.63	38.83	518.80
अवकाश नकदीकरण निधि	221.87	0.00	221.87
कुल	**14103.16**	**8994.17**	**5108.99**

लेखा विधि मानक 15 के अनुसार तथा आयकर अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करते समय सेवानिवृत्ति के लाभों को वित्तीय विवरणों में अलग से दिखाया गया है.

(ए) एक अपरिवर्तनीय पेंशन निधि न्यास का सृजन 14.01.2004 को किया गया है. तथा यह आयकर आयुक्त से अनुमोदित है. पेंशन निधि में दिनांक 31.03.2022 के अनुसार शेष जमा राशि रु. 8955.35 करोड़ है, जबकि बिमांकिक मूल्यांकन राशी रु.13323.66 करोड़ है. व्यवहारों के लिए खाता बहीयों का रखरखाव किया जाता है. तथा अलग से अंतिम लेखा तैयार किया जाता है.

(बी) एक अपरिवर्तनीय उपदान निधि न्यास का सृजन उपदान देयता की व्यवस्था के लिए किया गया है, तथा निधियों में दिनांक 31.03.2022 के अनुसार शेष जमा राशि रु. 38.83 करोड़ है भारतीय जीवन बीमा निगम से बिमांकिक मूल्यांकन के अनुसार 31.03.2022 को कर्मचारियों के ग्रुप ग्रेजुइटी फंड की आवश्यकता 557.63 करोड रू. राशी की है. व्यवहारों के लिए खाताबहियों को रखरखाव किया जाता है तथा अलग से अंतिम लेखा तैयार किया जाता है.

(सी) दि. 01.01.2004 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि पत्तन के द्वारा संचालित की जाती है, तथा निधि में 31.03.2022 के अनुसार रु.1043.76 करोड़ की शेष राशि जमा थी.

(डी) एसबीआई लाइफ द्वारा किए गए बिमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अवकाश नकदीकरण निधि की देयता रु.221.87 करोड़ राशि की है.अवकाश नकदीकरण निधि को पूर्णत: उपयोग में लाया गया है और निधि के निवेश में 0.27 करोड रु. शेष है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में निधि का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जिसके आगे के अवकाश नकदीकरण के व्यय की व्यवस्था मुंबई पत्तन प्राधिकरण की राजस्व लेखा से की गई है.

18. राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) -

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए लागू की गयी है.बोर्ड ने दि. 13.09.2012 के न्यासी. संकल्प. सं. 88 के द्वारा मुंबई पत्तन प्राधिकरण में राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू करने को मंजूरी प्रदान की है. कर्मचारी का अंशदान

		तथा नियोक्ता के बराबर के अंशदान को वर्ष 2021-22 के दौरान पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को धन प्रेषित किया गया.
	19. 20.	वित्तीय वर्ष 2021-22 में बीमा दावे के निपटारे के लिए 18.97 लाख रु. की राशि पोर्ट को प्राप्त हुई है. महाराष्ट्र प्रदूषण मंडल (एमपीसीबी) के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा 3.26 करोड रु. की बैंक गारंटीयां जारी की गई है.
	21.	पोर्ट ने वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित संपत्तियों को पट्टे पर दिया है.- ए)कान्होजी आंग्रे द्वीप--पर्यटक गंतव्य के रूप में विकास,प्रचालन तथा अनुरक्षण बी)वडाला स्थित तुला चौकी (वे-ब्रिज) सी) तैरते भंडारण रिगैसीफिकेशन यूनिट.
	22.	परिसंपत्तियों को सक्रिय उपयोग से अलग करना- प्रबंधन की पत्र संख्या पीडी (एल)/सीए11/ अकाउंटस/ एमबीपीए/ 2020-21/346 दि. 15.03.2022 के पैरा सी(ii) के अनुसार सक्रिय उपयोग से अलग की गई तथा निपटान हेतु निर्धारित की गई परिसंपत्तियों को निवल बही मूल्य या निवल धनयोग्य मूल्य से कम बताया जाना है. निम्न परिसंपत्तियों को सक्रिय उपयोग से अलग किया गया है और उनके निपटान की कार्यवाही की जा रही है.

अ.क्र.	परिसंपत्ति का नाम	अर्जन मूल्य(रु.)
1	हिंडल हैमर ब्लाइंड वॉल ऑन ऑईल पाइप कनेक्शन, शिवडी, वडाला (778/161/45)	1.00
2	सॉल्ट वॉटर अग्निशमन पाइपलाइन 10" व्यास डॉकमास्टर कार्यालय के सामने एफओबी सॉल्ट वॉटर पंप हाउस (774/161/2)	1.00
3	योकोहामा न्युमीटीक रबर फेन्डर नं.18(744/235/23)	1.00
4	एम.एल. सफल तथा एम.एल. सहायक(731/221/35)	1.00
5	हारबर टग्ज एच.टी. अजय तथा एच.टी. अनंत (731/221/34)	1.00

	23.	अनुसूचिया तुलन पत्र और राजस्व लेखा का अभिन्न अंग है.

हस्ता/-
कॅप्टन भवतोष चंद
उप संरक्षक
जिन्हें वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के वैधानिक अधिकार प्राप्त है
___मै 2022

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2022

I	The Central Govt. vide enactment of the Major Port Authorities Act, 2021 has replaced the Major Ports Trusts Act, 1963 to provide greater autonomy, flexibility to the major ports and to professionalize their governance. Accordingly, the Mumbai Port Trust has changed its name to "MUMBAI PORT AUTHORITY" w.e.f 31.01.2022. A gazette notification has been issued vide No. GAD/G/MPA/1204 dated 25.03.2022. (TR No.2 of 15.02.2022)

II	SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	
	1.	The accounting system has been devised with a view to enabling presentation of financial accounts, in terms of the principal activities of the Port.
	2.	The financial statements are prepared under the historical cost convention and on the accrual basis of accounting.
	3.	MbPA is following historical cost model for determining the gross carrying amount for each class of asset except land. The different components of the big projects are deemed to be put in use only after the completion of the entire project and date of put to use will be uniform for all the components of the project. Capital Assets are stated at cost less accumulated depreciation. Cost is inclusive of freight, duties, taxes and incidental expenses incurred at the time of acquisition/construction.
	4.	No depreciation and no revaluation is done on inventory. The inventory is valued at cost in the books.
	5.	Investments of MbPA except IPRCL shares are in the form of FDRs and bonds which carry fixed rate of interest. Port is not involved in treading of these FDRs or bonds, hence, investments are valued at cost.
	6.	Depreciation is calculated on straight-line method. The useful lives of the assets have been fixed in terms of guidelines issued by Government from time to time.
	7.	Revenue recognition: a) Revenue is accounted by following accrual basis of accounting. Income arising from Cargo activities is accounted on completed service basis. b) In case of sale of movable and immoveable Assets, the income is accounted on receipt of sale price. c) Revenue from sale of unclaimed goods is accounted after clearance of goods on sale except major items costing above ₹.5 crore is accounted as income on attaining certainty of realization of sale proceeds. d) In view of the uncertainty involved in ultimate realization of principle amount, interest on delayed payment and disputed claims are accounted for on receipt of principle amount. e) Upfront payment received on leasing of land plots are being amortized over the lease period. One time premium if any received on leasing of land will be taken to revenue account.
	8.	All Dollar denominated tariff is recovered in Indian Rupees after conversion of charges prescribed in dollar into its equivalent Indian Rupees at the market buying rate on the date of payment notified by the Reserve Bank of India, State Bank of India or its associates or any other Public Sector banks as may be specified from time to time as per provisions of SOR duly approved by the TAMP
	9.	Based on the guidelines given in the CFFR, Port has adopted the following method of presentation of government grants in the financial statements: "Grants related to specific fixed assets, may be shown as a deduction from the gross value of the asset concerned in arriving at its book value." Details of the grants received during the year 2021-22 are disclosed at sr. No.12 in Notes to Accounts.

III		NOTES TO ACCOUNTS
	1	As per para (iii) of TR No.18/06.04.2021, it was decided that- *"For FY 2021-22 and for future years: the tax invoices* *- may be raised only to the extent of the recognition of the revenue and pay GST accordingly and to apply to concerned authorities for provisional assessment of tax and pay provisional tax at the lower rental amount and follow the conditions of invoicing mentioned as per legal advice."*
	2.	Permission is granted vide TR No.59 of 28.09.2016 for continuing alternate use of the OCT for handling of Car Carriers (allowed vide TR 26 of 30.03.2015) till final decision is taken about re-structuring of OCT Project. Till such time existing arrangement with revenue share as approved by the Board by TR 104 of 28.10.2015 is continuing i.e. 72% to MbPA and 28% to the Licensee, if ICTPL levies tariff @ MbPA SOR and if ICTPL levies tariff @ 130% of tariff of MbPA, revenue share would be 55:45 i.e. 55% to MbPA and 45% to ICTPL. Though ICTPL is levying Berth Hire charges @ 130% of MbPA SOR and Wharfage @100% of MbPA SOR, the revenue share paid by them under both the scenario is 55%. An amount of ₹.65.70 crore is realized as revenue share and has been accounted for in cargo related income during the year F.Y.2021-22.
	3.	The Port has renewed its insurance policy of port properties with The New India Assurance Co. Ltd. from 11.10.2021 till 11.10.2022 for an insurance premium of ₹.15.27 crore (including GST) paid during the year. Appropriate ITC on GST (₹.2.32 Crore) has been claimed. Amount of proportionate insurance premium of ₹.6.88 crore paid for the period from 01.04.2022 to 11.10.2022 has been charged to the pre-paid expenses. In addition to above, in April 2021, the port has paid insurance premium of ₹.68,82,037.00 for JD 5 Project.
	4.	The fixation of rateable value of MbPA properties by Govt. of India is pending since 1964-1969. Pending finalization, the claim of MCGM for ₹.34.26 crore and the claim of MBPA of ₹.39.93 crore against maintenance cost is not accounted in the books. Service charges (₹.3.91 crore) in lieu of property Tax payable to MCGM for F.Y.2021-22 have been accrued.
	5.	i) The Port has made contribution of ₹.2.86 crore in CSR fund during the year 2021-22 being 2% of net profit for the year 2020-21 and the same has been adjusted against the receivables. ii) Interest of Rs.0.30 Cr. earned on the CLTD of CSR has been adjusted against the receivable account.
	6.	Gross and net block of fixed assets at the beginning of the year and at the end of the year 2021-22 showing additions, deletions, disposals, adjustments etc. have been disclosed in the Schedule II to Balance Sheet as on 31.03.2022 in terms of Accounting Standard 10. During the year, no asset was revalued.

III	NOTES TO ACCOUNTS
7.	During F.Y.2021-22 amount of ₹.38.77 crores appearing in Capital Work in Progress is transferred to Assets.
8.	From the year 2019-20, net profit / deficit is shown on the Asset side of the balance sheet instead of charging the same to Revenue Reserves as was done prior to 2019-20.
9.	Information relating to investments viz. aggregate amount of quoted and non-quoted investment has been disclosed in the Schedule III to Balance Sheet as on 31.03.2022.
10	Amount equivalent to profit on disposal of Capital Assets has been transferred to Capital Reserve through appropriation.
11	As pointed out in audit as regards the investments against the specific funds it is stated that on availability of investible surplus it will be transferred to the specific funds. There is shortfall in fund and investments as detailed below:

(Rs. in crore)

Particulars	Balance of the earmarked funds	Investment made thereof	Shortfall
General Reserve Fund	41.81	4.50	37.31
Fire & Motor Insurance Fund	140.15	0.00	140.15
War Memorial Fund	0.02	0.00	0.02
Fund for RRM of Capital Assets	888.81	369.00	519.81
Fund for DRLC	12.09	10.00	2.09
Centenary Commemoration Fund (CCF)	14.20	9.00	5.20
Leave Encashment Fund	0.00	0.27	-0.27
Employees Welfare Fund	0.01	0.00	0.01
Total	1097.09	392.77	704.32

12. Project Financing:

a) Capital Grants received during 2021-22 towards various projects are tabulated below:

Project	Grant Received from	Grant Received (Rs. in Cr.)
Modernization of Mumbai International Cruise Terminal	Sagarmala (Ministry of Shipping)	100.23
	Ministry of Tourism	18.75
Mallet Bunder Fishing Harbour	Ministry of Fisheries	24.00
Third Chemical Berth	Sagarmala (Ministry of Shipping)	40.25
Development of Tourism infra alongside KALH.	Ministry of Tourism	0.38
	TOTAL	**183.61**

As per new guidelines, amounts received as grants to be parked in a separate Bank account. The port is in process of doing so.

b) An amount of Rs. 44.00 Cr. received towards cost sharing for JD 5 project from HPCL & BPCL has been deducted from the cost of the project.

III		NOTES TO ACCOUNTS
	13	All petty Imprest are managed through SBI EZ Cards. 88 SBI-EZ Cards have been issued to the concerned department's staff to carry out their day to day transactions as on 31.3.2022. In addition to above, there are three imprest accounts with SBI, Mazgaon Branch for the purpose of urgent purchase of fuel and other items of consumption managed by the Materials Manager and the Chief Mechanical Engineer.
	14	The liabilities of PFT and GGFT will be discharged fully after receipt of sufficient funds realised after land monetization.
	15	**Contingent liabilities** (a) Law suits amounting to ₹.50.79 crore on various subject matters for and against MbPA are pending in various courts. (b) Though the Port has provided for the accrued liability of Rs. 65.83 crore towards payment due to Maharashtra Police, the Maharashtra Police has raised the claim for Rs.129.58 crore. However, the exact liability is not yet crystalized. The matter is under correspondence. (c) **Service Tax** 1. A Demand of Rs.21.19 crore plus penalty thereon for the period from Oct 2007 to Jan 2013 raised by Asstt commissioner, ST-1 Mumbai for service tax on commission recovered from MCGM for collection of octroi was pending. An appeal was filed by MbPA against this Service Tax demand on 19.06.2015. The matter had come up for hearing. Further, the same had been submitted for "Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution Scheme") by making a payment of ₹.7,33,29,267/- to Service Tax Authorities from deposits retained of MCGM. After resolution of matter under Sabka Vishwas, ***The Appellate Tribunal has passed an order in favour of MbPA/MCGM on 23.7.2020. Further action for claiming refund for Service tax paid/ caveat filing in the matter is being taken.*** As a corrective measure caveat has been filed in High Court and Supreme Court. 2. A demand of Rs.31.88 lakh plus penalty of Rs.31.88 lakh for Service Tax on Estate rentals received from Addl. Commissioner, Service Tax, Mumbai is pending. Appeal is filed and came up for hearing. The appeal was rejected by an order-in-appeal. Appeal has been filed before CESTAT against this order-in-appeal. The matter has not come up for hearing. 3. Demand of Rs.41.08 lakhs and Rs.1.05 lakhs for service tax on Terminal charges received from Commissioner (Appeals)-I for service tax, Mumbai are pending. 4. Rejection of S.T. application of Marine Department of Rs.1.23 crores. GST appeal will be filed in this case. (d) **AFCONS matters:** The Commercial Appeal is filed against order dated 23.12.2016 passed by Hon'ble High Court in Arbitration Petition No.868 of 2012, whereby the award passed by Justice Mr. P.N. Bhagawati, Retd. Chief Justice of India, Supreme Court was set aside. Under the said Award, the Learned Arbitrator, in favour of the Claimant awarded a sum of Rs.64,91,31,635/- together with interest at the rate of 12% per annum.

Present status:

The Appeal stands admitted on 13.04.2018. The Appellant has filed an Interim Application No.80 of 2021 for the purpose of expediting the final hearing of the main Appeal. The Interim Application was last listed on 19.04.2022. As far as the main appeal is concerned, the same is at the stage of final hearing and no next date is assigned to the same as on date.

(e) **MGT matters**

Dispute on the issue of charges recoverable on account of non-achievement of MGT.

Present status:

Requested the solicitors to withdraw arbitration proceedings against Aegis Logistics Ltd., Chemical Terminal Trombay Ltd., Tata Power Co. Ltd. and Hindustan Petrolium Corporation Ltd. in view of approval of Ministry dated 09.12.2020.

Against BPCL for redressal before the Administrative Mechanism for Resolution of CPSEs Disputes (AMRCD) set up by Central Government.

(f) **Arbitration between ICTPL and MbPA**

Claims for damages/losses caused on account of breaches of License Agreement dated 03.12.2007 executed between ICTPL and MbPT for the project. Sum involved in dispute is Rs.2967.00 Crore.

Present Status:

The matter is at the stage of filing of Affidavit in lieu of examination in chief on behalf of both parties. However, due to the ongoing settlement negotiations, the parties have made a joint request for adjournment of the matter. The Hon'ble Tribunal was pleased to grant an adjournment in the matter and has accordingly directed the parties to file their Affidavit in lieu of examination in chief by 23.04.2022. Next hearing was fixed on 25.04.2022 for fixing dates for oral evidence. It has been further extended to 25.05.2022.

(g) **Arbitration between RKEC and MbPA**

The claim pertaining to the idling charges due to extended stay, owing to revision of the firefighting system complying with the OISD guidelines, increased rates for the extra items etc. due to damages by vessel M.T. Songa Topaz. The amount involved is Rs.83.19 Crores.

Present Status

The pleadings and evidence in the matter are complete. Arguments concluded and award reserved on 24.02.2022.

(h) **Arbitration between MbPA and Songa Topaz**

Damage to Second Chemical Berth under construction at New Pirpau Jetty at Mumbai on 28.09.2013 - Loss of business issue. The amount involved is Rs.12.85 Crores

Present Status:

MbPA has filed Statement of Claim. Issue settled. Posted for recording Claimant's evidence from 29.06.2022 to 02.07.2022. Posted for recording Respondent's evidence from 03.08.2022 to 06.08.2022. Posted for final arguments from 14.09.2022 to 17.09.2022 and 20.09.2022.

(i) **High Court matter – Section 34 – United Shippers v MbPA – Comm. Arb. Petition No. 946 of 2019**

Claim for refund of Rs.1,49,00,000/- (Rupees One Crore Forty Nine Lakh only)

deposited towards Performance Security Deposit (PSD). Claim was dismissed vide order dated 25.04.2019

Present Status

The petition is pending for admission.

16. Taxation:

(a) **Goods and Services Tax**

(i) Mumbai Port Trust has remitted all its statutory dues and duties within due date

(ii) MbPA has filed an application before Authority of Advance Ruling under the CGST Act, to seek applicability of GST on transaction of leasing entered between MMRDA and MbPA for the Mumbai Trans Harbour Link Project (MTHL Project). The Authority has passed an order favouring MbPA that MbPA is entitled to exemption from payment of GST.

(iii) GST Refund has been filed on Estate Rentals for those lessees/tenants who are billed as per TR-127 for F.Y. 2019-20 and payment is not received as per billing.

(iv) Credit notes amounting to Rs.87.92 crore w.r.t Estate Rentals has been raised in the month of September 2021

(b) **Income Tax:**

The Port has reported huge losses for the previous period, no provision has been made for Income Tax this year.

(i) A provision of Rs. 41.00 Cr. was made in 2008-09 towards Income Tax liability. The same has been reversed as the tax liability for 2008-09 was assessed as Rs. Nil.

(ii) Since FY 2018-19 there was change in accounting policy for 'Provision for Deferred Tax'. The accounting of deferred tax has been discontinued in response to the Audit objection raised considering the continuous losses incurred by MbPT. During the current year since the profit will be set off with the accumulated losses, the same policy continued.

(iii) Status of Assessments under the Income Tax Act.

(iv) With amendment in section 10(20) in Finance Act,2002 exemption of Income Tax allowed to Ports as 'Local Authority' was withdrawn and Ports came under the purview of Income Tax Act,1961 from the financial year 2002-03. As such the provisions of Income Tax Act viz. payment of Advance Tax, filing of return of Income by conducting Tax Audit, TDS, etc. became applicable to MbPT and duly complied with from time to time.

Pursuant to obtaining the registration certificate dated 08/09/2009 issued u/s 12AA (1)(b) (i) of I.T. Act, 1961, MbPT got the status as a 'Charitable Institution' w.e.f. 1/04/2002. However, the Director of Income Tax (Exemp) by his order dated 22/12/2011 had withdrawn the said registration w.e.f. A.Y.2009-10. In response to the appeal filed with ITAT against the order, ITAT has issued an order restoring the registration granted on 8/9/2009.

In light of amended provisions of section 12AB of Income Tax Act, An application has been made with Income Tax Department on 13.09.2021 for re-registration MbPA as 'Charitable Institution'. MbPA got the provisional registration as a 'Charitable Institution' u/s 12A (1)(ac)(i) of I.T. Act, 1961 on 01.10.2021 for the period AY 2022-23 to AY 2026-27.

III	NOTES TO ACCOUNTS

Till F.Y.2021-22, the assessments upto AY 2017-18 (F.Y 2016-17) have been completed. However all the cases upto AY 2017-18 (except A.Y.2008-09) are at the various appellate forums. Similarly, for AY 2020-21 (FY 2019-20) assessments pending before NFAC.

(v) For the F.Y.2021-22, MbPA has received certificates u/s 197 of Income-Tax Act, 1961 authorising the Port users, leases & tenants and Banks/Financial Institutes to deduct Tax @ 0.35% applicable w.e.f. 15th June, 2021 to 31st March, 2022.

17. Retirement Benefits:

(a) Based on actuarial valuation of Pension Fund, Gratuity Fund and Leave Encashment Fund, the accrued liability as on 31.03.2022 stood as follows:

(₹ In Crores)

	Actuarial Valuation As on 31.3.2022	Fund As on 31.3.2022	Balance (Short –Funding)
Pension Fund	13323.66	8955.34	4368.32
Gratuity Fund	557.63	38.83	518.80
Leave Encashment	221.87	0.00	221.87
Total	**14103.16**	**8994.17**	**5108.99**

In accordance with Accounting Standard 15 and complying with the provisions of Income Tax Act the retirement benefits are separately shown in the financial statements.

a. An irrevocable Pension Fund Trust has been created on 14.1.2004 and is approved by the Income Tax Commissioner. The balance in Pension Fund as on 31.3.2022 stood at ₹.8955.35 Crore as against the actuarial valuation of ₹.13323.66 Crore. Books of accounts are maintained for the transactions and separate final accounts are prepared.

b. An irrevocable Gratuity Fund Trust has been created to manage the gratuity liability and the fund balance as on 31.3.2022 stood at ₹.38.83 Crore. As per actuarial valuation from LIC, the requirement of Employees Group Gratuity Fund amounts to ₹.557.63 Crore as on 31.03.2022. Books of accounts are maintained for the transactions and separate final accounts are prepared.

c. The General Provident Fund of the employees created before 01.01.2004 is managed by the Port and the fund balance stood at ₹.1043.76 Crore as on 31.03.2022.

d. As per the actuarial valuation done by SBI Life the liability of Leave Encashment Fund amounts to Rs.221.87 Cr. Leave Encashment Fund has been fully utilised and there is balance of Rs.0.27 Cr. in investment of the fund. No further funding has been made to the fund during the current financial year and the expenditure on leave encashment fund is met from Revenue Account of MbPA.

III	NOTES TO ACCOUNTS
18.	**National Pension System:** National Pension System (NPS) introduced by the Central Govt. is made applicable to the employees who have been recruited on or after 01.01.2004. Board by TR No. 88 of 13.09.2012 accorded sanction for implementation of NPS in MbPA Employees' contribution and Employers matching contribution was remitted to PFRDA during 2021-22.
19.	In F.Y. 2021-22 port has received an amount of Rs.18.97 lakh towards settlement of insurance claims.
20.	Bank Guarantees amounting to ₹3.26 crore have been issued by MbPA in favour of Maharashtra Pollution Control Board (MPCB)
21.	The port has given the following properties on lease during the year 2021-22. a) Kanhoji Angre Island- Development, operation and maintenance as tourist destination. b) Weigh Bridge at Wadala c) Floating Storage Regasification Unit
22	Assets retired from active use- As per para C (ii) of the management letter No. PD(S)/CA.II/Accounts/MbPA/2020-21/346 dated 15.03.2022 Assets retired from active use and held for disposal are to be stated at the lower of net book value or net realizable value. The following assets have retired for active use and action is being taken for their disposal.

Sl. No.	Name of the asset	Acquisition Cost (Rs.)
1	Hindel Hammer Blind Valves on oil pipe connection, Sewri -Wadala (778/161/45)	1.00
2	Salt water firefighting pipeline 10" dia. – FOB Salt water pump house to front side of Dock Master's office (774/161/2)	1.00
3	Yokohama Pneumatic Rubber Fender No.18 (744/235/23)	1.00
4	M.L. 'SAFAL' AND M.L. 'SAHAYAK' (731/221/35)	1.00
5	Harbour Tugs H.T.'AJAY' & H.T.'ANANT' (731/221/34)	1.00

23.	The schedules form an integral part of the Balance Sheet and Revenue Account.

(Capt. Bhabatosh Chand)
Dy. Conservator
(having statutory power of F.A&C.A.O)
____ May 2022.

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण, मुंबई के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार और सेवा शर्ते) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन मुंबई पत्तन प्राधिकरण (मुंपप्रा) की 31 मार्च 2022 के संलग्न तुलन पत्र और उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि लेखा कि लेखा परीक्षा की है. इस वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी बोर्ड के प्रबंधन की है. हमारी जिम्मेदारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है.

2. इस पृथक लेखा परीक्षा पद्धति (एसएआर) पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों का समावेश है जो सिर्फ बेहतर लेखा पद्धति के अनुपालन सहित वर्गीकरण, लेखा मानक तथा प्रकटिकरण मानदंडों, आदि के संबंध में है. विधि, नियम तथा विनियम (उपयुक्तता तथा नियमितता) के अनुपालन और सक्षमता-सह- निष्पादन पहलुओं, आदि के संबंधी वित्तीय लेन-देनों पर लेखा परीक्षा अवलोकन, यदि है, जांच रिपोर्ट / नियंत्रक एवं महालेखा के लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिए अलग से दीये गए हैं.

3. भारत में सामान्यत: स्वीकृत मानकों के अनुसार हमने लेखा परीक्षा की है. इन मानकों में यह आवश्यक है कि हम लेखा परीक्षा इस प्रकार नियोजित तथा संपन्न करें जिससे हमें पर्याप्त आश्वासन प्राप्त हो कि वित्तीय विवरण वस्तुगत गलत कथनों से मुक्त है. वित्तीय विवरणों में दिए गए प्रकटीकरण और राशियों के समर्थन में प्रस्तुत किए गए सबूतों को परीक्षण आधार पर जांच करने का समावेश है. लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा पद्धति सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के निर्धारण एवं साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति के मूल्यांकन का भी समावेश है. हम विश्वास रखते हैं कि, हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार देती है.

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए हमारे अधिकतम विश्वास और जानकारी के लिए आवश्यक थी.

(ii) इस रिपोर्ट के संबंधित तुलनापत्र तथा लाभ और हानि लेखा महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44(1) के अधीन बोर्ड द्वारा अनुमोदित फॉर्मेट में तैयार किए गए हैं.

(iii) जहां तक ऐसें बुकों की हमारी जांच का संबंध है, हमारी राय में महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44(1) के अधीन आवश्यकता के अनुसार लेखा बुकों को और अन्य संबंधित रिकार्ड को मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा उचित रूप में रखा गया है.

(iv) हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि:

ए. ए.तुलन पत्र
निधियों का स्त्रोत
आरक्षित तथा अधिशेष (अनुसूची-I)

ए.1 राजस्व आरक्षित – 187.99 करोड़

ए.1.1 सामान्य आरक्षित- 41.81 करोड़

महा पत्तनों की की वित्तीय रिपोर्टिंग के सामान्य ढांचे (सीएफएफआर) के अनुसार लाभ और हानि लेखा को नामें शेष को अनिर्दिष्ट आरक्षित (जिसे सामान्य आरक्षित के रूप में भी उल्लेखित किया जाता है) से काटा जाना चाहिए |
पोर्ट ने तुलन पत्र की परिसंपत्ति की बाजू में रु.350.92 करोड़ लाभ और हानि खाते में नामें शेष तथा तुलन पत्र की देयता की बाजू में रु.41.81 करोड़ 'सामान्य आरक्षित' दिखाया है| पोर्ट को 'सामान्य आरक्षित' में उपलब्ध राशि से 'लाभ और हानि खाता के नामें शेष' को समायोजित करना चाहिए था तथा केवल बाकी राशि परिसंपत्ति की बाजू में अर्थात रु.309.11 करोड(रु. 350.92 करोड़ में से रु.41.81 करोड़ घटा कर) दिखाना था| दो आंकड़ों को समायोजित ना करने के परिणामस्वरुप 'लाभ और हानि लेखा को नामें शेष' को तथा 'सामान्य आरक्षित' को रु.41.81 करोड़ से बढ़ाकर बताया गया|
यद्यपि उक्त अवलोकन लेखा परीक्षा द्वारा 2017-18 से उठाया जा रहा है और पोर्ट प्रबंधन द्वारा उस पर अभी सुधारात्मक कार्यवाही की जानी है|

ए.2 सांविधिक आरक्षित निधि- रु.900.90 करोड़

ए.2.1 कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि- कुछ नहीं

इसमें वर्ष के दौरान से सीएसआर निधियों के लिए किया गया अंशदान रु.2.86 करोड़ (वि. वर्ष 2020-21 के रु.95.03 करोड़ के शुद्ध लाभ का 3%) को अंशदान का समावेश नहीं है|
मुं.प.प्रा. ने टाटा मेमोरियल अस्पताल से प्राप्य रु.16.67 करोड़ की कल्पित आय के प्रति रु.2.86 करोड़ की सीएसआर देयता समायोजित की है|
इसके परिणामस्वरूप सीएसआर देयताओं (निधि) को घटाकर बताया गया तथा हानि रु.2.86 करोड़ कम बताई गई है|

ए.3 चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम
चालू परिसंपत्तियां :

ए.3.1. वस्तुसूचियां-रु. 4.38 करोड़ लेखा पद्धति नीति नं. 4 के साथ पठित

लेखो में प्रकट की गयी महत्वपूर्ण लेखा पद्धति नीति के अनुसार (मद सं.4) वस्तुसूची पर कोई भी मूल्यह्रास तथा कोई भी पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है और बहीयोमें वस्तु सूची लागत पर ली जाती है| नीति सीएफएफआर से भिन्न है जिसमें यह अनुबद्ध किया गया है कि वस्तुसूचियों निम्नतर भारित और लागत अथवा नकदीकरण मूल्य पर मूल्यांकन किया जाए| इस प्रकार लेखा परीक्षा वस्तुसूचियों के मूल्य की वस्तु सूचियों के मूल्य की यथार्थता (रु.4.38 करोड़) तथा लाभ और हानि खाते में दिखाए गए परिणामी प्रभाव के बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ है|
वर्ष 2017-18 से इसी प्रकार का अवलोकन लेखा परीक्षा द्वारा उठाया जा रहा है| तथापि, सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है|

ए.3.2. विविध कर्जदार-रु.3311.47 करोड़ (अनुसूची-IV)

ए.) विविध कर्जदारों के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग के सामान्य ढांचे (सीएफएफआर) को पोर्ट द्वारा कुछ हद तक पालन नहीं किया गया है, जो निम्नवत है:
(i) अशुद्ध तथा संदेहास्पद दोनों के लिए प्रावधान करने संबंधी लेखा पद्धति नीति नहीं बनाई गई है तथा उसका खुलासा नहीं किया है, इस प्रकार लेखा परीक्षा द्वारा संदेहास्पद ऋणों की प्रदान की गई राशि(रु.20.26 करोड) की पर्याप्तता अथवा अन्य रूप से टिप्पणी करने में असमर्थ है|
(ii) 'शोध्य समझे गए तथा पूर्णत: सुरक्षित ऋण','शोध्य समझे गए परंतु असुरक्षित ऋण' तथा 'संदेहास्पद अथवा अशोध्य समझे गए ऋण' जैसे विविध कर्जदारों को विभाजित कर ब्यौरा नहीं दर्शाया गया है|

बी) पोर्ट ने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) को 7150.23 वर्ग मीटर मापन की भूमि दिनांक 1 मार्च 1972 से 28 फरवरी 2002 तक की अवधि के लिए पट्टेपर दी थी| भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों टैंक फार्म पर निर्धारित भंडार मूल्य रुपए 2.87 करोड़ पर कब्जा प्राप्त करने तथा आरसीएफ से वसूली योग्य रुपए 6.69 करोड़ के बकाया राशि से समायोजित करने का बोर्ड ने निर्णय लिया था (दि.9 जनवरी

2018)| यद्यपि आरसीएफ परिसंपत्तियों सौप दी है, कोर्ट ने आरसीएफ से प्राप्त बकायों की राशि समायोजित नहीं की थी| अतः विविध कर्जदारों की राशी रु.2.87 करोड़ बढ़ाकर कहीं गई है|

सी) हालांकि उक्त अवलोकन वित्तीय वर्ष 2020-21 की पृथक परीक्षा रिपोर्ट में लेखा परीक्षा द्वारा उठाया गया था और प्रबंधन ने कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है|

संपदा किराए –रु.2474.21करोड़ संपदा विभाग से प्रस्तुत संपदा किरायों के बिल बकाया स्तिथि दिनांक 31 मार्च 2022 को रु.2563.97 करोड़ का बकाया राशि दर्शाते हैं, तथापि वार्षिक लेखों में विविध कर्जदारों के अधीन रु.2474.21 करोड़ चित्रित किया गया है, जिससे रु.89.76 करोड का अंतर बढ़ता है|

इसके परिणाम स्वरूप विविध कर्जदारों की राशि रु.89.76 करोड घटाकर बताई गई है तथा उसी हद तक हानि को बढ़ाकर बताया गया है|

ए.4. चालू देयताएं तथा प्रावधान- रु.5312.05 करोड़

चालू देयताएं

ए.4.1 सीएफएफआर के अनुसार, यदि सेवानिवृत्ति के लाभों की देयता का वित्त पोषण एक न्यास के सृजन के माध्यम से किया जाता है, तब वर्ष के दौरान लागत का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाएगा| मुं.प.प्रा. ने पेंशन निधि, उपादान निधि तथा अवकाश नकदीकरण निधि के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किया है जैसे कि नीचे दिया गया है :

(रु. करोड़ में)

निधि का नाम	बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2022 को प्रदान की जाने वाली देयता	दि.31 मार्च 2022 के अनुसार शेष राशि	कमी
1	2	3	4
पेंशन निधि	13323.66	8955.34	4368.32
उपादान निधि	557.63	38.83	518.80
अवकाश नकदीकरण निधि	221.87	--	221.87
कुल	**14103.16**	**8994.17**	**5108.99**

परिणाम स्वरूप चालू देयताओं को रु.5108.99 करोड़ कम बताया गया तथा तदनुरूप हानि को कुछ हद तक कम बताया गया है|

यद्यपि वर्ष 2012-13 से उक्त कमियों को लेखा परीक्षा में दर्शाया जा रहा है| तथापि पोर्ट प्रबंधन ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है|

ए.4.2. विविध लेनदार-रु3730.60 करोड़

उपार्जित व्यय रु.203.19 करोड़

उपरोक्त में बृ.मुं.म.पा. के संबंध में देय रु.42.02करोड़ के संपत्ति कर का समावेश नहीं है | मुं.प.प्रा. वर्ष 1995-96 तक बृ.मुं.म.पा.से वसूले जाने वाली अनुरक्षण लागत (गोदी क्षेत्र के अंदर सड़कों, व्हार्फों आदी के रखरखाव के लिए) से समायोजित करते हुए संपत्ति कर का भुगतान कर रहा था| वर्ष 1995-96 में बृ.मुं.म.पा. ने संपत्ति कर से अनुरक्षण लागत के मामले को हटाने (डी लिंक) का अनुरोध किया था, जिसे मुं.प.प्रा. ने मान लिया था|

संपत्ति कर के बदले में रु.4.87 करोड़ प्रति वर्ष की दर से (मुं.प.प्रा. की संपत्ति के कर योग्य मूल्यों पर आधारित) बृ.मुं.म.पा. सामान्य प्रभारों का दावा करती है| तथापि मुं.प.प्रा. का संपत्ति कर रु.3.91करोड़ प्रतिवर्ष मात्र की दर से अनुरक्षण लागत के संबंध में उनके दावे को समायोजित कर देयता प्रदान कर रही है|

अत: अनुरक्षण लागत को समायोजित कर के संपत्तिकर के सांविधिक बकाया के प्रति देयता को कम प्रावधान करने के परिणाम स्वरुप उपार्जित व्ययों तथा हानि को रु.42.02 करोड से कम बताया गया|

ए.4.3. व्यापारियों, संविदाकारों तथा अन्यों से अग्रिम-रु.1544.84 करोड़

इसमें पट्टेदारों/ किरायेदारों से वसूले गए रु.1099.39 करोड संपदा किरायों का समावेश है, (संपदा विभाग फुटकर अग्रिम खाता) जिसे देनदार खाता शीर्षक के प्रति अंतिम रूप से समायोजित करने की आवश्यकता है| यद्यपि वर्ष 2017 में तीन सीए फर्मों की टीम को शेष राशियों के मेल मिलाप के लिए रखा गया है, अब तक मेल मिलाप का कार्य पूरा नहीं हो सका है| आगे सीए फर्मों की संविदा जून 2021 को समाप्त हो चुकी है|

अत: लेखा के इस शीर्ष की यथार्थता लेखा परीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकी है|
उक्त अवलोकन लेखा परीक्षा द्वारा वर्ष 2015-16 से उठाया जाता रहा है| जबकि मेल मिलाप की प्रक्रिया काफी पहले वर्ष 2017 से शुरू हो चुकी है, उसे पूरा होना अभी बाकी है

ए.5. प्रावधान

अन्य प्रावधान

वसूली न गये संपदा किराए हेतु प्रावधान रु.1478.19 करोड़

उपरोक्त मुं.प.प्रा. द्वारा पिछले 8 वर्षों के दौरान (2013 से) वसूले न जा सके पुराने संपदा किराये दर्शाता है, जिसके लिए प्रावधान किया गया था| तथापि उसे विविध कर्जदारों के अधीन कटौती के रूप में नहीं दिखाया गया था| इसके परिणाम स्वरूप विविध कर्जदारों को रु.1478.19 करोड़ से बढ़ाकर बताया गया तथा चालू देयताओं और प्रावधानों को उतनी ही राशि से बढ़ाकर बताई गई|
इसे प्रबंधन पत्र के माध्यम से वर्ष 2020-21 में सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जारी किया गया था| तथापि, प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की है

ए.6. लाभ और हानि खाते का शेष- रु.350.92 करोड़ (संचित हानी)

उक्त में रु.27.60 करोड़ का समावेश है, जो सीएसआर गतिविधि के अधीन टाटा स्मारक अस्पताल को 10 वर्षों के अवधी के लिए रु.1/प्रति वर्ग मी. प्रति वर्ष के नाम मात्र मूल्य पर पट्टा आधार पर भूमि के आबंटन के सांकेतिक आय के रूप में मान्य की गई है| सांकेतिक आय त्यागा गया पट्टा किराए को दर्शाता है, जिसे पट्टा धारक भुगतान के लिए बाध्य नहीं है| पोर्ट ने सांकेतिक आय को विविध कर्जदार के लिए रु.16.67 करोड़ तथा सीएसआर निधि खाते में देयताओं रु.10.93करोड़ को नामें कर बही खाते में डाला| कंपनी(कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नीति नियम, 2014 में यह निर्धारित है कि सीएसआर परियोजनाओं को अथवा कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष को किसी कंपनी के व्यवसाय के लाभ का भाग नहीं बनाया जाएगा| आगे, सीएसआर से प्राप्त कोई अधिशेष को तत्काल सीएसआर व्यय हेतु दायित्व के रूप में माना जाएगा तथा लाभ और हानि के विवरण के एक प्रभार के रूप में माना जाएगा, जो पोर्ट ने नहीं किया है| साथ ही सीएसआर व्यय के रूप में पात्र होने के लिए, उस राशि को एमसीए के दिनांक 12.01.2016 के परिपत्र में स्पष्ट किए अनुसार खर्च किया जा सकता है|
आगे एमसीए ने (दि.25 अगस्त 2021 के परिपत्र संख्या सीएसआर-05/01/2021-सीएसआर- एमसीए के माध्यम से) एफएक्यू के द्वारा स्पष्ट किया है कि "सीएसआर के देयता अंशदान वस्तु तथा मौद्रिक नहीं हो सकता" (एफएक्यू 3.12)| अत: सीएसआर की देयता बही समायोजित कर कम करना सीएसआर का उचित उपचार नहीं है|
इसके परिणाम स्वरूप रु.27.60 करोड़ की हानि को कम कर बताया जाने के साथ विविध कर्जदारों को रु.16.67 करोड़ बढ़ा कर तथा सीएसआर देयताओं को रु.10.93 करोड़ घटा कर बताया गया है|
टिप्पणी दि.31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष की मुं.प.प्रा. के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से जारी की गई थी| तथापि प्रबंधन ने सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की है|

बी) लाभ और हानि खाता

परिचालन आय

संपदा किराये

भूमि से किराया-रु.244.72 करोड़

रु.390.97 करोड़ संपदा किरायों में रु.17.69करोड़ का समावेश नहीं है, जो विभिन्न पार्टियों से न्यूनतम गारंटी थ्रूपूट(एमजीटी) के कारण दंड के रूप में वसूले गए| पोर्ट ने (वर्ष 2002 से) अतिरिक्त मार्गाधिकार प्रभारों की निर्धारित एमजीटी में कमी को हासिल करने के लिए विभिन्न पार्टियों से (टीपीसीएल, एचपीसीएल, सीटीटीएल बीपीसीएल तथा एजिस) 25 सितंबर 1996 से 31मार्च 2015 तक रु.71.58 करोड़ मांग उठाई थी|
उपभोक्ता द्वारा बिल किये गए दंड पर विभिन्न कारणों से विवाद खड़ा कर दिया तथा बोर्ड को प्रतिवेदन कर दिया तथा दंड प्रभारों को नहीं अदा किया तथा एमजीटी उपनियम से छूट की मांग की| पोर्ट ने वसूली गई रु.17.69 करोड़ की राशि को फुटकर जमा में दिखाया है, जबकि उसे राजस्व के रूप में मान्यता दी जानी थी| इस वर्ष 2020-21 के प्रबंधन पत्र के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उठाया गया था| तथापि, प्रबंधन ने कार्यवाही नहीं की है

सी) <u>लेखों पर टिप्पणियां</u>

पूंजीगत कार्य प्रगति पर है(सीडब्ल्यूआईपी) में वडाला से कुर्ला के बीच मालभाडा संचलन हेतु एक समर्पित मालगाड़ी लाइन से संबंधित परियोजना पर पूंजीगत व्यय के रु.74.76करोड़ की राशि का समावेश है| परियोजना जून 2019 को स्थगित रखी गई तथा अगले 8 से 10 वर्षों तक दोबारा प्रचलित करने की संभावना

नहीं रखी गई थी| परियोजना की संपूर्ण लागत रेलवे की भूमि पर वहन की गई थी जिस पर पोर्ट का न कोई कब्जा/नियंत्रण है न हीं पोर्ट अगले और 10 वर्षों तक कोई लाभ की अपेक्षा करता है| आगे, खाली की गई भूमि अथवा सृजीत परिसंपत्ति को प्रबंधन के मूल रूप से ईरादे अनुसार न हीं उपयोग किया जा सकता है न हीं किसी वैकल्पिक उपयोग की रेलवे ने सहमति जताई है| इस महत्वपूर्ण तत्व को एक नोट द्वारा प्रकट किया जाना चाहिए था

डी) सहायता अनुदान

मुंबई पत्तन प्राधिकरण को प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

क्र. स.	**परियोजना का नाम**	**सहायता अनुदान का स्त्रोत**	**आदि शेष**	**प्राप्ति**	**प्रयुक्त**	**अव्ययित**
1	मुंबई अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल (एमआईसीटी) का उन्नयन/ आधुनिकीकरण	सागरमाला (पोत परिवहन मंत्रालय)	25.000	118.985	154.360	2.125
		पर्यटन मंत्रालय	12.500	0.000		
2	मॅलेट बंदर मत्स्य बंदरगाह	मात्स्यिकी मंत्रालय	0.000	24.000	0.050	23.950
3	तीसरा रसायन घाट	सागरमाला (पोत परिवहन मंत्रालय)	0.000	40.250	0.316	39.934
4	केएएलएच के पास पर्यटन के बुनियादी ढांचे का विकास	पर्यटन मंत्रालय	3.460	0.384	3.844	0.000
		कुल	**40.960**	**183.619**	**158.570**	**66.009**

ई) प्रबंधन पत्र

पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में जो कमियां समाविष्ट नहीं की गई है, वह अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से उपचारात्मक/ सुधारात्मक कार्यवाही के लिए पोर्ट को सूचित कर दी गई है

v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमारे अवलोकनों के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में संबंधित तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखा लेखा बहियों के अनुरूप है|

vi) हमारी राय में हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा पद्धति नीतियों और लेखों की टिप्पणियों के साथ पठित कथित वित्तीय ब्यौरे और ऊपर उल्लिखित कुछ विशिष्ट मामलों तथा अनुलग्नक-I में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में साधारण तथा स्वीकृत की गई लेखा पद्धति के अनुसार सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं|

ए) जहां तक तुलन पत्र से इसका संबंध है दि.31 मार्च 2022 की मुंबई पत्तन प्राधिकरण के कार्यकलाप के परिस्थिति है; और

बी) जहां तक लाभ और हानि लेखा का ईससे संबंध है, यह उस स्थिति को समाप्त वर्ष की हानि है|

vii) 31 मार्च को समाप्त 3 वर्षों के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण का सारांशित इस वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाली लेखों की समीक्षा अनुलग्नक-II में दी गई है|

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-
(पी वी हरि कृष्ण)
महानिदेशक तथा लेखा परीक्षा (नौवहन)
मुंबई

स्थान : मुंबई
दिनांक : 21 सितंबर 2022

अनुलग्नक -I

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

पोर्ट की अंतरिक लेखा परीक्षा मे. एससीएम एसोसिएट्स, सनदि लेखाकार को सौंपी गई थी. यहां आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों को की गई कार्रवाई की टिप्पणी के साथ उनके अवलोकन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था 2020 से नहीं है. यह अपर्याप्त प्रबंधन नियंत्रण को दर्शाता है.

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

ए) यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को बैंक का मेल-मिलाप विवरण

निम्नलिखित को ध्यान में लेते हुए पत्तन के आंतरिक नियंत्रण में सुधार लाने की आवश्यकता है.

मुंबई पत्तन प्राधिकरण (मुंप्रपा), वित्त प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस) नौ बैंक खातों का प्रचालन करता है.

दि. 31 मार्च 2022 को यथास्थिति बैंक का मेल-मिलाप विवरण निम्नानुसार कमियां प्रकट करता है.

(i) एक बैंक में शेष रु. 439.42 करोड़ मूल्य के 625 चैकों को घटाकर है, जो अप्रैल 2006 से पत्तन द्वारा जारी किए गए थे, तथा यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को तीन महीनों से पुराने थे

(ii) रु. 754.96 करोड अप्रैल 2006 से पत्तन की बहियों में बैंक में जमा किए गए ऐसे दर्शाए गए परंतु बैंक के विवरण (स्टेटमेंट) में नहीं दिख रहे हैं.

(iii) रु. 688.56 करोड बैंक द्वारा जमा किए गए (क्रेडिट) परंतु मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा लेखा में नहीं लिए गए

(iv) रु. 731.99 करोड बैंक द्वारा नामे (डेबिट) लिखे गए परंतु मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा कोई भी प्रविष्टियां पास नहीं की गई.

बी) नकदी एवं बैंक में शेष राशियां

ए) बैंकों में जमा (व्यापारियों, संविधाकारों तथा अन्यों की ओर से):

(i) रु. 34.15 करोड़ राशि की सावधि जमा रसीदों में से (एफडीआर) पत्तन के पास वास्तविक उपलब्ध एफडीआर मात्र रु. 33.60 करोड़ की थी.

(ii) इनमें रु. 32.01 करोड़ मूल्य की 426एफडीआर जो 1990 से मार्च 2022 तक की अवधि में परिपक्व हो गई है तथा इनको नवीकृत नहीं किया गया है और पत्तनने इन सावधि जमा की बैंकों से पुष्टि नहीं प्राप्त की है.

बी) बैंकों में जमा रू.245.05 करोड़ की राशि

पत्तन द्वारा यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को कारपोरेट तरल मियादी जमा (सीएलटीडी) में जमा की गई राशि को दर्शाती है. तथापि, रोकड़ अनुभाग के अनुसार शेष राशि की पुष्टि रू.264.85 करोड थी. रु.19.80 करोड़ के फर्क का मेल-मिलाप किया जाए.

सी) बैंकों के पास शेष राशियां (अन्य विभाग)रु.5.87 करोड

यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को विभिन्न कार्यरत विभागों के बहींशेष तथा जीएल कोड 0886, 0887, 0888 तथा 0891 के संबंध में शेष-परीक्षण के अनुसार शेषदारी के बीच रु.2.65 करोड़ का फर्क है.

3. अचल परिसंपत्तियों की वस्तुगत सत्यापन प्रणाली

पोर्ट द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार अचल परिसंपत्तियों का वस्तुगत सत्यापन संचालित किया जाता है. पिछला वस्तुगत सत्यापन वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया गया था. अचल परिसंपत्तियों के प्रभावी आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य के लिए अचल परिसंपत्तियों के वस्तुगत सत्यापन की बारंबारता में सुधार आवश्यक है.

4. वस्तुगत वस्तुसूची की वस्तुगत सत्यापन प्रणाली

31 मार्च 2022 को यथास्थिति वस्तुसूची का वस्तुगत सत्यापन लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था. पत्तन ने न कोई मूल्यह्रास नीति को अपनाया है न हीं महापत्तनों के लिए सीएफएफआर में समाविष्ट दिशा निर्देशों के अनुपालन में परिसंपत्तियों का कोई पुनर्मूल्यांकन किया है.

5. सांविधिक देय राशियां

अविवादित सांविधिक देय राशियों का भुगतान करने में पोर्ट नियमित रहा है

हस्ता/-
अनिता सिंह
उप निदेशक

स्थान: मुंबई
दिनांक:21 सितंबर 2022

अनुलग्नक –II

31 मार्च 2022 को समाप्त तीन वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा मुंबई पत्तन प्राधिकरण के लेखों की पुनरीक्षा

(लेखों का पुनरीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मसौदा पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किए गये अवलोकनों / टिप्पणियों पर विचार किए बगैर तैयार किया गया है.

1. **वित्तीय स्थिति**

दि. 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए तीन वर्षों के लिए मुख्य शिर्षकों के अंतर्गत मुंबई पत्तन प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई है.

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22
देयताएं			
पूंजी प्रारक्षित	1661.53	1683.68	1592.68
अन्य प्रारक्षित	1014.62	985.98	1088.89
उधार राशियां	467.27	193.74	375.86
आस्थगित कर देयताएं	0.00	0.00	0.00
चालू देयताएं एवं प्रावधान	5361.95	5512.42	5312.05
कुल	**8505.37**	**8375.82**	**8369.48**
परिसंपत्तियां			
निवल अचल परिसंपत्तियां	643.07	1112.77	1032.53
कार्य प्रगति पर	1416.91	698.48	871.33
निवेश	1289.18	1208.70	1407.08
वर्तमान परिसंपत्तियां और ऋण तथा अग्रिम	4304.53	4597.31	4268.22
आस्थगित कर परिसंपत्ति	432.52	432.52	432.52
अन्य परिसंपत्तियां/ विविध व्यय			
बीओटी प्रचालक को सुपुर्द शेड	0.00	0.00	0.00
वी.स्वे.से.नि.यो. व्यय	0.00	0.00	0.00
फुटकर व्यय	1.89	3.81	6.88
संचित हानि	417.27	322.23	350.92
कुल	**8505.37**	**8375.82**	**8369.48**
कार्यशील पूंजी *	-1057.42	-915.11	-1043.83
निवल मूल्यमत्ता**	2865.91	2766.68	2623.80
प्रयुक्त पुंजी***	-414.35	197.66	-11.30
विनियोजन पुर्व अधिशेष	244.47	152.12	49.67
प्रयुक्त पूंजी पर प्रति लाभ (प्रतिशत) ****	-59.00	76.96	-439.56
प्रयुक्त पूंजी (कार्य प्रगति पर सहित)	1002.56	896.14	860.03
प्रयुक्त पूंजी पर प्रतिलाभ (कार्य प्रगति पर सहित) (प्रतिशत)	24.38	16.98	5.78

*कार्यशील पूंजी चालू परिसंपत्तियों से चालू देयताओं घटाकर दर्शाता है.
**निवल मूल्यवत्ता-- पूंजी प्रारक्षित तथा अन्य प्रारक्षित राशि अधिक अधिशेष/ घाटा दर्शाता है.
***प्रयुक्त पूंजी निवल अचल परिसंपत्तियों अधिक कार्यशील पूंजी दर्शाता है.
****प्रयुक्त पूंजी पर प्रतिलाभ कुल अधिशेष (विनियोजन से पूर्व) से प्रयुक्त पूंजी का प्रतिशत दर्शाता है.

2. **कार्य परिणाम**

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के मुंबई पत्तन प्राधिकरण के कार्य परिणामों का सारांश निम्नानुसार है.

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व			
परिचालन आय	1662.64	1705.96	1896.96
गैर परिचालन आय	78.32	24.23	82.41
कुल	**1740.96**	**1730.19**	**1979.37**
व्यय			
परिचालन व्यय	1205.70	1122.09	1110.57
गैर परिचालन व्यय	345.50	511.08	926.57
कुल	**1551.20**	**1633.17**	**2037.14**
असाधारण मद	0.00	0.00	0.00
पूर्वकालिक प्रभार	0.00	0.00	0.00
कर पूर्व निवल अधिशेष/ घाटा	**189.76**	**97.02**	**-57.77**
घटाएं : कर के लिए प्रावधान अथवा जोड़े: पूर्व लिखित कर	0.00	0.00	41.00
जोड़े/ घटाएं : आस्थगित कर दियता/ परिसंपत्तियां	0.00	0.00	0.00
जोडें: कल्याण निधि तथा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रारक्षित से आहरित	54.71	55.10	66.44
विनियोजन से पूर्व निवल अधिशेष/ घाटा	**244.47**	**152.12**	**49.67**
घटाएं: अनिवार्य विनियोजन, प्रारक्षित निधियों, आदि में अंतरण	54.71	57.08	78.36
सामान्य प्रारक्षित में अंतरित अधिशेष/घाटा	189.76	95.03	-28.69
निवल अधिशेष /घाटे का प्रतिशत			
(i) परिचालन आय से	14.70	8.92	2.62
(ii) निवल अचल परिसंपत्तियों से	38.02	13.67	4.81
(iii) निवल मूल्य से	8.53	5.50	1.89

3. अनुपात विश्लेषण (चलनिधि तथा ऋण शोधन क्षमता)

मुंबई पत्तन प्राधिकरण की चलनिधि तथा ऋण शोधन क्षमता के एवं वित्तीय क्षमता के कुछ महत्वपूर्ण अनुपात निम्नानुसार दिखाए गए हैं:

	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22
ए.	चालू देयताओं से चालू परिसंपत्तियों का प्रतिशत(प्रावधानों सहित)	80.28	83.40	80.35
बी.	चालू देयताओं से शीघ्र विक्रेय परिसंपत्तियों का प्रतिशत	92.82	103.85	99.32
सी.	परिचालन आय से विविध देनदारों का प्रतिशत	191.47	202.64	174.57
डी.	पूंजी प्रारक्षित और सामान्य से ऋण का प्रतिशत	27.44	11.23	23.00
ई.	कर पूर्व लाभ का प्रतिशत			
	ए) निवल मूल्य से	6.62	3.51	-2.20
	बी)प्रयुक्त पूंजी से	-45.80	49.08	511.24
	सी)परिचालन आय से	11.41	5.69	-3.05

हस्ता/-

उप निदेशक

स्थान: मुंबई
दिनांक:21 सितंबर 2022

SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF THE MUMBAI PORT AUTHORITY, MUMBAI FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

We have audited the attached Balance Sheet of the Mumbai Port Authority (MbPA) as at 31 March 2022 and the Profit and Loss Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Services) Act 1971, read with Section 44(2) of Major Port Authority Act, 2021.These financial statements are the responsibility of the Port's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report (SAR) contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

(ii) The Balance Sheet and Profit & Loss Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Board under Section 44(1) of the Major Port Authority Act, 2021;

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Mumbai Port Authority required under Section 44(1) of the Major Port Authority Act, 2021 in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

A. Balance Sheet
Sources of Funds
Reserves and Surplus (Schedule I)
A.1 Revenue Reserves- ₹187.99 crore
A.1.1 General Reserve- ₹41.81 crore

As per the Common Framework for Financial Reporting of Major Ports (CFFR), 'debit balance of Profit and Loss Account' should be deducted from Unspecified Reserves (also referred to as 'General Reserve').

The Port has shown a debit balance of Profit and Loss Account of ₹350.92 crore on the asset side of the Balance Sheet and has shown a 'General Reserve' of ₹41.81 crore on the liability side of the Balance Sheet. The Port should have adjusted the 'debit balance of Profit and Loss Account' with the amount available in the 'General Reserve' and shown only the remaining amount on the asset side i.e. ₹309.11 crore (₹350.92 crore minus ₹41.81 crore)

Non-adjustment of the two figures has resulted in overstatement of 'debit balance of Profit and Loss Account' and 'General Reserve' by ₹41.81crore.

Though the above comment is being raised by Audit since 2017-18, the same is yet to be rectified by the Port Management.

A.2 Statutory Reserves- ₹900.90 crore
A.2.1 Fund for Corporate Social Responsibility (CSR)- Nil

This does not include ₹2.86 crore (3% of Net Profit of ₹95.03 crore for PY 2020-21) being the contribution towards CSR funds during the year.

This has resulted in understatement of CSR liabilities (Fund) and understatement of Loss by ₹2.86 crore.

Application of funds

A.3 Current Assets, Loans and Advances
Current Assets:
A.3.1 Inventories – ₹4.38 crore read with Accounting Policy No. 4

As per the Significant Accounting Policy disclosed in the Accounts (item no. 4), no depreciation and no revaluation is done on inventory and the inventory is taken at cost in the books. The policy is in variance with CFFR which stipulates that Inventories should be valued at lower of weighted average cost or net realizable value. As such, Audit is unable to comment on the correctness of value of Inventories (₹4.38 crore) and consequent impact on the profit shown in the Profit and Loss Account.

Similar observation is being raised by Audit since 2017-18. However, corrective action was not taken.

A.3.2 Sundry Debtors- ₹3,311.47 crore (Schedule IV)

a) In respect of Sundry Debtors, the CFFR has not been complied with by the Port, to the extent given below:

(i) The accounting policy regarding provisions for bad and doubtful debts has not been framed and disclosed. As such, Audit is unable to comment on the adequacy or otherwise of the amount provided (₹20.26 crore) as doubtful debts.

(ii) The split up details of Sundry Debtors such as 'Debt considered good and fully secured', 'Debts considered good but not secured' and 'Debts considered doubtful or bad' have not been depicted.

Though the above *observations* are being raised by Audit since 2017-18, the same are yet to be rectified by the Port Management.

b) The Port had given land measuring 7,150.23 sq. metres to Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (RCF) on lease during the period 1 March 1972 to 28 February 2002. The Board decided (09 January 2018) to take over the assets on the land (Tank farm) at scrap value assessed at ₹2.87 crore and to adjust the amount against the dues recoverable amounting to ₹6.69 crore from RCF. Though RCF has surrendered the assets, the Port did not adjust the amount against dues receivable from RCF. Hence there is overstatement of Sundry Debtors by ₹2.87 crore.

Though the above comment was raised by Audit through Separate Audit report for FY 2020-21, no corrective action has been taken by Port Management.

c) **Estate Rentals- ₹2474.21 crore**

The outstanding position of the Estate Rentals invoiced from the Estate Department showed an outstanding balance of ₹2563.97 crore as on 31 March 2022. However, as per the Annual Accounts the amount accounted under Sundry Debtors is ₹2474.21 crore leading to a difference of ₹89.76 crore.

This has resulted in understatement of Sundry Debtors of ₹89.76 crore and overstatement of Loss to the same extent.

A.4 Current Liabilities and Provisions- ₹5312.05 crore
Current Liabilities

A.4.1 As per CFFR, if the liability for retirement benefits was funded through creation of a Trust, the cost incurred for the year shall be ascertained by actuarial valuation. MbPA has not made adequate provisions towards the Pension Fund, Gratuity Fund and Leave Encashment Fund as given below:

(₹in crore)

Name of the Fund	Liability to be provided as per Actuarial Valuation Report as on 31.03.2022	Balance in the Fund as on 31.03.2022	Shortfall
1	2	3	4(2-3)
Pension Fund	13323.66	8955.34	4368.32
Gratuity Fund	557.63	38.83	518.80
Leave Encashment Fund	221.87	--	221.87
Total	**14103.16**	**8994.17**	**5108.99**

As a result, there is understatement of Current Liabilities by ₹5108.99 crore and corresponding understatement of Loss to some extent.

The above deficiencies are being pointed out by Audit since 2012-13. However, no corrective action has been taken by the Port Management.

A.4.2 Sundry Creditors- ₹3,730.60 crore
Accrued Expenses- ₹203.19 crore

The above does not include ₹42.02 crore in respect of Property Tax payable to MCGM.

MbPA was paying Property Tax by adjusting maintenance cost (to maintain roads, wharves etc., inside docks area) to be recovered from MCGM till 1995-96. In the year 1995-96, MCGM requested to delink the issue of maintenance cost from Property Tax and the MbPA has acceded to the same.

MCGM claims general charges in lieu of Property tax @₹ 4.87 crore p.a. (base rateable values of MbPA Properties). However, MbPA is providing liability for Property Tax @₹3.91 crore p.a. only by adjusting their claim in respect of maintenance cost.

Thus, short provision of liability towards statutory dues of Property Tax by adjusting maintenance cost resulted in understatement of Accrued Expenses and Loss by ₹42.02 crore[1]

A.4.3 Advances from Merchants, Contractors and Others – ₹1544.84 crore

This includes ₹1,099.39crore being the estate rentals recovered from the lessees/tenants – (Estate Departments Miscellaneous Advance Account) which needs to be finally adjusted against the head of account "Debtors". Though a team of three CA Firms have been engaged in the year 2017 to identify and reconcile the balances, the reconciliation has still not been completed. Further the contract of CA firms was expired in June 2021.

[1] *₹34.27 crore (claimed upto 31 March 2018) plus₹19.48 crore (from 2018-19 to 2021-22) minus ₹11.73 crore (already provided by MbPAupto 31 March 2022)*

Hence, the accuracy of this head of account could not be ascertained by audit.

The above observation is being raised by Audit since 2015-16. Though the reconciliation process had started long back in the year 2017, the same is yet to be completed.

A.5 Provisions
Other Provisions
Provisions for unrecovered Estate Rentals-₹1,478.19 Crore

The above represents old estate rentals not recovered by MbPA for the last 8 years (since 2013) for which provision was made. However, the same was not shown as a deduction under Sundry Debtors. This has resulted in overstatement of Sundry Debtors by ₹1478.19 crore and overstatement of Current Liabilities & Provisions by the same amount.

This was issued through Management Letter in 2020-21 for corrective action. However, action has not been taken by Management.

A.6 Balance of Profit and Loss Account- ₹350.92 crore (accumulated Loss)

The above includes ₹27.60 crore being notional income recognized on allotment of land to Tata Memorial Hospital on lease basis at a nominal value of ₹1/sq.mtr. p.a. for the period of 10 years under CSR activity. The notional income represents the lease rent forgone for which the lessee does not have an obligation for payment. The Port had booked the notional income by debiting Sundry debtors for ₹16.67 crore and CSR fund Account in liabilities for ₹10.93 crore.

Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 stipulate that the surplus arising out of the CSR projects or programs or activities shall not form part of the business profit of a company. Further, any surplus derived on CSR should be immediately recognised as a liability for CSR expenditure and recognised as a charge to the statement of profit and loss, which has not been done by the Port.

Also, for qualifying as CSR expense, the amount should be spent as clarified by MCA Circular dated 12.1.2016. Further, MCA clarified (through Circular No. CSR-05/01/2021-CSR-MCA dated 25 August 2021) through FAQs that 'CSR contribution cannot be in kind and monetized (FAQ 3.12). Hence, reducing CSR liability through book adjustments is not a proper treatment of CSR.

This has resulted in understatement of Loss by ₹27.60 crore with an overstatement of Sundry debtors by ₹16.67 crore and understatement of CSR liabilities by ₹10.93 crore.

The comment was issued through Separate Audit Report on the accounts of MbPA for the year ended 31 March 2021. However, corrective action has not been taken by the Management.

B. Profit and Loss Account
Operating Income
Estate Rental
Rent from Land- ₹244.72 crore

Estate Rentals ₹390.97 crore do not include ₹17.69 crore being the penalty on account of the Minimum Guarantee throughput (MGT) collected from various parties. The Port had raised (since 2002) a demand of ₹71.58 crore for additional way leave charges for the shortfall in achieving the prescribed MGT on various parties (TPCL, HPCL, CTTL, BPCL and Aegis) from 25 September 1996 to 31 March 2015. The users disputed the penalty billed for various reason and made representation to the Board and did not pay penalty charges and sought waiver of the MGT clause.

The Port showed the amount recovered amounting to ₹17.69 crore under Miscellaneous Deposits instead of recognising the same as Revenue.

This was raised through Management Letter for 2020-21 for corrective action. However, action has not been taken by the Management.

C. Notes to Accounts

CWIP includes an amount of ₹74.76 crore being capital expenditure in respect of Project relating to Dedicated foods line between Wadala and Kurla for freight movement. The project was kept in abeyance since June 2019 and not envisaged to revive in the next 8 to 10 years. The entire cost of the project was incurred on railway land on which the Port neither enjoys any possession/control nor does the Port expect any benefits for another 10 years. Further, the land evacuated or asset created cannot be put to use as originally intended by Management and no alternative use is concurred by Railway. This significant fact should have been disclosed by way of a Note.

D. Grant-in-Aid

Details of Grant in Aid received by MbPA is as under:

(₹ in crore)

Sr. No.	Project Name	Source of Grant-in-Aid	Opening Balance	Receipt	utilised	Unspent
1	Upgradation/Modernisation of Mumbai International Cruise Terminal (MICT)	Ministry of Shipping	25.000	118.985	154.360	2.125
		Ministry of Tourism	12.500	0.000		
2	Mallet Bunder Fishing Harbour	Ministry of Fisheries	0.000	24.000	0.050	23.950
3	Third Chemical Berth	Ministry of Shipping	0.000	40.250	0.316	39.934
4	Development of Tourism Infra alongside KALH	Ministry of Tourism	3.460	0.384	3.844	0.000
	Total		40.960	183.619	158.570	66.009

E. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of the Port through Management Letter issued separately for remedial/corrective action.

v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of Account.

vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in the Annexure-I to this Audit Report give true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a) In so far as it relates to Balance Sheet, of the state of affair of Mumbai Port Authority as at 31 March 2022; and

b) In so far as it relates to the Profit and Loss Account, of the Loss for the year ended on that date.

vii) Review of Accounts showing the summarized financial results of Mumbai Port Authority for three years ended 31 March 2022 is given in **Annexure –II.**

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(P. V. Hari Krishna)
Principal Director of Audit (Shipping),
Mumbai

Place: Mumbai
Date: 21 September 2022

Annexure I

1. Adequacy of Internal Audit System

The Internal Audit of the Port for the year 2021-22 was entrusted to M/s SCM Associates, Chartered Accountants. There is no system of submission of Internal Audit Reports along with Action Taken Note to the Board for their perusal since 2020. This indicates inadequate Management Control.

2. Adequacy of Internal Control System

A. Bank Reconciliation statements as on 31 March 2022

Internal control of the Port needs to be improved considering the following:

Mumbai Port Authority (MbPA), Finance Management system (FMS) operates nine bank accounts. Bank Reconciliation Statements as on 31 March 2021 revealed the following deficiencies.

(i) The Bank balance is after deducting 625 cheques valuing₹439.42 crore which were issued by the Port since April 2006 and were more than 3 months old as on 31 March 2022.
(ii) ₹754.96 crore shown as deposited in the Bank in the books of Port since April 2006 but not appearing in the Bank Statement.
(iii) ₹688.56 crore credited by bank but not accounted by MbPA
(iv) ₹731.99 crore debited by bank but no entries were passed by MbPA

B. Cash and Bank Balances

a) Deposits with Banks (on Behalf of Merchants, Contractors and Others): ₹34.15 crore

(i) Of the FDRs amounting to ₹34.15 crore, the actual FDRs available with the Port was for ₹33.60 crore only.

(ii) This includes 426 FDRs valuing ₹32.01 crore which have matured during the period from 1990 to March, 2022 and which have not been renewed. Further the Port has not obtained confirmation of these FDs from Banks.

b) Deposits with Banks – ₹245.05 crore

Deposit with Banks of ₹245.05crore represents the amount deposited in Corporate Liquid Term Deposit (CLTD) by the Port as on 31 March 2022. However, balance confirmation as per cash section was ₹264.85 crore. The difference of ₹19.80 crore may be reconciled.

c) Balances with Banks (Other Departments) - ₹5.87 crore

As on 31 March 2022, there is a difference of ₹2.65 crore between Book balance of various functional Departments and Balance as per Trial Balance in respect of GL Code 0886, 0887, 0888 and 0891.

3. System of physical verification of Fixed Assets

The Port conducts physical verification of Fixed Assets once in every 5 years. Last physical verification was done in the FY 2017-18. The frequency of physical verification of fixed assets needs improvement for the purpose of effective internal control of fixed assets.

4. System of physical verification of Inventory

The physical verification of Inventory as on 31 March 2022 was not furnished to Audit. The Port has not adopted any depreciation policy nor done any revaluation of assets in compliance with the guidelines contained in the CFFR for major ports.

5. Statutory Dues

The Port was regular in making payment of undisputed statutory dues.

Deputy Director

Place: Mumbai

Date: 21 September 2022

ANNEXURE – II

Review of accounts of Mumbai Port Authority for three years ended 31 March 2022 by the Comptroller and Auditor General of India

(The Review of Accounts has been prepared without taking into account the audit observations/comments contained in the Draft Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India)

1. Financial Position

The Financial Position of Mumbai Port Authority under the broad headings for three years ended 31 March 2022 is given below:

Rs. in crore

Particulars	2019-20	2020-21	2021-22
LIABILITIES			
Capital Reserves	1661.53	1683.68	1592.68
Other Reserves	1014.62	985.98	1088.89
Borrowings	467.27	193.74	375.86
Deferred Tax Libilities	0	0	0
Current Liabilities & Provisions	5361.95	5512.42	5312.05
Total	**8505.37**	**8375.82**	**8369.48**
ASSETS			
Net Fixed Assets	643.07	1112.77	1032.53
Works-in-Progress	1416.91	698.48	871.33
Investments	1289.18	1208.70	1407.08
Current Assets and Loans and Advances	4304.53	4597.31	4268.22
Deferred Tax Asset	432.52	432.52	432.52
Other Assets/Misc. Expenditure:			
Sheds handed over to BOT operator	0.00	0.00	0.00
SVRS Expenditure	0.00	0.00	0.00
Misc. Expenditure	1.89	3.81	6.88
Accumulated Loss	417.27	322.23	350.92
Total	**8505.37**	**8375.82**	**8369.48**
Working Capital *	-1057.42	-915.11	-1043.83
Net Worth **	2865.91	2766.68	2623.80
Capital Employed ***	-414.35	197.66	-11.30
Net Surplus (before appropriation)	244.47	152.12	49.67
Return on Capital Employed **** (percentage)	-59.00	76.96	-439.56
Capital Employed (including Work -in-Progress)	1002.56	896.14	860.03
Return on Capital Employed (including Work -in-Progress) (percentage)	24.38	16.98	5.78

Working Capital represents Current Assets minus Current Liabilities;
**Net worth represents Capital Reserves and other reserves plus surplus/loss;
***Capital Employed represents Net Fixed Assets plus Working Capital;
****Return on Capital Employed represents percentage of Net Surplus (before appropriation) to Capital Employed.

2. Working Results

The working results of the Mumbai Port Authority for the last three years ending 31 March 2022 are summarized below:

Rs. in crore

Particulars	2019-20	2020-21	2021-22
Revenue			
Operating Income	1662.64	1705.96	1896.96
Non operating income	78.32	24.23	82.41
Total	**1740.96**	**1730.19**	**1979.37**
Expenditure			
Operating expenditure	1205.70	1122.09	1110.57
Non operating expenditure	345.50	511.08	926.57
Total	**1551.20**	**1633.17**	**2037.14**
Extra ordinary items	0	0	0
Prior period charges	0	0	0
Net surplus/(deficit) before tax	**189.76**	**97.02**	**-57.77**
Less: Provision for Tax or Add tax writte back	0	0	41.00
Add/Less: Deferred tax liability/ assets	0	0	0
Add: Withdrawn from Welfare Fund and Infrastructure Reserve	54.71	55.10	66.44
Net surplus/ (deficit) before appropriation	**244.47**	**152.12**	**49.67**
Less: Mandatory Appropriations, Transfers to Reserve Funds, etc.	54.71	57.08	78.36
Surplus/Deficit transferred to General Reserve	189.76	95.03	-28.69
Percentage of net surplus/deficit to			
(i) Operating Income	14.70	8.92	2.62
(ii) Net Fixed Assets	38.02	13.67	4.81
(iii) Net Worth	8.53	5.50	1.89

3. Ratio Analysis (Liquidity and Solvency)

Some important ratios on liquidity and solvency and on financial health of the Mumbai Port Authority are shown below:

	Particulars	2019-20	2020-21	2021-22
a.	Percentage of Current Assets to Current Liabilities (including Provisions)	80.28	83.40	80.35
b.	Percentage of Quick Assets to Current Liabilities	92.82	103.85	99.32
c.	Percentage of Sundry Debtors to Operating Income	191.47	202.64	174.57
d.	Percentage of Debt to Capital Reserve & General Reserve	27.44	11.23	23.00
e.	**Percentage of profit before tax to:**			
	a) Net Worth	6.62	3.51	-2.20
	b) Capital Employed	-45.80	49.08	511.24
	c) Operating Income	11.41	5.69	-3.05

Deputy Director

Place: Mumbai

Date: 21 September 2022

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में लेखों पर की गई टिप्पणियों पर की गई कार्यवाही की टिप्पणियां

क्रमांक संख्या	पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	की गई कार्यवाही की टिप्पणियां
ए.	तुलन पत्र निधियों का स्त्रोत आरक्षित तथा अधिशेष (अनुसूची-I)	
ए.1	राजस्व आरक्षित – 187.99 करोड़	
ए.1.1	सामान्य आरक्षित- 41.81 करोड़	
(i)	महा पत्तनों की की वित्तीय रिपोर्टिंग के सामान्य ढांचे (सीएफएफआर) के अनुसार लाभ और हानि लेखा को नामें शेष को अनिर्दिष्ट आरक्षित (जिसे सामान्य आरक्षित के रूप में भी उल्लेखित किया जाता है) से काटा जाना चाहिए | पोर्ट ने तुलन पत्र की परिसंपत्ति की बाजू में रु.350.92 करोड़ लाभ और हानि खाते में नामें शेष तथा तुलन पत्र की देयता की बाजू में रु.41.81 करोड़ 'सामान्य आरक्षित' दिखाया है| पोर्ट को 'सामान्य आरक्षित' में उपलब्ध राशि से 'लाभ और हानि खाता के नामें शेष' को समायोजित करना चाहिए था तथा केवल बाकी राशि परिसंपत्ति की बाजू में अर्थात रु.309.11 करोड(रु. 350.92 करोड़ में से रु.41.81 करोड़ घटा कर) दिखाना था| दो आंकड़ों को समायोजित ना करने के परिणामस्वरुप 'लाभ और हानि लेखा को नामें शेष' को तथा 'सामान्य आरक्षित' को रु.41.81 करोड़ से बढ़ाकर बताया गया| यद्यपि उक्त अवलोकन लेखा परीक्षा द्वारा 2017-18 से उठाया जा रहा है और पोर्ट प्रबंधन द्वारा उस पर अभी सुधारात्मक कार्यवाही की जानी है|	जैसे कि पीओएम में उल्लिखित है, मुंबई पोर्ट प्राधिकरण के पास कोई अनिर्दिष्ट निधि नहीं है. सामान्य आरक्षित निधि का प्रयोजन लाभ और हानि खाते के अधिशेष को अंतरित करना है, जो किसी अन्य निधि को आबंटित नहीं किया जा सकता. अतः हानि को समायोजित करने का प्रयोजन नहीं है जैसा कि पीओएम में अभिगृहीत है. वर्तमान लेखा पद्धति वित्तीय वर्ष 2017-18 की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) के अवलोकनों के आधार पर अनुपालन किया जाता है. तथा लेखा परीक्षा की सलाह के अनुसार तुलन पत्र की परिसंपत्ति के बाजू में इन्हें दिखाया जाता है. पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) में लेखों पर की गई टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियां (एटीएन)तुरंत संदर्भ हेतु संलग्न है. आगे, वर्तमान लेखा पद्धति का संगतवार अनुपालन किया जाता है. अतः सिद्धांत में कोई भी परिवर्तन गलत छवि में परिवर्तित होगा. भारतीय लेखा मानकों (प्रति संलग्न) के आईएनडी एएस-8 (कृपया 8.13 देखें) के सामंजस्य में लेखा सिद्धांत का पालन किया जाता है.
ए.2	सांविधिक आरक्षित निधि- रु.900.90 करोड़	
ए.2.1	कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि- कुछ नहीं	
	इसमें वर्ष के दौरान से सीएसआर निधियों के लिए किया गया अंशदान रु.2.86 करोड़ (वि. वर्ष 2020-21 के रु.95.03 करोड़ के शुद्ध लाभ का 3%) को अंशदान का समावेश नहीं है| मुं.प.प्रा. ने टाटा मेमोरियल अस्पताल से प्राप्य रु.16.67 करोड़ की कल्पित आय के प्रति रु.2.86 करोड़ की सीएसआर देयता समायोजित की है| इसके परिणामस्वरूप सीएसआर देयताओं (निधि) को घटाकर बताया गया तथा हानि रु.2.86 करोड़ कम बताई गई है|	ए) यह सत्य है कि पोर्ट ने शुद्ध लाभ (रु.95.03 करोड़) के 3% का अंशदान किया है, तथा उसे प्राप्त होने वाले लेखों के प्रति समायोजित किया गया है. आवश्यक प्रकटन लेखों पर टिप्पणीयां में दिया गया है
ए.3	चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम चालू परिसंपत्तियां :	
ए.3.1.	वस्तुसूचियां-रु. 4.38 करोड़ लेखा पद्धति नीति नं. 4 के साथ पठित	
	लेखो में प्रकट की गयी महत्वपूर्ण लेखा पद्धति नीति के अनुसार (मद सं.4) वस्तुसूची पर कोई भी मूल्यह्रास तथा कोई भी पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है और बहीयोमें वस्तु सूची लागत पर ली जाती है| नीति सीएफएफआर से भिन्न है जिसमें यह अनुबद्ध किया गया है कि वस्तुसूचियों निम्नतर भारित और लागत अथवा नकदीकरण मूल्य पर मूल्यांकन किया जाए| इस प्रकार लेखा परीक्षा वस्तुसूचियों के मूल्य की वस्तु सूचियों के मूल्य की यथार्थता (रु.4.38 करोड़) तथा लाभ और हानि खाते में दिखाए गए परिणामी प्रभाव के बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ है| वर्ष 2017-18 से इसी प्रकार का अवलोकन लेखा परीक्षा द्वारा उठाया जा रहा है| तथापि, सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है|	मुंबई पत्तन प्राधिकरण की वस्तुसूची सामान्य व्यापार के दौरान न हीं बिक्री के लिए रखी जाती है जाती है, न हीं उत्पादन की बिक्री की प्रक्रिया में निवेश स्वरूप उपयोग की जाती है. भंडार सामान्यतः यह अपने खपत के लिए रखे गए अतिरिक्त पुर्जे या अन्य चल सामग्री होता है. वस्तुसूची में राजस्व वस्तुएं, स्टॉक वस्तुएं, नॉन स्टॉक वस्तुएं हैं. अतः मुंबई पत्तन प्राधिकरण की खरीद को वस्तु सूचियों के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है. आगे, निवल नकदीकरण मूल्य का प्राक्कलन, प्राक्कलन के समय उपलब्ध सर्वाधिक विश्वस्त प्रमाण पर आधारित होता है, जो संभव नहीं है. वस्तुसूचियों के कोई मूल्यह्रास की सिफारिश नहीं की गई है, क्योंकि यह गैर पूंजीगत वस्तुएं है.

ए.3.2.	विविध कर्जदार-रु.3311.47 करोड़ (अनुसूची-IV)	
	ए.) विविध कर्जदारों के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग के सामान्य ढांचे (सीएफएफआर) को पोर्ट द्वारा कुछ हद तक पालन नहीं किया गया है, जो निम्नवत है: (i) अशुद्ध तथा संदेहास्पद दोनों के लिए प्रावधान करने संबंधी लेखा पद्धति नीति नहीं बनाई गई है तथा उसका खुलासा नहीं किया है, इस प्रकार लेखा परीक्षा द्वारा संदेहास्पद ऋणों की प्रदान की गई राशि(रु.20.26 करोड) की पर्याप्तता अथवा अन्य रूप से टिप्पणी करने में असमर्थ है| (ii) 'शोध्य समझे गए तथा पूर्णत: सुरक्षित ऋण','शोध्य समझे गए परंतु असुरक्षित ऋण' तथा 'संदेहास्पद अथवा अशोध्य समझे गए ऋण' जैसे विविध कर्जदारों को विभाजित कर ब्यौरा नहीं दर्शाया गया है|	ए.)इस संबंध में यह बताया जाता है कि, यह पोर्ट भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करता है. अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋणों के मामले में पोर्ट पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 06.11.2002 की पत्र संख्या पीजी-20021/2/98-पीजी में दिए गए अनुदेशों का पालन करता है. (i)&(ii) इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, कर्जदारों के ऋण को अशोध्य ऋण नहीं माना जा सकता. इसलिए अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान करना नियमानुसार नहीं होगा. तुलन पत्र में संदेहास्पद ऋणों के प्रावधान के लिए रु. 20.26 करोड उपलब्ध है. यदि भविष्य में कर्जदारों के ऋण को बट्टे खाते में डालने का निर्णय लिया जाता है, तो उसे इस प्रावधान के प्रति समायोजित किया जा सकता है.
	बी) पोर्ट ने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) को 7150.23 वर्ग मीटर मापन की भूमि दिनांक 1 मार्च 1972 से 28 फरवरी 2002 तक की अवधि के लिए पट्टेपर दी थी| भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों टैंक फार्म पर निर्धारित भंडार मूल्य रुपए 2.87 करोड़ पर कब्जा प्राप्त करने तथा आरसीएफ से वसूली योग्य रुपए 6.69 करोड़ के बकाया राशि से समायोजित करने का बोर्ड ने निर्णय लिया था **(दि.9 जनवरी 2018)|** यद्यपि आरसीएफ ने परिसंपत्तियों सौप दी है, कोर्ट ने आरसीएफ से प्राप्त बकायों की राशि समायोजित नहीं की थी| अतः विविध कर्जदारों की राशी रु.2.87 करोड़ बढ़ाकर कहीं गई है| हालांकि उक्त अवलोकन वित्तीय वर्ष 2020-21 की पृथक परीक्षा रिपोर्ट में लेखा परीक्षा द्वारा उठाया गया था और प्रबंधन ने कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है|	बी) दिनांक 13.09.2021 के अपने आवेदन द्वारा आइओसीएल ने नया पट्टा प्रदान करने की मांग की है. च्यूंकि संबंधित भू-खंड आईओसीएल लूब ब्लेंडिंग संयंत्र से सटा हुआ है. आइओसीएल को निबंधन एवं शर्तें उधृत कर पीजीएलएम के अनुसार संयंत्र तथा मशीन और अमोनिया टैंक के लिए रु. 2.86 करोड़ के स्क्रैप मूल्य की अग्रिम राशि का आवाहन किया गया. जवाब में, आईओसीएल ने कहा है कि अमोनिया टैंक सहित संयंत्र और मशीन उनके लिए उपयुक्त नहीं है, तथा अनुरोध किया कि भूमि का प्रस्ताव बगैर किसी भी संयंत्र तथा मशीन और अमोनिया टैंक से मुक्त करें. इस प्रकार दिनांक 23.10.2018 को भूखंड की खाली भूमि का कब्जा प्राप्त होने की तिथि से अब तक किसी भी भावी बोलीदाता से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है. मामला बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण हेतु रखा जाएगा. आरसीएफ लि. को एक बार फिर दि. 30.06.2022 तक रु.14,59,36,889.93 की अध्यतित बकाया राशि को चुकाने का अनुरोध किया गया था. अतः आरसीएफ से वसूली योग्य बकायों के प्रति स्क्रैप मूल्य राशि का समायोजन अब तक नहीं किया जा सका है.
	सी) संपदा किराए –रु.2474.21करोड़ संपदा विभाग से प्रस्तुत संपदा किरायों के बिल बकाया स्तिथि दिनांक 31 मार्च 2022 को रु.2563.97 करोड़ का बकाया राशि दर्शाते हैं, तथापि वार्षिक लेखों में विविध कर्जदारों के अधीन रु.2474.21 करोड़ चित्रित किया गया है, जिससे रु.89.76 करोड का अंतर बढ़ता है| इसके परिणाम स्वरूप विविध कर्जदारों की राशि रु.89.76 करोड घटाकर बताई गई है तथा उसी हद तक हानि को बढ़ाकर बताया गया है|	सी) बकाया राशि के अंतर को कम करने के कठोर प्रयास किए जा रहे हैं. प्रयासों के कारण अंतर कम हुआ है, जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है:- (रुपए करोड़ में) **वर्ष | नियंत्रणबही | संपदा | अंतर** **2019-20 | 2533.61 | 2751.97 | 218.36** **2020-21 | 2650.90 | 2788.95 | 138.05** **2021-22 | 2474.21 | 2563.97 | 89.76**

<table>
<tr><td>ए.4.</td><td>चालू देयताएं तथा प्रावधान- रु.5312.05 करोड़
चालू देयताएं</td><td></td></tr>
<tr><td>ए.4.1</td><td>सीएफएफआर के अनुसार, यदि सेवानिवृत्ति के लाभों की देयता का वित्त पोषण एक न्यास के सृजन के माध्यम से किया जाता है, तब वर्ष के दौरान लागत का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाएगा| मुं.प.प्रा. ने पेंशन निधि, उपादान निधि तथा अवकाश नकदीकरण निधि के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किया है जैसे कि नीचे दिया गया है:
(रु. करोड़ में)
<table>
<tr><th>निधि का नाम</th><th>बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2022 को प्रदान की जाने वाली देयता</th><th>दि.31 मार्च 2022 के अनुसार शेष राशि</th><th>कमी</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>पेंशन निधि</td><td>13323.66</td><td>8955.34</td><td>4368.32</td></tr>
<tr><td>उपादान निधि</td><td>557.63</td><td>38.83</td><td>518.80</td></tr>
<tr><td>अवकाश नकदीकरण निधि</td><td>221.87</td><td>--</td><td>221.87</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>14103.16</td><td>8994.17</td><td>5108.99</td></tr>
</table>
परिणाम स्वरूप चालू देयताओं को रु.5108.99 करोड़ कम बताया गया तथा तदनुरूप हानि को कुछ हद तक कम बताया गया है|
यद्यपि वर्ष 2012-13 से उक्त कमियों को लेखा परीक्षा में दर्शाया जा रहा है| तथापि पोर्ट प्रबंधन ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है|</td><td>पोर्ट इन निधियों को बढ़ाने के लिए वास्तविक प्रयास कर रहा है. बारम्बार होने वाले घाटों को ध्यान में रखते हुए यह संभव नहीं था कि पूर्ण वित्त पोषण कर अंतर को पूरा किया जा सके. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, मुंबई पत्तन प्राधिकरण में पेंशन निधि में रु. 33.00 करोड़ की राशि का अंशदान किया है, जिसे पेंशन वितरण हेतु प्रयुक्त किया गया है. तथा रु.565.00 करोड़ एलआईसी में निवेश हेतु अंतरित किए गये. वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु.419 करोड़ की राशि, तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 350 करोड़ की राशि का मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फंड ट्रस्ट में अंशदान किया गया था.

आगे सीएफएफआर की आवश्यकता के अनुसार, वर्ष के लिए लागत सुनिश्चित की जानी चाहिए. उसे किया जा रहा है, तथा सेवानिवृत्तों/ पेंशनरों को बगैर चुक के भुगतान किया जा रहा है. अतः कोई भी गैर-अनुपालन नहीं हो रहा है.

आगे, पेंशन कर्मचारियों में कोई बढ़ोतरी नहीं है, तथा कर्मचारियों की घटती संख्या के कारण देयता और मूल्यांकन भविष्य में आगे और घटेगी.

यह नोट किया जाए कि, पेंशन निधि अंशदानों को पोर्ट प्रचालनों से सृजीत नियमित आयों से उठाया जाता है. तथापि प्रशुल्क नियतन दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल पेंशन देयता का एक तिहाई (1/3) प्रशुल्क नियतन के प्रयोजन के विचारार्थ की अनुमति है.

एएस-15 अनुच्छेद 40-41 पर निर्दिष्ट करता है कि जब अनिश्चितता होती है, देयता में इसका प्रकटन किया जाना चाहिए. पोर्ट ने इस संबंध में लेखों पर टिप्पणियां के अनुच्छेद संख्या 17(ए) में इसका पारदर्शी प्रकटन किया है.</td></tr>
<tr><td>ए.4.2.</td><td>विविध लेनदार-रु3730.60 करोड़</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>उपार्जित व्यय रु.203.19 करोड़</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>उपरोक्त में बृ.मुं.म.पा. के संबंध में देय रु.42.02करोड़ के संपत्ति कर का समावेश नहीं है | मुं.प.प्रा. वर्ष 1995-96 तक बृ.मुं.म.पा.से वसूले जाने वाली अनुरक्षण लागत (गोदी क्षेत्र के अंदर सड़कों, व्हार्फों आदी के रखरखाव के लिए) से समायोजित करते हुए संपत्ति कर का भुगतान कर रहा था| वर्ष 1995-96 में बृ.मुं.म.पा. ने संपत्ति कर से अनुरक्षण लागत के मामले को हटाने (डी लिंक) का अनुरोध किया था, जिसे मुं.प.प्रा. ने मान लिया था|
संपत्ति कर के बदले में रु.4.87 करोड़ प्रति वर्ष की दर से (मुं.प.प्रा. की संपत्ति के कर योग्य मूल्यों पर आधारित) बृ.मुं.म.पा. सामान्य प्रभारों का दावा करती है| तथापि मुं.प.प्रा. का संपत्ति कर रु.3.91करोड़ प्रतिवर्ष मात्र की दर से अनुरक्षण लागत के संबंध में उनके दावे को समायोजित कर देयता प्रदान कर रही है|
अत: अनुरक्षण लागत को समायोजित कर के संपत्तिकर के सांविधिक बकाया के प्रति देयता को कम प्रावधान करने के परिणाम स्वरुप उपार्जित व्ययों तथा हानि को रु.42.02 करोड से कम बताया गया|</td><td>लेखों पर टिप्पणीयां के अनु. क्रमांक 4 पर आवश्यक प्रकटन दिया गया था.
तथापि, लेखा परीक्षा द्वारा दिये गए सुझाव के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखों में आकस्मिक देयताओं को अधिन विस्तृत प्रकटन किया जाएगा.</td></tr>
<tr><td>ए.4.3.</td><td>व्यापारियों, संविदाकारों तथा अन्यों से अग्रिम-रु.1544.84 करोड़</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>इसमें पट्टेदारों/ किरायेदारों से वसूले गए रु.1099.39 करोड संपदा किरायों का समावेश है, (संपदा विभाग फुटकर अग्रिम खाता) जिसे देनदार खाता शीर्षक के प्रति अंतिम रूप से समायोजित करने की आवश्यकता है| यद्यपि वर्ष 2017 में तीन सीए फर्मों की टीम को शेष राशियों के मेल मिलाप के लिए रखा गया है, अब तक मेल मिलाप का कार्य पूरा नहीं हो सका है| आगे सीए फर्मों की संविदा जून 2021 को समाप्त हो चुकी है|
अत: लेखा के इस शीर्ष की यथार्थता लेखा परीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकी है|</td><td>लेखा परीक्षा का यह तर्क, की वर्ष 2015-16 से कोई कार्यवाही नहीं की गई है, सही नहीं है तिन सीए फर्मों की संविदा दि. 07.06.2021 को समाप्त हो गई है. आगे सीए फर्मों की नई नियुक्ति शुरू की जा रही है. आईईएमएस में कुल 694 मामलों में क्रेडिट नोटों का समायोजन किया गया. जिसके कारण विविध देनदारों से रु.98.41 करोड़ की छंटनी की गई तथा एमडी खाते से राजस्व खाते में समायोजित की गई राशि रु.19.15 करोड़ है. आगे वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान रु.122.59 करोड समायोजित की गई है.</td></tr>
</table>

	उक्त अवलोकन लेखा परीक्षा द्वारा वर्ष 2015-16 से उठाया जाता रहा है| जबकि मेल मिलाप की प्रक्रिया काफी पहले वर्ष 2017 से शुरू हो चुकी है, उसे पूरा होना अभी बाकी है	
ए.5.	प्रावधान अन्य प्रावधान वसूली न गये संपदा किराए हेतु प्रावधान रु.1478.19 करोड़	
	उपरोक्त मुं.प.प्रा. द्वारा पिछले 8 वर्षों के दौरान (2013 से) वसूले न जा सके पुराने संपदा किराये दर्शाता है, जिसके लिए प्रावधान किया गया था| तथापि उसे विविध कर्जदारों के अधीन कटौती के रूप में नहीं दिखाया गया था| इसके परिणाम स्वरूप विविध कर्जदारों को रु.1478.19 करोड़ से बढ़ाकर बताया गया तथा चालू देयताओं और प्रावधानों को उतनी ही राशि से बढ़ाकर बताई गई| इसे प्रबंधन पत्र के माध्यम से वर्ष 2020-21 में सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जारी किया गया था| तथापि, प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की है	वित्तीय वर्ष 2012-13 तक न वसूले गए संपदा किरायों के लिए प्रावधान किए गए थे. वित्तीय वर्ष के दौरान बनाये गये बिल की राशि तथा वसूल की गई राशि के बीच के अंतर को, न वसूले गए संपदा किराए माने गये. बही में प्रविष्टि पारित करते समय न वसूले गए किराए के कारण देयता को, अंतर की समतुल्य राशि को उस वित्तीय वर्ष की संपदा किराए से आय से कटौती की गई. इस प्रक्रिया में संपदा किराए के कर्जदारों को कम नहीं किया गया. इसके बाद लेखा पद्धति की उपार्जित प्रणाली के साथ श्रेणीबद्ध करने हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 से संपदा किरायों को उपार्जित आधार पर लेकर बिल बनाया जाता है. वर्ष 2013-14 से वसूले न गए संपदा किरायों के लिए कोई प्रविष्टि पारित नहीं की गई है. रु.1099.35 करोड़ की (दि. 31.03.2022 के अनुसार) फुटकर जमा राशि विवादित बकाया कर्जेदारों के प्रति रखी गई है. इस फुटकर जमा (एमडी) खाते से संपदा किराए वसूले न गये संपदा किरायों के प्रावधान के प्रति समायोजित किया जा रहा है. इसलिए, लेखा परीक्षा के सुझाव का अनुपालन संपदा फुटकर जमा खाते (एमडी) के समायोजित/ मेल-मिलाप समाप्त होने के बाद अनुपालन किया जा सकता है. तथापि, लेखा परीक्षा के अवलोकन को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट किया गया है.
ए.6.	लाभ और हानि खाते का शेष- रु.350.92 करोड़ (संचित हानी)	
	उक्त में रु.27.60 करोड़ का समावेश है, जो सीएसआर गतिविधि के अधीन टाटा स्मारक अस्पताल को 10 वर्षों के अवधी के लिए रु.1/प्रति वर्ग मी. प्रति वर्ष के नाम मात्र मूल्य पर पट्टा आधार पर भूमि के आबंटन के सांकेतिक आय के रूप में मान्य की गई है| सांकेतिक आय त्यागा गया पट्टा किराए को दर्शाता है, जिसे पट्टा धारक भुगतान के लिए बाध्य नहीं है| पोर्ट ने सांकेतिक आय को विविध कर्जदार के लिए रु.16.67 करोड़ तथा सीएसआर निधि खाते में देयताओं रु.10.93करोड़ को नामें कर बही खाते में डाला| कंपनी(कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नीति नियम, 2014 में यह निर्धारित है कि सीएसआर परियोजनाओं को अथवा कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष को किसी कंपनी के व्यवसाय के लाभ का भाग नहीं बनाया जाएगा| आगे, सीएसआर से प्राप्त कोई अधिशेष को तत्काल सीएसआर व्यय हेतु दायित्व के रूप में माना जाएगा तथा लाभ और हानि के विवरण के एक प्रभार के रूप में माना जाएगा, जो पोर्ट ने नहीं किया है| साथ ही सीएसआर व्यय के रूप में पात्र होने के लिए, उस राशि को एमसीए के दिनांक 12.01.2016 के परिपत्र में स्पष्ट किए अनुसार खर्च किया जा सकता है| आगे एमसीए ने (दि.25 अगस्त 2021 के परिपत्र संख्या सीएसआर-05/01/2021-सीएसआर- एमसीए के माध्यम से) एफएक्यू के द्वारा स्पष्ट किया है कि "सीएसआर के देयता अंशदान वस्तु तथा मौद्रिक नहीं हो सकता" (एफएक्यू 3.12)| अत: सीएसआर की देयता बही समायोजित कर कम करना सीएसआर का उचित उपचार नहीं है| इसके परिणाम स्वरूप रु.27.60 करोड़ की हानि को कम कर बताया जाने के साथ विविध कर्जदारों को रु.16.67 करोड़ बढ़ा कर तथा सीएसआर देयताओं को रु.10.93 करोड़ घटा कर बताया गया है| टिप्पणी दि.31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष की मुं.प.प्रा. के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से जारी की गई थी| तथापि प्रबंधन ने सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की है|	मुंबई पोर्ट की कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधि के रूप में रु. 1 प्र. वर्ग मी. प्र.वर्ष के नाममात्र किराए पर पट्टा आधार पर 10 वर्षों की अवधि के लिए टाटा स्मारक अस्पताल को राजस नगर स्थित भूमि तथा ए, बी और सी इमारतों का आबंटन किया है. उपरोक्त भूमि तथा इमारतों के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए पट्टा शुल्क का अपफ्रंट (प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि तथा 6.74 बट्टा घटक के साथ) रु.27.60 करोड़ होता है. इसे सीएसआर गतिविधि के रूप में रु.1/- प्रति वर्ग मी. प्र. वर्ष के नाममात्र दर से छोड़ दिया गया है. च्यूंकि, आय को छोड़ दिया गया है तथा लाभ के किसी तत्व का समावेश नहीं है, अतः रुपए 27.60 करोड़ के सांकेतिक लाभ का लेखा परीक्षा का दावा नियमानुसार नहीं है. आगे, यह आय जो मुंबई पोर्ट द्वारा छोड़ी गई है, वह 10 वर्षों के लिए है, तथा उसे हर वर्ष सीएसआर अंशदान में लगाया जाएगा. छोड़ी गई आय को लेखांकन मानक बोर्ड द्वारा निर्धारित राजस्व मान्यता संकल्पना का विचार करते हुए मान्य किया है. राजस्व मान्यता संकल्पना के अनुसार राजस्व रोकड़ का सकल अंत:प्रवाह, प्राप्य अथवा अन्य का प्रतिफल है. अतः जैसे कि लेखा परीक्षा द्वारा दिखाया गया है वैसा लाभ तथा विविध कर्जदारों को बढ़ाकर नहीं बताया गया है. आगे, "निधि में वस्तु तथा अंशदान" के संबंध में यह बताया जाता है कि पोर्ट ने टाटा अस्पताल को इमारतें बगैर किसी प्रतिफल राशि के हस्तांतरित की है. पोर्ट ने मात्र किराया आयको हिसाब में लिया है, जो छोड़ दी गई है. इस तरह इमारतों का मुद्रीकरण शामिल नहीं है.

<table>
<tr><td>बी)</td><td>लाभ और हानि खाता</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>परिचालन आय
संपदा किराये
भूमि से किराया-रु.244.72 करोड़</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>रु.390.97 करोड़ संपदा किरायों में रु.17.69करोड़ का समावेश नहीं है, जो विभिन्न पार्टियों से न्यूनतम गारंटी थ्रूपूट(एमजीटी) के कारण दंड के रूप में वसूले गए| पोर्ट ने (वर्ष 2002 से) अतिरिक्त मार्गाधिकार प्रभारों की निर्धारित एमजीटी में कमी को हासिल करने के लिए विभिन्न पार्टियों से (टीपीसीएल, एचपीसीएल, सीटीटीएल बीपीसीएल तथा एजिस) 25 सितंबर 1996 से 31मार्च 2015 तक रु.71.58 करोड़ मांग उठाई थी|
उपभोक्ता द्वारा बिल किये गए दंड पर विभिन्न कारणों से विवाद खड़ा कर दिया तथा बोर्ड को प्रतिवेदन कर दिया तथा दंड प्रभारों को नहीं अदा किया तथा एमजीटी उपनियम से छूट की मांग की| पोर्ट ने वसूली गई रु.17.69 करोड़ की राशि को फुटकर जमा में दिखाया है, जबकि उसे राजस्व के रूप में मान्यता दी जानी थी| इस वर्ष 2020-21 के प्रबंधन पत्र के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उठाया गया था| तथापि, प्रबंधन ने कार्यवाही नहीं की है</td><td>एमजीटी के प्रति पार्टी से प्राप्त राशि को सत्यापित किया जा रहा है, तथा फुटकर जमा खाते (एमडी) में उचित समायोजन कर, वर्ष 2022-23 के दौरान पारित किया जाएगा</td></tr>
<tr><td>सी)</td><td><u>लेखों पर टिप्पणियां</u>
पूंजीगत कार्य प्रगति पर है(सीडब्ल्यूआईपी) में वडाला से कुर्ला के बीच मालभाडा संचलन हेतु एक समर्पित मालगाड़ी लाइन से संबंधित परियोजना पर पूंजीगत व्यय के रु.74.76करोड़ की राशि का समावेश है| परियोजना जून 2019 को स्थगित रखी गई तथा अगले 8 से 10 वर्षों तक दोबारा प्रचलित करने की संभावना नहीं रखी गई थी| परियोजना की संपूर्ण लागत रेलवे की भूमि पर वहन की गई थी जिस पर पोर्ट का न कोई कब्जा/नियंत्रण है न हीं पोर्ट अगले और 10 वर्षों तक कोई लाभ की अपेक्षा करता है| आगे, खाली की गई भूमि अथवा सृजीत परिसंपत्ति को प्रबंधन के मूल रूप से ईरादे अनुसार न हीं उपयोग किया जा सकता है न हीं किसी वैकल्पिक उपयोग की रेलवे ने सहमति जताई है| इस महत्वपूर्ण तत्व को एक नोट द्वारा प्रकट किया जाना चाहिए था</td><td>लेखा परीक्षा ने एमओयू (समझौता ज्ञापन) के अनुसार ध्यान दिलाया है कि, कार्य मध्य रेलवे द्वारा किया जाएगा. मुंबई पत्तन प्राधिकरण कार्गो के तुरंत निकासी के लिए समर्पित रेलवे लाइन बिछाने के लिए मध्य रेलवे को धनराशि का भुगतान करेगा. इसलिए परियोजना हाथ में ली गई थी. तथापि, कुछ वर्षों में कार्गो में कमी आई है, तथा परियोजना स्थगित रखी गई. परियोजना छोड़ी नहीं गई है. ऐसी आशा है कि कार्गो बढ़ेगा तथा परियोजना पुन: प्रचलित की जाएगी. आईसीएआई (भारतीय लागत लेखाकार संस्थान) द्वारा वित्तीय विवरण की सुधार और प्रस्तुतिकीय रूपरेखा के अनुसार परिसंपत्ति उद्यम द्वारा नियंत्रित एक स्रोत है, जो पिछले कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम को प्राप्त होने अपेक्षित है. इसका मतलब है एक स्त्रोत जो उद्यम के स्वामित्व में नहीं है, उसको मान्यता देना संभव है. समझौता ज्ञापन का खंड 1(I) स्पष्टता बताता है कि, मध्य रेलवे मुंबई पत्तन प्राधिकरण को जब कथित समर्पित लाइन के जब उपयोग की बात होगी तो मुंबई पत्तन प्राधिकरण के यातायात को वरीयता देगा, अंत: कहा गया है कि, मुंबई पत्तन प्राधिकरण का समर्पित लाइन पर नियंत्रण रहेगा. साथ ही इस परियोजना को इसकी समग्रता के रूप में देखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्त्रोत मुंबई पत्तन प्राधिकरण की संपूर्ण गतिविधि के आय अर्जित करने के लिए समर्थ बनाता है. उपरोक्त को ध्यान में रखकर लेखा परीक्षा से अनुरोध है कि, एक अलग दृष्टि रखकर संबंधित कार्य को सीडब्ल्यूआईपी (पूंजीगत कार्य प्रगति पर है) के रूप में यथास्थिति बनाए रखने की अनुमति दें.</td></tr>
<tr><td>डी)</td><td>सहायता अनुदान
मुंबई पत्तन प्राधिकरण को प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:
(रुपए करोड़ में)
<table>
<tr><th>क्र. स.</th><th>परियोजना का नाम</th><th>सहायता अनुदान का स्त्रोत</th><th>आदि शेष</th><th>प्राप्ति</th><th>प्रयुक्त</th><th>अव्ययित</th></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="2">मुंबई अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल (एमआईसीटी) का उन्नयन/ आधुनिकीकरण</td><td>सागरमाला (पोत परिवहन मंत्रालय)</td><td>25.000</td><td>118.985</td><td>154.360</td><td>2.125</td></tr>
<tr><td></td><td>पर्यटन मंत्रालय</td><td>12.500</td><td>0.000</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>मॅलेट बंदर मत्स्य बंदरगाह</td><td>मात्स्यिकी मंत्रालय</td><td>0.000</td><td>24.000</td><td>0.050</td><td>23.950</td></tr>
<tr><td>3</td><td>तीसरा रसायन घाट</td><td>सागरमाला (पोत परिवहन मंत्रालय)</td><td>0.000</td><td>40.250</td><td>0.316</td><td>39.934</td></tr>
<tr><td>4</td><td>केएएलएच के पास पर्यटन के बुनियादी ढांचे का विकास</td><td>पर्यटन मंत्रालय</td><td>3.460</td><td>0.384</td><td>3.844</td><td>0.000</td></tr>
</table></td><td>तथ्यात्मक</td></tr>
</table>

			कुल	40.960	183.619	158.570	66.009	

ई)	प्रबंधन पत्र पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में जो कमियां समाविष्ट नहीं की गई है, वह अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से उपचारात्मक/ सुधारात्मक कार्यवाही के लिए पोर्ट को सूचित कर दी गई है	
	v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमारे अवलोकनों के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में संबंधित तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखा लेखा बहियों के अनुरूप है|	तथ्यात्मक
	vi) हमारी राय में हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा पद्धति नीतियों और लेखों की टिप्पणियों के साथ पठित कथित वित्तीय ब्यौरे और ऊपर उल्लिखित कुछ विशिष्ट मामलों तथा अनुलग्नक-I में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में साधारण तथा स्वीकृत की गई लेखा पद्धति के अनुसार सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं| ए) जहां तक तुलन पत्र से इसका संबंध है दि.31 मार्च 2022 की मुंबई पत्तन प्राधिकरण के कार्यकलाप के परिस्थिति है; और बी) जहां तक लाभ और हानि लेखा का ईससे संबंध है, यह उस स्थिति को समाप्त वर्ष की हानि है|	तथ्यात्मक
	vii) 31 मार्च को समाप्त 3 वर्षों के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण का सारांशित इस वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाली लेखों की समीक्षा अनुलग्नक-II में दी गई है| भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से	तथ्यात्मक
	हस्ता/- (पी वी हरि कृष्ण) महानिदेशक तथा लेखा परीक्षा (नौवहन) मुंबई स्थान : मुंबई दिनांक : 21 सितंबर 2022	कॅप्टन भवतोष चंद उपसंरक्षक वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के वैधानिक अधिकार के साथ स्थान : मुंबई दिनांक : __ सितंबर 2022

	अनुलग्नक -I	
1.	**आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** पोर्ट की अंतरिक लेखा परीक्षा मे. एससीएम एसोसिएट्स, सनदि लेखाकार को सौंपी गई थी. यहां आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों को की गई कार्रवाई की टिप्पणी के साथ उनके अवलोकन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था 2020 से नहीं है. यह अपर्याप्त प्रबंधन नियंत्रण को दर्शाता है.	मैसर्स एससीएम असोसिएटस को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण के बाह्य आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है. आंतरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट विभागों में टिप्पणी तथा सुधारात्मक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है. विभागों से प्राप्त टिप्पणियों को, की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार करने हेतु मै. एससीएम असोसिएटस को अग्रेषित किया जाता है. की गई कार्यवाही की रिपोर्ट के साथ आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पटल कागजात के रूप में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी.
2.	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**	
	ए) यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को बैंक का मेल-मिलाप विवरण निम्नलिखित को ध्यान में लेते हुए पत्तन के आंतरिक नियंत्रण में सुधार लाने की आवश्यकता है. मुंबई पत्तन प्राधिकरण (मुंप्रपा), वित्त प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस) नौ बैंक खातों का प्रचालन करता है. दि. 31 मार्च 2022 को यथास्थिति बैंक का मेल-मिलाप विवरण निम्नानुसार कमियां प्रकट करता है.	
	(i) एक बैंक में शेष रु. 439.42 करोड़ मूल्य के 625 चैकों को घटाकर है, जो अप्रैल 2006 से पत्तन द्वारा जारी किए गए थे, तथा यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को तीन महीनों से पुराने थे	(i) मेल मिलाप के लिए काफी प्रगति की गई है. वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है- यथा दिनांक 31.03.2022 को 3 महीनों से अधिक पुराने 625 चैकों में से 369 चैकों का पहले ही मेल मिलाप किया गया है, और शेष 256 प्रविष्टियों का मेल मिलाप करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. रु.439.42 करोड़ में से रु.337.58 करोड़ के फर्क का मेल मिलाप किया गया है. तथा शेष रु.101.84 करोड़ का मेल मिलाप किया जा रहा है.
	(ii) रु. 754.96 करोड अप्रैल 2006 से पत्तन की बहियों में बैंक में जमा किए गए ऐसे दर्शाए गए परंतु बैंक के विवरण (स्टेटमेंट) में नहीं दिख रहे हैं.	(ii) पैरा में यथावर्णित राशियों को खाते में जमा किया गया, परंतु उनका मैचिंग तथा मेल-मिलाप लंबित है रु.754.96 करोड़ में से रु.352.85 का पहले ही मेल-मिलाप किया गया है. रु.402.11 करोड़ की शेष राशि को आरटीजीएस/ एनईएफटी/आइएमपीएस/ चेकों के जरिए बैंक खातों में जमा किया गया है, तथा उसे मुंबई पत्तन प्राधिकरण के खाता बहीयों प्राप्तियों के रूप में हिसाब में लिया गया है. इन प्रविष्टियों को संगत बैंक क्रेडिट प्रविष्टियों के साथ (लिंक करने) जोड़ने की प्रक्रिया जारी है. कई बार पोर्ट द्वारा जमा किए गए बहुविध चैकों के लिए बैंक समेकित जमा (क्रेडिटस) देती है. अतः खाता बहियों में जमा बैंक प्रविष्टियों का व्यक्तिगत चैक प्रविष्टियों के साथ मिलान करना कठिन होता है. आगे, जो राशियां खाता बहियों में लिखी जाती है वह संबंधित विभागों द्वारा दी गई सलाह के आधार पर होती है, जिसमें डिजिटल माध्यम से किया गया भुगतान शामिल है. भुगतानों से संबंधित संगत सूचना के अभाव में जैसे कि युटिआर संख्या, जमा की वास्तविक तिथि, पार्टी का नाम आदि, मिलान का काम करना कठिन होता है. विभागों, बैंकों, पोर्ट उपभोक्ताओं के साथ अनुवर्तन करके खाता बहियों की प्रविष्टियों को बैंक जमा (क्रेडिटस) के साथ मिलान करने का कार्य जारी है.
	(iii) रु. 688.56 करोड बैंक द्वारा जमा किए गए (क्रेडिट) परंतु मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा लेखा में नहीं लिए गए	(iii) रु.688 56 करोड़ में से रु. 252.70 करोड़ का पहले ही मेल-मिलाप किया गया है. बैंक द्वारा जमा किए गए (क्रेडिट) शेष रु.435.86 करोड़ की राशि के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने रु.402.11 करोड़ की प्रविष्टियों को खाते में लिया है. उपरोक्त पैरा (1) जिन्हें लिंक (जोडा) किया जा रहा है. अन्य कुछ प्रविष्टियां जिनकी पहचान नहीं की जा सकी तथा खाते में नहीं लिया जा सका उनका संबंधित विभागों तथा पोर्ट उपभोगकर्ता विशेषकर सरकारी ग्राहक अर्थात आइओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, मझगांव डॉक के साथ अनुवर्तन करके मेल-मिलाप किया जा रहा है. जानकारी प्राप्त होने के बाद इन प्रविष्टियों को मैच तथा मेल-मिलाप किया जाएगा.
	(iv) रु. 731.99 करोड बैंक द्वारा नामे (डेबिट) लिखे गए परंतु मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा कोई भी प्रविष्टियां पास नहीं की गई.	(iv) रु.731.99 करोड़ में से रु.566.56 करोड़ का पहले ही मेल मिलाप किया गया है. आगे, इन प्रविष्टियों का मेल-मिलाप करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं ईआरपी प्रणाली के कार्यान्वयन के कारण 2 महीनों

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>की अवधि के लिए एफएमएस प्रणाली उपलब्ध नहीं थी. तथापि, ट्रेजरी शाखा ने मेल-मिलाप के लिए परिमेय सुधार किया है, जिनका विवरण निम्न प्रस्तुत है:-
<table>
<tr><th>क्र. सं</th><th>निवासी लेखा परीक्षक अधिकारी की अभियुक्तियां</th><th>राशि (करोड़ में) चालू वर्ष (2021-22) 31.03.2022 के अनुसार बीआरएस</th><th>राशि (करोड़ में) चालू वर्ष (2021-22) 22.09.2022 के अनुसार बीआरएस</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>बही नामें प्रविष्टियां</td><td>754.96</td><td>343.07</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>बही जमा प्रविष्टियां</td><td>776,75</td><td>101.84</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>बैंक नामें प्रविष्टियां</td><td>731.99</td><td>165.43</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>बैंक जमा प्रविष्टियां</td><td>688.56</td><td>388.51</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>बी) नकदी एवं बैंक में शेष राशियां

ए) बैंकों में जमा (व्यापारियों, संविधाकारों तथा अन्यों की ओर से):
(i) रु. 34.15 करोड़ राशि की सावधि जमा रसीदों में से (एफडीआर) पत्तन के पास वास्तविक उपलब्ध एफडीआर मात्र रु. 33.60 करोड़ की थी.

(ii) इनमें रु. 32.01 करोड़ मूल्य की 426एफडीआर जो 1990 से मार्च 2022 तक की अवधि में परिपक्व हो गई है तथा इनको नवीकृत नहीं किया गया है और पत्तनने इन सावधि जमा की बैंकों से पुष्टि नहीं प्राप्त की है.

बी) बैंकों में जमा रू.245.05 करोड़ की राशि पत्तन द्वारा यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को कारपोरेट तरल मियादी जमा (सीएलटीडी) में जमा की गई राशि को दर्शाती है. तथापि, रोकड़ अनुभाग के अनुसार शेष राशि की पुष्टि रू.264.85 करोड थी. रु.19.80 करोड़ के फर्क का मेल-मिलाप किया जाए.

सी) बैंकों के पास शेष राशियां
(अन्य विभाग)रु.5.87 करोड

यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को विभिन्न कार्यरत विभागों के बहींशेष तथा जीएल कोड 0886, 0887, 0888 तथा 0891 के संबंध में शेष-परीक्षण के अनुसार शेषदारी के बीच रु.2.65 करोड़ का फर्क है.</td>
<td>ए) विवरण (स्टेटमेंट्स) में दिखाए गए फर्कों का मेल-मिलाप किया जा रहा है और सावधि जमा रसीदों की सूची आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों को भेजी जा रही है.

बी) जीएलसी-0871 के बहीं शेष के रूप में रु.245.05 करोड़ की राशि में यथा दिनांक 31.03.2022 कि रु.3.00 करोड़ की बैंक गारंटी की राशि शामिल है. रु.234.40 करोड़ के बैंक स्टेटमेंट्समें प्रत्येकी रु.1,99,99,990/- (रुपए 2,99,99,890/-) शामिल है, जो भारतीय स्टेट बैंक में जमा है.

बैंक से स्टेटमेंटस नहीं प्राप्त होने के कारण रु.30.45 करोड़ राशि के दो सीएलटीडीयों को हिसाब में लिया जाना बाकी है. उसे हिसाब में नहीं लिया जा सका क्योंकि नयी एईबीएस प्रणाली के कार्यान्वयन के कारण एफएमएस प्रणाली बंद थी. उसे नयी ईबीएस प्रणाली में लिया जा रहा है.

सी) जहां तक संपदा विभाग का संबंध है (जीएलसी-0891), संपदा विभाग द्वारा अनुरक्षित बही शेष तथा शेष-परीक्षण के बीच रु.230178.90 का फर्क है. इस परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि, वार्षिक लेखों को 31.03.2022 को अंतिम रूप दिया गया था और ईआरपी प्रणाली को सुनिश्चित करने के कारण बहीं शेष तथा लेजर शेष के बीच फ़र्क को समायोजित करने के उद्देश्य से रु.230178.90 राशि की जर्नल प्रविष्टि को दर्ज करना बाकी रह गया. इस समायोजन को आनेवाली ईआरपी प्रणाली में प्रभावित किया जाएगा. प्रविष्टि दर्ज करने के बाद फर्क रु.0.03 करोड़ तक कम हो जाएगा. जिसे यथासमय मेल-मिलाप किया जाएगा.

विभागों तथा संबंधित लेखा परीक्षा शाखाओं को जीएलसी-0886, 0887 तथा 0888 को प्राथमिकता आधार पर मेल-मिलाप करने के अनुदेश दिए गयें हैं.</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>अचल परिसंपत्तियों की वस्तुगत सत्यापन प्रणाली
पोर्ट द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार अचल परिसंपत्तियों का वस्तुगत सत्यापन संचालित किया जाता है. पिछला वस्तुगत सत्यापन वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया गया था. अचल परिसंपत्तियों के प्रभावी आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य के लिए</td>
<td>प्रचलित प्रथा के अनुसार अचल संपत्तियों का वस्तुगत सत्यापन प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार किया जाता है. पिछला वस्तुगत सत्यापन वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया गया था. अतः अब अगला वस्तुगत सत्यापन वित्तीय वर्ष 2022-23 में होगा.</td>
</tr>
</table>

	अचल परिसंपत्तियों के वस्तुगत सत्यापन की बारंबारता में सुधार आवश्यक है.	प्रसंगवश, पोर्ट संपत्तियों के बीमें के लिए अचल परिसंपत्तियों का पुनरीक्षण किया जाता है.
4.	वस्तुगत वस्तुसूची की वस्तुगत सत्यापन प्रणाली 31 मार्च 2022 को यथास्थिति वस्तुसूची का वस्तुगत सत्यापन लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था. पत्तन ने न कोई मूल्यह्रास नीति को अपनाया है न हीं महापत्तनों के लिए सीएफएफआर में समाविष्ट दिशा निर्देशों के अनुपालन में परिसंपत्तियों का कोई पुनर्मूल्यांकन किया है.	तथ्यात्मक वस्तुसूची धारक विभागों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को यथास्थिति वस्तु सूचियों का वस्तुगत सत्यापन करने का अनुरोध किया गया है.
5.	सांविधिक देय राशियां अविवादित सांविधिक देय राशियों का भुगतान करने में पोर्ट नियमित रहा है	--------
	हस्ता/- अनिता सिंह उप निदेशक स्थान: मुंबई दिनांक:21 सितंबर 2022	हस्ता/- कॅप्टन भवतोष चंद उपसंरक्षक वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के वैधानिक अधिकार के साथ स्थान: मुंबई दिनांक: __ सितंबर 2022

31 मार्च 2022 को समाप्त तीन वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा मुंबई पत्तन प्राधिकरण के लेखों की पुनरीक्षा

(लेखों का पुनरीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मसौदा पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किए गये अवलोकनों / टिप्पणियों पर विचार किए बगैर तैयार किया गया है.

अनुलग्नक -II

1. **वित्तीय स्थिति**

दि. 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए तीन वर्षों के लिए मुख्य शिर्षकों के अंतर्गत मुंबई पत्तन प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई है.

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22
देयताएं			
पूंजी प्रारक्षित	1661.53	1683.68	1592.68
अन्य प्रारक्षित	1014.62	985.98	1088.89
उधार राशियां	467.27	193.74	375.86
आस्थगित कर देयताएं	0.00	0.00	0.00
चालू देयताएं एवं प्रावधान	5361.95	5512.42	5312.05
कुल	**8505.37**	**8375.82**	**8369.48**
परिसंपत्तियां			
निवल अचल परिसंपत्तियां	643.07	1112.77	1032.53
कार्य प्रगति पर	1416.91	698.48	871.33
निवेश	1289.18	1208.70	1407.08
वर्तमान परिसंपत्तियां और ऋण तथा अग्रिम	4304.53	4597.31	4268.22
आस्थगित कर परिसंपत्ति	432.52	432.52	432.52
अन्य परिसंपत्तियां/ विविध व्यय			
बीओटी प्रचालक को सुपुर्द शेड	0.00	0.00	0.00
वी.स्वे.से.नि.यो. व्यय	0.00	0.00	0.00
फुटकर व्यय	1.89	3.81	6.88
संचित हानि	417.27	322.23	350.92
कुल	**8505.37**	**8375.82**	**8369.48**
कार्यशील पूंजी *	-1057.42	-915.11	-1043.83
निवल मूल्यमत्ता**	2865.91	2766.68	2623.80
प्रयुक्त पुंजी***	-414.35	197.66	-11.30
विनियोजन पुर्व अधिशेष	244.47	152.12	49.67
प्रयुक्त पूंजी पर प्रति लाभ (प्रतिशत) ****	-59.00	76.96	-439.56
प्रयुक्त पूंजी (कार्य प्रगति पर सहित)	1002.56	896.14	860.03
प्रयुक्त पूंजी पर प्रतिलाभ (कार्य प्रगति पर सहित) (प्रतिशत)	24.38	16.98	5.78

*कार्यशील पूंजी चालू परिसंपत्तियों से चालू देयताओं घटाकर दर्शाता है.
**निवल मूल्यवत्ता-- पूंजी प्रारक्षित तथा अन्य प्रारक्षित राशि अधिक अधिशेष/ घाटा दर्शाता है.
***प्रयुक्त पूंजी निवल अचल परिसंपत्तियों अधिक कार्यशील पूंजी दर्शाता है.
****प्रयुक्त पूंजी पर प्रतिलाभ कुल अधिशेष (विनियोजन से पूर्व) से प्रयुक्त पूंजी का प्रतिशत दर्शाता है.

तथ्यात्मक

2. **कार्य परिणाम**

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के मुंबई पत्तन प्राधिकरण के कार्य परिणामों का सारांश निम्नानुसार है.

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व			
परिचालन आय	1662.64	1705.96	1896.96
गैर परिचालन आय	78.32	24.23	82.41
कुल	**1740.96**	**1730.19**	**1979.37**
व्यय			
परिचालन व्यय	1205.70	1122.09	1110.57
गैर परिचालन व्यय	345.50	511.08	926.57
कुल	**1551.20**	**1633.17**	**2037.14**
असाधारण मद	0.00	0.00	0.00
पूर्वकालिक प्रभार	0.00	0.00	0.00
कर पूर्व निवल अधिशेष/ घाटा	**189.76**	**97.02**	**-57.77**
घटाएं : कर के लिए प्रावधान अथवा जोड़े: पूर्व लिखित कर	0.00	0.00	41.00
जोड़े/ घटाएं : आस्थगित कर दियता/ परिसंपत्तियां	0.00	0.00	0.00
जोडें: कल्याण निधि तथा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रारक्षित से आहरित	54.71	55.10	66.44
विनियोजन से पूर्व निवल अधिशेष/ घाटा	**244.47**	**152.12**	**49.67**
घटाएं: अनिवार्य विनियोजन, प्रारक्षित निधियों, आदि में अंतरण	54.71	57.08	78.36
सामान्य प्रारक्षित में अंतरित अधिशेष/घाटा	189.76	95.03	-28.69
निवल अधिशेष /घाटे का प्रतिशत			
(i) परिचालन आय से	14.70	8.92	2.62
(ii) निवल अचल परिसंपत्तियों से	38.02	13.67	4.81
(iii) निवल मूल्य से	8.53	5.50	1.89

तथ्यात्मक

<table>
<tr>
<td>3.</td>
<td>

अनुपात विश्लेषण (चलनिधि तथा ऋण शोधन क्षमता)

मुंबई पत्तन प्राधिकरण की चलनिधि तथा ऋण शोधन क्षमता के एवं वित्तीय क्षमता के कुछ महत्वपूर्ण अनुपात निम्नानुसार दिखाए गए हैं:

<table>
<tr><th></th><th>विवरण</th><th>2019-20</th><th>2020-21</th><th>2021-22</th></tr>
<tr><td>ए</td><td>चालू देयताओं से चालू परिसंपत्तियों का प्रतिशत (प्रावधानों सहित)</td><td>80.28</td><td>83.40</td><td>80.35</td></tr>
<tr><td>बी</td><td>चालू देयताओं से शीघ्र विक्रेय परिसंपत्तियों का प्रतिशत</td><td>92.82</td><td>103.85</td><td>99.32</td></tr>
<tr><td>सी</td><td>परिचालन आय से विविध देनदारों का प्रतिशत</td><td>191.47</td><td>202.64</td><td>174.57</td></tr>
<tr><td>डी</td><td>पूंजी प्रारक्षित और सामान्य से ऋण का प्रतिशत</td><td>27.44</td><td>11.23</td><td>23.00</td></tr>
<tr><td>ई</td><td>कर पूर्व लाभ का प्रतिशत</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ए) निवल मूल्य से</td><td>6.62</td><td>3.51</td><td>-2.20</td></tr>
<tr><td></td><td>बी)प्रयुक्त पूंजी से</td><td>-45.80</td><td>49.08</td><td>511.24</td></tr>
<tr><td></td><td>सी)परिचालन आय से</td><td>11.41</td><td>5.69</td><td>-3.05</td></tr>
</table>

</td>
<td>तथ्यात्मक</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>

हस्ता/-

उप निदेशक
स्थान: मुंबई
दिनांक:21 सितंबर 2022

</td>
<td>

हस्ता/-

कॅप्टन भवतोष चंद
उपसंरक्षक
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के वैधानिक अधिकार के साथ
स्थान: मुंबई
दिनांक: 22 सितंबर 2022

</td>
</tr>
</table>

Action Taken Notes on the comments on Accounts raised in Separate Audit Report of Mumbai Port Authority for the year ended 31.03.2022.

Sr. No.	Separate Audit Report	Action Taken Notes
A.	**Balance Sheet** **Source of Funds** **Reserves and Surplus (Schedule I)**	
A.1	**Revenue Reserves - ₹187.99 crore**	
A.1.1	**General Reserve - ₹41.81 crore**	
(i)	As per the Common Framework for Financial Reporting of Major Ports (CFFR), 'debit balance of Profit and Loss Account' should be deducted from Unspecified Reserves (also referred to as 'General Reserve'). The Port has shown a debit balance of Profit and Loss Account of ₹350.92 crore on the asset side of the Balance Sheet and has shown a 'General Reserve' of ₹41.81 crore on the liability side of the Balance Sheet. The Port should have adjusted the 'debit balance of Profit and Loss Account' with the amount available in the 'General Reserve' and shown only the remaining amount on the asset side i.e. ₹309.11 crore (₹350.92 crore minus ₹41.81 crore) Non-adjustment of the two figures has resulted in overstatement of 'debit balance of Profit and Loss Account' and 'General Reserve' by ₹41.81crore. Though the above comment is being raised by Audit since 2017-18, the same is yet to be rectified by the Port Management.	Mumbai Port Authority does not have any Unspecified Fund as mentioned in the POM. The purpose of General Reserve Fund is to transfer surplus in the Profit and Loss Account which cannot be allocated to any other fund. Thus, the purpose is not to adjust the loss as assumed in the POM. The current accounting practice is being followed based on the observations made by audit in SAR for the F.Y. 2017-18 and as per audit advice these are being shown in the asset side of Balance Sheet. A copy of ATN on comments on accounts raised in SAR and advice is enclosed for ready reference. Further, the current accounting practice is being followed consistently. Therefore, any change in principle will reflect in the incorrect picture. The accounting principle followed is in tune with IND AS8 (Please refer 8.13) of Indian Accounting Standards (copy enclosed).
A.2	**Statutory Reserves- ₹900.90 crore**	
A.2.1	**Fund for Corporate Social Responsibility (CSR)- Nil** a) This does not include ₹2.86 crore (3% of Net Profit of ₹95.03 crore for PY 2020-21) being the contribution towards CSR funds during the year. MbPA had adjusted CSR liability of ₹2.86 crore against notional income receivable from Tata Memorial Hospital of ₹16.67 crore. This has resulted in understatement of CSR liabilities (Fund) and understatement of Loss by ₹2.86 crore.	a) It is fact that the Port has contributed 3% of the Net Profit (Rs. 95.03 crore) and the same has been adjusted against the receivable account. Necessary disclosure has been given in the Notes to Accounts.

Sr. No.	Separate Audit Report	Action Taken Notes
A.3	**Current Assets, Loans and Advances** **Current Assets:**	
A.3.1	**Inventories – ₹4.38 crore read with Accounting Policy No. 4**	
	As per the Significant Accounting Policy disclosed in the Accounts (item no. 4), no depreciation and no revaluation is done on inventory and the inventory is taken at cost in the books. The policy is a variance with CFFR which stipulates that Inventories should be valued at lower of weighted average cost or net realizable value. As such, Audit is unable to comment on the correctness of value of Inventories (₹4.38 crore) and consequent impact on the profit shown in the Profit and Loss Account. Similar observation is being raised by Audit since 2017-18. However, corrective action was not taken.	Inventory of MbPA is neither held by MbPA for sale in ordinary course of business nor used in as input in process of production for sale. The stores are generally spare parts or other running material meant for own consumption. This includes varied items of revenue / stock items, non-stock items etc. Therefore, procurement of MbPA cannot be termed as inventories. Further, estimate of net realizable value are based on most reliable evidence available at the time of estimate which is not possible. No depreciation for inventories are recommended as this being non capital items.
A.3.2	**Sundry Debtors- ₹3311.47 crore (Schedule IV)**	
	a) In respect of Sundry Debtors, the CFFR has not been complied with by the Port, to the extent given below: (i) The accounting policy regarding provisions for bad and doubtful debts has not been framed and disclosed. As such, Audit is unable to comment on the adequacy or otherwise of the amount provided (₹20.26 crore) as doubtful debts. (ii) The split up details of Sundry Debtors such as 'Debt considered good and fully secured', 'Debts considered good but not secured' and 'Debts considered doubtful or bad' have not been depicted. Though the above observations are being raised by Audit since 2017-18, the same are yet to be rectified by the Port Management.	a) In this regard, this is to state that, the Port abides by the guidelines issued by the Government of India from time to time. In case of Bad and Doubtful debts, the Port is adhering the instructions given in the MOS letter No. PG-20021/2/98-PG dated 06/11/2002. (i)&(ii) According to these guidelines, the debtors cannot be treated as bad debt. Hence, making provision for bad and doubtful debts will not be in order. There exists a provision of Rs. 20.26 crore for doubtful debts in the balance sheet. If a decision is taken to write off the debtors in future, the same can be adjusted against this provision.

<table>
<tr><th>Sr. No.</th><th>Separate Audit Report</th><th>Action Taken Notes</th></tr>
<tr><td></td><td>b) The Port had given land measuring 7150.23 sq. metres to Rashtriya Chemicals and Fertilizes Limited(RCF) on lease during the period 1 March 1972 to 28 February 2002. The Board decided (09 January 2018) to take over the assets on the land (Tank farm) at scrap value assessed at ₹2.87 crore and to adjust the amount against the dues recoverable amounting to ₹6.69 crore from RCF. Though RCF has surrendered the assets, the Port did not adjust the amount against dues receivable from RCF. Hence there is overstatement of Sundry Debtors by ₹2.87 crore.

Though the above comment was raised by Audit through Separate Audit report for FY 2020-21, no corrective action has been taken by Port Management.</td><td>IOCL had made application dated 13.09.2021 for grant of fresh lease since the subject plot is adjacent to IOCL lube blending plant. Terms and conditions were quoted to IOCL calling upon upfront amount in terms of PGLM and scrap value of Rs.2.86 crores for plant and machinery and Ammonia tank. In reply, IOCL stated that the plant and machinery including Ammonia tank is not suitable for them and requested to offer the land free of any plant and machinery and Ammonia tank.

Thus no suitable offer from any prospective bidder was received since the date of obtaining vacant possession of plot on 23.10.2018. The matter will be put up to Board for review. RCF Ltd was once again requested to liquidate the updated dues amounting to Rs.14,59,36,889.93 up to 30.06.2022 subject to audit.

Hence the amount of scrap value cannot be adjusted against dues recoverable from RCF Ltd. at this stage.</td></tr>
<tr><td></td><td>c) Estate Rentals- ₹2474.21 crore
The outstanding position of the Estate Rentals invoiced from the Estate Department showed an outstanding balance of ₹.2563.97 crore as on 31 March 2022. However, as per the Annual Accounts under Sundry Debtors depicted as ₹2474.21 crore leading to a difference of ₹.89.76 crore.

This has resulted in understatement of Sundry Debtors of ₹89.76 crore and overstatement of Loss to the same extent.</td><td>Vigorous efforts are being taken to reduce the difference in outstanding. The efforts have been let to reduction in the difference as can be seen from table.
(₹.in crores)
<table>
<tr><th>Year</th><th>Control ledger</th><th>Estate</th><th>Difference</th></tr>
<tr><td>2019-20</td><td>2533.61</td><td>2751.97</td><td>218.36</td></tr>
<tr><td>2020-21</td><td>2650.90</td><td>2788.95</td><td>138.05</td></tr>
<tr><td>2021-22</td><td>2474.21</td><td>2563.97</td><td>89.76</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Sr. No.	Separate Audit Report	Action Taken Notes
A.4	**Current Liabilities and Provisions- ₹5312.05 crore** **Current Liabilities**	
A.4.1	As per CFFR, if the liability for retirement benefits was funded through creation of a Trust, the cost incurred for the year shall be ascertained by actuarial valuation. MbPA has not made adequate provisions towards the Pension Fund, Gratuity Fund and Leave Encashment Fund as given below: **(₹ in crore)** **Name of the Fund** / **Liability to be provided as per Actuarial Valuation Report as on 31.03.2022** / **Balance in the Fund as on 31.03.2022** / **Shortfall** **1** / **2** / **3** / **4 (2-3)** Pension Fund / 13323.66 / 8955.34 / 4368.32 Gratuity Fund / 557.63 / 38.83 / 518.80 Leave Encashment Fund / 221.87 / -- / 221.87 **Total** / **14103.16** / **8994.17** / **5108.99** As a result, there is understatement of Current Liabilities by ₹.5108.99 crore and corresponding understatement of Loss to some extent. The above deficiencies are being pointed out by Audit since 2012-13. However, no corrective action has been taken by the Port Management.	Port is making sincere efforts to augment these Funds. In view of the recurring losses, it was not possible to provide full funding and meet the gap. During the F.Y. 2021-22, an amount of ₹.33.00 crore has been contributed by MbPA to Pension Fund and the same has been utilized for disbursement of Pension and ₹. 565.00 crore were transferred for investment with LIC. For the F.Y.2020-21 an amount of ₹.419 crore and in the F. Y. 2019-20 an amount of ₹.350 crore was contributed to MbPT Pension Fund Trust . On an average, every year MbPA had transferred an amount of around ₹.450 crores to MbPT Pension Fund Trust. Further as per requirement of the CFFR, the cost for the year needs to be ascertained. The same is being done and payment is being made to the retirees / pensioners without default. Thus there is no non-compliance. Further there is no addition to pensionable employees, and reducing no. of employees which will further reduce the liability and valuation in future. It is to be noted that the Pension Fund contributions has to be borne out of regular incomes generated from Port operations. However, in terms of Tariff Fixation guidelines only 1/3rd of pension liability is allowed to be considered for the purpose of tariff fixation. AS-15 - At para 40 – 41 states that, when there is uncertainty, the disclosure has to be made in the liability. The Port has made transparent disclosure in the Notes to Accounts to that effect at para No.17 (a).

Sr. No.	Separate Audit Report	Action Taken Notes
A.4.2	**Sundry Creditors - ₹3730.60 crore**	
	Accrued Expenses - ₹203.19 crore	
	The above does not include ₹42.02 crore in respect of Property Tax payable to MCGM. MbPA was paying Property Tax by adjusting maintenance cost (to maintain roads, wharves etc., inside docks area) to be recovered from MCGM till 1995-96. In the year 1995-96, MCGM requested to delink the issue of maintenance cost from Property Tax and the MbPA has acceded to the same. MCGM claims general charges in lieu of Property tax @₹ 4.87 crore p.a. (based rateable values of MbPA Properties). However, MbPA is providing liability for Property Tax @ ₹3.91 crore p.a. only by adjusting their claim in respect of maintenance cost. Thus, short provision of liability towards statutory dues of Property Tax by adjusting maintenance cost resulted in understatement of Accrued Expenses and Loss by ₹42.02 crore[1]	Necessary disclosure was given at Sr. No.4 of Notes to Accounts. However, as suggested by the Audit, detailed disclosure under Contingent Liabilities will be given in the Annual Accounts for the F. Y. 2022-23.
A.4.3	**Advances from Merchants, Contractors and Others – ₹1544.84 crore**	
	This includes ₹1099.39crore being the estate rentals recovered from the lessees/ tenants – (Estate Departments Miscellaneous Advance Account) which needs to be finally adjusted against the head of account "Debtors". Though a team of three CA Firms have been engaged in the year 2017 to identify and reconcile the balances, the reconciliation has still not been completed. Further the contract of CA firms was expired in June 2021. Hence, the accuracy of this head of account could not be ascertained by audit. The above observation is being raised by Audit since 2015-16. Though the reconciliation process has started long back in the year 2017, the same is yet to be completed.	The contention of audit that no action has been taken since 2015-16 is incorrect. The contract of three CA firms expired on 07.06.2021. Further, fresh appointment of CA firms is being initiated. Total no. of cases where credit notes adjustments are carried out in IEMS are 694 cases due to which Rs. 98.41 crores are retrenched from Sundry Debtors and amount adjusted from MD account to revenue account is Rs. 19.15 crores. Further, Rs. 122.59 Crores has been adjusted during the F. Y. 2021-22.

[1] *₹34.27 crore (claimed upto 31 March 2018) plus ₹19.48 crore (from 2018-19 to 2021-22) minus ₹11.73 crore (already provided by MbPA upto 31 March 2022)*

Sr. No.	Separate Audit Report	Action Taken Notes
A.5	**Provisions** **Other Provisions** **Provisions for unrecovered Estate Rentals - ₹1478.19 Crore**	
	The above represents old estate rentals not recovered by MbPA for the last 8 years (since 2013) for which provision was made. However, the same was not shown as a deduction under Sundry Debtors. This has resulted in overstatement of Sundry Debtors by ₹.1478.19 crore and overstatement of Current Liabilities & Provisions by the same amount. This was issued through Management Letter in 2020-21 for corrective action. However, action has not been taken by Management.	Provision for unrecovered estate rental was made Till the F.Y 2012-13. Difference between the amount billed and the amount realised during the financial year was treated as unrecovered estate rentals. While passing the entry to book the liability on account of unrecovered rental, an amount equivalent to the difference is deducted from the estate rental income for that F. Y. In this process the debtors of estate rental were not reduced. Thereafter, in order to align with accrual system of accounting, the estate rentals are taken on accrual basis as per bills raised from the F.Y. 2013-14. No entry for unrecovered estate rentals has been passed from the year 2013-14. Misc. deposit of Rs.1099.35 crore (as on 31.03.2022) is being held against the disputed outstanding debtors. Estate rentals from this MD account is being adjusted against the Provision for unrecovered Estate Rentals. Therefore, Audit suggestion can be complied after the adjustment/ reconciliation of Estate MD account is completed. However, Audit observation is noted for future compliance.
A.6	**Balance of Profit and Loss Account- ₹350.92 crore (accumulated Loss)**	
	The above includes ₹.27.60 crore being notional income recognized on allotment of land to Tata Memorial Hospital on lease basis at a nominal value of ₹1/sq.mtr.p.a. for the period of 10 years under CSR activity. The notional income represents the lease rent forgone for which the lessee does not have an obligation for payment. The Port had booked the notional income by debiting Sundry debtors for ₹.16.67 crore and CSR fund Account in liabilities for ₹.10.93 crore.	Allotment of land and building A, B & C at Rajas Nagar to TATA Memorial Hospital has been done for a period of 10 years on lease basis on a nominal rent of Re.1 per sq. mtr. Per Annum as a CSR activity by Mumbai Port. Upfront of lease fees for 10 year period (with increase of 4% per annum and discounting factor of 6.74) works out to Rs.27.60 crores for above said land and buildings. Same has been foregone by Mumbai Port Authority by allotting above referred buildings on

Sr. No.	Separate Audit Report	Action Taken Notes
	Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 stipulate that the surplus arising out of the CSR projects or programs or activities shall not form part of the business profit of a company. Further, any surplus derived on CSR should be immediately recognised as a liability for CSR expenditure and recognised as a charge to the statement of profit and loss, which has not been done by the Port. Also, for qualifying as CSR expense, the amount should be spent as clarified by MCA Circular dated 12.1.2016. further, MCA clarified (through Circular No. CSR-05/01/2021-CSR-MCA dated 25 August 2021) through FAQs that 'CSR contribution cannot be in kind and monetized (FAQ 3.12). Hence, reducing CSR liability through book adjustments is not a proper treatment of CSR. This has resulted in understatement of Loss by ₹.27.60 crore with an overstatement of Sundry debtors by ₹.16.67 crore and understatement of CSR liabilities by ₹.10.93 crore. The comment was issued through Separate Audit Report on the accounts of MbPA for the year ended 31 March 2021. However, corrective action has not been taken by the Management.	nominal rent of Re.1 per sq. mtr. Per annum as a CSR activity. As the income has been foregone and no element of profitability is involved, thus the contention of audit of ₹.27.60 crore being notional profit is not in order. Further, this income which is foregone by Mumbai Port belongs to ten years and same will be set off every year from the CSR contributions. The income foregone has been recognized considering revenue recognition concept prescribed by Accounts Standard Board. According to revenue recognition concept, revenue is gross inflow of cash, receivable or other considerations. As such there is no overstatement of profit and sundry debtors as pointed out by Audit. Further, as regards the "contribution to the Fund in Kind and Monetization" it is stated that the Port has handed over the Buildings to TATA Hospital without any consideration. The Port has accounted for only the rental income which is foregone. As such monetization of the buildings is not involved.
B	**Profit and Loss Account**	
	Operating Income **Estate Rental** **Rent from Land- ₹.244.72 crore**	
	Estate Rentals ₹.390.97 crore do not include ₹.17.69 crore being the penalty on account of the Minimum Guarantee throughput (MGT) collected from various parties. The Port had raised (since 2002) a demand of ₹.71.58 crore for additional way leave charges for the shortfall in achieving the prescribed MGT on various parties (TPCL, HPCL, CTTL, BPCL and Aegis) from 25 September 1996 to 31 March 2015. The users disputed the penalty billed for various reason and made representation to the Board and did not pay penalty charges and sought waiver of the MGT clause.	Amount received from the party against MGT is being verified and suitable adjustment from M.D. Account will be passed during 2022-23 However, the figure (₹.390.97 crore) mentioned in SAR pertains to FY.2019-20.

Sr. No.	Separate Audit Report	Action Taken Notes
	The Port showed the amount recovered of ₹.17.69 crore under Miscellaneous Deposits instead of recognising the same as Revenue. This was raised through Management Letter for 2020-21 for corrective action. However, action has not been taken by the Management.	
C.	**Notes to Accounts** CWIP includes an amount of ₹74.76 crore being capital expenditure in respect of Project relating to Dedicated goods line between Wadala and Kurla for freight movement. The project was kept in abeyance since June 2019 and not envisaged to revive in the next 8 to 10 years. The entire cost of the project was incurred on railway land on which the Port neither enjoys any possession/control nor does the Port expect any benefits for another 10 years. Further, the land evacuated or asset created cannot be put to use as originally intended by Management and no alternative use is concurred by Railway. This significant fact should have been disclosed by way of a Note.	Audit has pointed out from the MOU that the work will be carried out by the Central Railway. MBPA is paying to the Central Railway the amounts to lay a dedicated railway line for the speedy clearance of Cargo of the Port. The fast clearance of the cargo will benefit the Port by increase in the volume of the Cargo. Therefore the project was taken in hand. However, over the years the cargo has come down and the project was kept in abeyance. The project is still not abandoned. There is a hope that the cargo will increase and the project can be revived. As per Framework for reparation and presentation of Financial Statement by ICAI, An asset is a resource controlled by the enterprise as a result of past events from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise. This means it is possible to recognize a resource which is not owned by the enterprise. The MOU in clause 1(I) clearly states that Central Railway will give precedence to traffic of MbPA when it comes to the use of the said dedicated line, thus stating that MbPA will have control over the dedicated line. Also it is important to look at this project in its entirety as this resource will enable MbPA to earn income from its overall activity. In view of the above, the Audit is requested to take a different view and allow the Port to retain the status of the subject work as CWIP.

Sr. No.	Separate Audit Report	Action Taken Notes
D.	**Grant-in-Aid** Details of Grant in Aid received by MbPA is as under:	Factual

Sr.No.	Project Name	Source of Grant-in-Aid	Opening Balance	Receipt	utilised	Unspent
1	Upgradation/Modernisation of Mumbai International Cruise Terminal (MICT)	Ministry of Shipping	25.000	118.985	156.360	2.125
		Ministry of Tourism	12.500	0.000		
2	Mallet Bunder Fishing Harbour	Ministry of Fisheries	0.000	24.000	0.050	23.950
3	Third Chemical Berth	Ministry of Shipping	0.000	40.250	0.316	39.934
4	Development of Tourism Infra alongside KALH	Ministry of Tourism	3.460	0.384	3.844	0.000
	Total		40.960	183.619	158.570	66.009

E	**Management Letter**	
	Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of the Port through Management Letter issued separately for remedial/corrective action.	
	v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of Account.	Factual
	vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in the Annexure-I to this Audit Report give true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India. a) In so far as it relates to Balance Sheet, of the state of affair of Mumbai Port Authority as at 31 March 2022; and b) In so far as it relates to the Profit and Loss Account, of the Loss for the year ended on that date.	Factual
	vii) Review of Accounts showing the summarized financial results of Mumbai Port Authority for three years ended 31 March 2022 is given in **Annexure –II.**	Factual

Sr. No.	Separate Audit Report	Action Taken Notes
	For and on behalf of the Comptroller and Auditor General of India -Sd- (P.V. Hari Krishna) Principal Director of Audit (Shipping) Mumbai Place: Mumbai, Date: 21 September 2022.	(Capt. Bhabatosh Chand) Dy. Conservator having Statutory powers of FA&CAO Mumbai Place: Mumbai Date: September 2022.

	Annexure I	
1.	**Adequacy of Internal Audit System** The Internal Audit of the Port for the year 2021-22 was entrusted to M/s SCM Associates, Chartered Accountants. There is no system of submission of Internal Audit Reports along with Action Taken Note to the Board for their perusal since 2020. This indicates inadequate Management Control.	M/s. SCM Associates have been appointed as External Internal Auditors for MbPA. Reports of Internal Audit are sent to department for comments and corrective action. Comments received from department are forwarded to M/s. SCM Associates for preparation of A.T.N. Internal Audit Report alongwith Action Taken Report will be placed before the Board as Table Paper.
2.	**Adequacy of Internal Control System**	
	A. Bank Reconciliation statements as on 31 March 2022 Internal control of the Port needs to be improved considering the following: Mumbai Port Authority (MbPA), Finance Management system (FMS) operates nine bank accounts. Bank Reconciliation Statements as on 31 March 2021 revealed the following deficiencies.	
	(i) The Bank balance is after deducting 625 cheques valuing ₹439.42 crore which were issued by the Port since April 2006 and were more than 3 months old as on 31 March 2022.	(i) Considerable progress has been made for reconciliation. The present position is as follows:- Out of **625** cheques which were more 3 months old as on 31.03.2022, 369 cheques have been already reconciled. Further, efforts are being taken to reconcile balance 256 entries. Out of ₹439.42 crores, the difference of Rs 337.58 crores, has been reconciled and balance of ₹101.84 crores is being reconciled.
	(ii) ₹754.96 crore shown as deposited in the Bank in the books of Port since April 2006 but not appearing in the Bank Statement.	(ii)The amounts as stated in para have been credited, but pending for matching and reconciliation. Out of **₹754.96** crore, Rs.352.85 has been already reconciled. The balance amount of Rs. 402.11 crores is credited in the bank account through RTGS/NEFT/IMPS/Cheques and accounted in MbPA's books of accounts as a receipt. Linking of these entries are in process with corresponding bank credit entries. Many times, bank gives consolidated credits of multiple cheques deposited by Port. Therefore, it becomes difficult to match credit bank entries with individual cheques entries in the books. Further, the amount that have been booked are on the basis of advice given by the concerned departments, which includes payment through digital modes. In absence of the relevant information pertaining to payments like UTR No., exact date of credit, name of the party, linking becomes difficult. The work of linking the book entries with bank credit is going on by following up with departments, banks, port users.
	(iii) ₹688.56 crore credited by bank but not accounted by MbPA	(iii) Out of Rs.**688.56** crore Rs.252.70 crores has been already reconciled. Balance amount of Rs. 435.86 credited by Bank, MbPA has accounted entries for Rs.402.11 crores (para (i) above) which are being linked. Some other entries which cannot be identified and not accounted are being reconciled by following up with concerned departments and the port users especially the Government Clients i.e. IOCL, HPCL, BPCL, Mazgaon Dock. On receipt of information these entries will be matched and reconciled.

(iv) ₹.731.99 crore debited by bank but no entries were passed by MbPA

(vi) Out of ₹.731.99 crore, ₹.566.56 crores has been already reconciled. Further, efforts are being taken to reconcile these entries. FMS system was not available for the period 2 months due to implementation of new ERP system. Treasury branch however has made measurable improvement in Reconciliation. Details of the same as below.

Sr. No.	RAO's remarks	Amount (in Crore) current year (2021-22) BRS as per 31.03.2022	Amount (in Crore) current year (2021-22) BRS as per 22.09.2022
1.	Book Debit entries	754.96	343.07
2.	Book Credit entries	776.75	101.84
3.	Bank Debit entries	731.99	165.43
4.	Bank Credit entries	688.56	388.51

B. Cash and Bank Balances

a) Deposits with Banks (on Behalf of Merchants, Contractors and Others): Rs 34.15 crore

(i) Of the FDRs amounting to ₹34.15 crore, the actual FDRs available with the Port was for ₹33.60 crore only.

(ii) This includes 426 FDRs valuing ₹32.01 crore which have matured during the period from 1990 to March, 2022 and which have not been renewed. Further the Port has not obtained confirmation of these FDs from Banks.

The differences shown in the statements are being reconciled. Further, the list of FDR is being forwarded to respective departments for necessary action.

b) Deposits with Banks – ₹245.05 crore

Deposit with Banks of ₹245.05 crore represents the amount deposited in Corporate Liquid Term Deposit (CLTD) by the Port as on 31 March 2022. However, balance confirmation as per cash section was ₹264.85 crore. The difference of ₹19.80 crore may be reconciled.

The amount of ₹.245.05 crores as the book balance of GLC-0871 includes Bank Guarantee amount to ₹.3.00 crores as on 31.03.2022. The Bank statement of ₹.234.40 crore includes 11 FDs of ₹.1,99,99,990/- each (₹.2,99,99,890/-) placed with State Bank of India.

Two CLTDs amounting to ₹.30.45 crores remained to be accounted for want of statements from Bank. Same remained to be accounted as FMS system was closed due to implementation of new EBS system. Same is being accounted in new EBS system.

c) Balances with Banks (Other Departments) - ₹5.87 crore

As on 31 March 2022, there is a difference of ₹2.65 crore between Book balance of various functional Departments and Balance as per Trial Balance in respect of GL Code 0886, 0887, 0888 and 0891.

As far as Estate department (GLC-0891) is concerned a difference of ₹.230178.90 does exist between book balance maintained by Estate Department and trial balance. In this context, it is clarified that the annual accounts were finalised on 31.03.2022 and on account of ensuring ERP system a journal entry amounting to ₹.230178.90 meant to adjust the difference between book balance and ledger balance remained to be posted. The adjustment will be effected in ensuing ERP system. After

		posting the entry the difference will be reduced to Rs.0.03 which will be reconciled in due course. Departments and concerned audit branches are instructed to carry out the reconciliation of the GLCs 0886, 0887 and 0888 on priority.
3.	**System of physical verification of Fixed Assets** The Port conducts physical verification of Fixed Assets once in every 5 years. Last physical verification was done in the FY 2017-18. The frequency of physical verification of fixed assets needs improvement for the purpose of effective internal control of fixed assets.	As per practice in vogue, physical verification of Fixed Assets is done once in every 5 years. Last physical verification was done in the FY 2017-18, hence the next will be in the FY 2022-23. Incidentally, for the purpose of insurance of port properties review of fixed assets is carried out
4.	**System of physical verification of Inventory** The physical verification of Inventory as on 31 March 2022 was not furnished to Audit. The Port has not adopted any depreciation policy nor done any revaluation of assets in compliance with the guidelines contained in the CFFR for major ports.	Factual. Departments having inventories have been requested to carry out physical verification of inventories as on closing days of every financial year.
5.	**Statutory Dues** The Port was regular in making payment of undisputed statutory dues.	----------
	Sd/- (Anita Singh) Dy. Director Place: Mumbai, Date : 21 September 2022.	(Capt. Bhabatosh Chand) Dy. Conservator having Statutory powers of FA&CAO Mumbai Place: Mumbai Date: 22 September 2022.

ANNEXURE – II

Review of accounts of Mumbai Port Authority for three years ended 31 March 2022 by the Comptroller and Auditor General of India

(The Review of Accounts has been prepared without taking into account the audit observations/comments contained in the Draft Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India)

1. Financial Position

The Financial Position of Mumbai Port Authority under the broad headings for three years ended 31 March 2022 is given below:

1. **Financial Position**

The Financial Position of Mumbai Port Authority under the broad headings for three years ended 31 March 2022 is given below:

Rs. in crore

Particulars	2019-20	2020-21	2021-22
LIABILITIES			
Capital Reserves	1661.53	1683.68	1592.68
Other Reserves	1014.62	985.98	1088.89
Borrowings	467.27	193.74	375.86
Deferred Tax Libilities	0	0	0
Current Liabilities & Provisions	5361.95	5512.42	5312.05
Total	**8505.37**	**8375.82**	**8369.48**
ASSETS			
Net Fixed Assets	643.07	1112.77	1032.53
Works-in-Progress	1416.91	698.48	871.33
Investments	1289.18	1208.70	1407.08
Current Assets and Loans and Advances	4304.53	4597.31	4268.22
Deferred Tax Asset	432.52	432.52	432.52
Other Assets/Misc. Expenditure:			
Sheds handed over to BOT operator	0.00	0.00	0.00
SVRS Expenditure	0.00	0.00	0.00
Misc. Expenditure	1.89	3.81	6.88
Accumulated Loss	417.27	322.23	350.92
Total	**8505.37**	**8375.82**	**8369.48**
Working Capital *	-1057.42	-915.11	-1043.83
Net Worth **	2865.91	2766.68	2623.80
Capital Employed ***	-414.35	197.66	-11.30
Net Surplus (before appropriation)	244.47	152.12	49.67
Return on Capital Employed **** (percentage)	-59.00	76.96	-439.56
Capital Employed (including Work -in-Progress)	1002.56	896.14	860.03
Return on Capital Employed (including Work -in-Progress) (percentage)	24.38	16.98	5.78

Working Capital represents Current Assets minus Current Liabilities;

**Net worth represents Capital Reserves and other reserves plus surplus/loss;

***Capital Employed represents Net Fixed Assets plus Working Capital;

****Return on Capital Employed represents percentage of Net Surplus (before appropriation) to Capital Employed.

Factual.

2. Working Results

The working results of the Mumbai Port Authority for the last three years ending31 March 2022 are summarized below:

Rs. in crore

Particulars	2019-20	2020-21	2021-22
Revenue			
Operating Income	1662.64	1705.96	1896.96
Non operating income	78.32	24.23	82.41
Total	**1740.96**	**1730.19**	**1979.37**
Expenditure			
Operating expenditure	1205.70	1122.09	1110.57
Non operating expenditure	345.50	511.08	926.57
Total	**1551.20**	**1633.17**	**2037.14**
Extra ordinary items	0	0	0
Prior period charges	0	0	0
Net surplus/(deficit) before tax	**189.76**	**97.02**	**-57.77**
Less: Provision for Tax or Add tax write back	0	0	41.00
Add/Less: Deferred tax liability/ assets	0	0	0
Add: Withdrawn from Welfare Fund and Infrastructure Reserve	54.71	55.10	66.44
Net surplus/ (deficit) before appropriation	**244.47**	**152.12**	**49.67**
Less: Mandatory Appropriations, Transfers to Reserve Funds, etc.	54.71	57.08	78.36
Surplus/Deficit transferred to General Reserve	189.76	95.03	-28.69
Percentage of net surplus/deficit to			
(i) Operating Income	14.70	8.92	2.62
(ii) Net Fixed Assets	38.02	13.67	4.81
(iii) Net Worth	8.53	5.50	1.89

Factual

3. Ratio Analysis (Liquidity and Solvency)

Some important ratios on liquidity and solvency and on financial health of the Mumbai Port Authority are shown below:

	Particulars	2019-20	2020-21	2021-22
a.	Percentage of Current Assets to Current Liabilities (including Provisions)	80.28	83.40	80.35
b.	Percentage of Quick Assets to Current Liabilities	92.82	103.85	99.32
c.	Percentage of Sundry Debtors to Operating Income	191.47	202.64	174.57
d.	Percentage of Debt to Capital Reserve & General Reserve	27.44	11.23	23.00
e.	**Percentage of profit before tax to:**			
	a) Net Worth	6.62	3.51	-2.20
	b) Capital Employed	-45.80	49.08	511.24
	c) Operating Income	11.41	5.69	-3.05

Factual

Sd/-
Dy. Director

Place : Mumbai,
Dated :21 September 2022

22/09/22

(Capt. Bhabatosh Chand)
Dy. Conservator having
Statutory powers of FA&CAO

Place : Mumbai
Date: 22 September 2022.

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

परित्याग

वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखों, उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा रिपोर्ट में विहित लेखा परीक्षा आपत्तियों / टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां केवल जानकारी के लिए अंग्रेजी मूल का अनुवाद है. किसी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी मूल प्रभावी होगा

MUMBAI PORT AUTHORITY

D I S C L A I M E R

The Hindi version of the Annual Accounts for Financial Year 2021-22, Audit report thereon together with Action Taken Notes on Audit Objections/Observation contained in Audit Report Financial Year 2021-22 is a translation of the original in English for information purpose only. In case of the discrepancy, the English original will prevail.